लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४१, १९६०/१८८२ (शक)

२१ मार्च से २ अप्रैल १९६०/१ से १३ चैत्र १८८२ (शक)

2nd Lok Sabha

दसवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४१ में अंक २१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

पृष्ठ

विषय सूची

[द्वितीय माला, खंड ४१—अंक ३१ से ४०—२१ मार्च से २ अप्रैल, १९६०/१ से १३ चैत्र १८८२ (शक)]

अंक ३१—सोमवार, २१ मार्च, १९६०/१ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५९ से ९६१, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७४, ९७७ से ९८१ और ९८३ . . . . ३२७९–३३०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० ३३०३-०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६२, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७२, ९७३, ९७५, ९७६, ९८२ और ९८४ से ९९६ . . ३३०४–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६१ से १३०७ . . ३३१५–३५

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . ३३३५

स्थगन प्रस्ताव

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल ३३३६-३७

चीन के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य . . . ३३३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३३७

प्राक्कलन समिति

बहत्तरवां प्रतिवेदन ३३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

लुधियाना में कपड़े के कारखानों का बन्द होना . . . ३३३९

अनुदानों की मांगें –

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ३३३९–८६

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३३८६–९०

दैनिक संक्षेपिका ३३९१–९६

पृष्ठ

अंक ३२—मंगलवार, २२ मार्च, १९६०/२ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७, ९९९, १००१, १००२, १००४ से १००६, १००८ से १०१२, १०१४ और १०१५ . . . ३३९७–३४४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९८, १०००, १००३, १००७, १०१३ और १०१६ से १०३७ . . ३४२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०८ से १३५७ . . ३४३५–३४५७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३४५७-५८

प्राक्कलन समिति—

अठहत्तरवां प्रतिवेदन ३४५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

शाहदरा में छोटे पैमाने के अलुमीनियम कारखानों का बन्द होना . ३४५९

अनुदानों की मांगें ३४५९–३५२५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ३४५९–३५०६

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ३५०६–२५

दैनिक संक्षेपिका . . . ३५२६–३०

अंक ३३—बुधवार, २३ मार्च, १९६०/३ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३८ से १०४२, १०४४ से १०४७, १०५० से १०५२ और १०५४ . . . . . ३५३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४३, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५५ से १०६८ . . . . . ३५५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३५८ से १४०६ और १४०८ से १४११ ३५६२–८९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

दक्षिण अफ्रीका की घटनायें ३५८९–९१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५९१–९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन ३५९२

पृष्ठ

अनुदानों की मांगें--

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . ३५९२-३६५०

दैनिक संक्षेपिका . ३६५१-५५

अंक ३४—गुरुवार, २४ मार्च, १९६०/४ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६९ से १०७३ और १०७५ से १०८० ३६५७-७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७४, १०८१ से १०९० और १०९२ से १०९५ ३६७८-८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१२ से १४५० ३६८५-३७०१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बनारस के निकट विमान दुर्घटना . . ३७०१-०२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७०२

प्राक्कलन समिति—

सततरवां प्रतिवेदन ३७०२

अनुदानों की मांगें ३७०३-५९

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय ३७०३-१०

गृह कार्य मन्त्रालय ३७११-५९

दैनिक संक्षेपिका ३७६०-६३

अंक ३५—शुक्रवार, २५ मार्च, १९६०/५ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९६ से १०९८, ११००, १११६, १११९, ११०१, ११०३ से ११०७, १११४, १११५ से १११८ . ३७६५-९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९९, ११०२ और ११०८ से १११३ . . ३७९१-९५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५१ से १४८५ . . . . ३७९५-३८१०

दक्षिण अफ्रीका के लगां नामक स्थान पर गोलीकाण्ड के बारे में सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८१०-१३

पृष्ठ

सभा का कार्य ३८१३

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मन्त्रालय . . . . . ३८१३—४१

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन ३८४१–४२

अन्दमान और निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प ३८४२—४६

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प ३८४६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८६८—७२

अंक ३६–सोमवार, २८ मार्च, १९६०/८ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२३, ११२९, ११२६, ११३२, ११३४, ११३७ से ११४०, ११४२, ११४३, ११४५ और ११४६ . . ३८७३—९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२७, ११२८, ११३०, ११३१, ११३३ ११३५, ११३६, ११४१ और ११४४ . . . ३८९९—३९०३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८६ से १५४१ . . ३९०४—२८

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में ३९२९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३९२९–३०

प्राक्कलन समिति—

उनासीवां प्रतिवेदन . . ३९३०

लोक लेखा समिति—

पच्चीसवां प्रतिवेदन ३९३०

विधि व्यवसायी विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ३९३१

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति . . . ३९३१

बम्बई पुनर्गठन विधेयक—पुरःस्थापित ३९३१–३२

धार्मिक न्यास विधेयक—पुरःस्थापित ३९३२

	पृष्ठ
दक्षिण अफ्रीका में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में संकल्प .	३९३२—४०
अनुदानों की मांगें . . .	३९४१—८५
वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय	
दैनिक संक्षेपिका	३९८७—९१
अंक ३७—बुधवार, ३० मार्च, १९६०/१० चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ से ११४९, ११५१ से ११५५, ११५७ से ११६० और ११६२ से ११६४	३९९३—४०१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११५०, ११५६, ११६१ और ११६५ से ११८३	४०१८—२६
अतारांकित प्रश्न संख्या १५४२ से १५८४ और १५८६ से १६०४	४०२६—४९
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में . . .	४०४९—५०
मा पटल पर रखे गये पत्र .	४०५०
गैर-सरकारी संस्थाओं के विनियमों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकसठवां प्रतिवेदन . .	४०५०
प्राक्कलन समिति—	
इक्यासीवां प्रतिवेदन .	४०५०
भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य . .	४०५१
अनुदानों की मांगें—	
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय . . .	४०५१—४१०६
भारतीय लोक प्रशासन संस्था के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . .	४१०६—०७
दैनिक संक्षेपिका	४११२—१६
अंक ३८—गुरुवार, ३१ मार्च, १९६०/११ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८४ से ११८६, ११८८ से ११९१, ११९३ से ११९७ और १२०४ . . .	४११७—४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८७, ११९२, ११९८ से १२०३ और १२०५ से १२१५	४१४३—५३

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १६०५ से १६४९ और १६५१ .	४१५३—७३
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	४१७४
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति .	४१७५
लोक लेखा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन .	४१७५
प्राक्कलन समिति—	
चौहत्तरवां प्रतिवेदन . . .	४१७५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
उन्नीसवां प्रतिवेदन	४१७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
बोकारो में इस्पात का कारखाना .	४१७६
अनुदानों की मांगें—	
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय . .	४१७६—८८
नियम का निलम्बन .	४१८९–९०
बम्बई पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४१९१—४२०५
दैनिक संक्षेपिका	४२०६—११
अंक ३९—शुक्रवार, १ अप्रैल, १९६०/१२ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२५, १२२७, १२२९ और १२३१ से १२३४	४२१३—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२८ और १२३५ से १२४२	४२३७—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या १६५२ से १६८५ .	४२४१—५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	४२६०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
अनुसूचित जाति के लोगों को कुएं से पानी लेने से रोकना	४२६०
तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ के उत्तर की शुद्धि .	४२६१
बम्बई पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . .	४२६१—८३

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन ४२८३

न्यायालय अवमान विधेयक—श्री बि० दास गुप्त का—पुरःस्थापित . ४२८३

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक .

(धारा ७३ का संशोधन)—वापस लिया गया—

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . ४२८४—९२

कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी संघ (राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव ४०९२—४३००

दैनिक संक्षेपिका . ४३०१—०४

अंक ४०—शनिवार, २ अप्रैल, १९६०/१३ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४४, १२४६, १२४७, १२४९ से १२५१, १२५४ से १२५६, १२५८, १२६० और १२६१ . ४३०५—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४८, १२५२, १२५३, १२५७, १२५९ और १२६२ से १२६६ . . . ४३२७—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८६ से १७१० और १७१२ से १७१६ ४३३२—४७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

सहारा में फ्रांस द्वारा दूसरा आणविक परीक्षण ४३४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४३४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मालगाड़ी से मोटर टायरों का लूटा जाना . ४३४७—४९

सभा का कार्य . . ४३४९

अनुदानों की मांगें—

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय . ४३५०—४४०२

दैनिक संक्षेपिका . . . ४४०३—०५

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, २५ मार्च, १९६०

५ चैत्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नेशनल ग्रिन्डलेज़ बैंक के नक्शे में काश्मीर

+

†*१०९६. {श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या प्रधान मंत्री १० दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल ग्रिन्डलेज़ बैंक लिमिटेड ने उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण कर दिया है जिनके कारण उसके विज्ञापत नक्शे में काश्मीर को भारत का भाग नहीं दिखाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो वे परिस्थितियां क्या हैं ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). वर्ष १९५९ के लिये बैंक के कार्य के बारे में निदेशकों के प्रतिवेदन में बैंक ने खेद प्रकट किया है तथा स्थिति में सुधार करने के लिये कहा है।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या बैंक अपने पहले प्रतिवेदन में भी परिवर्त्तन करने के लिये सहमत हो गया है ?

†श्री सादत अली खां : जी, हां, बैंक ने शुद्धि स्वीकार कर ली है और क्योंकि वर्त्तमान प्रतिवेदन के लिये समय कम है, उन्होंने यह निश्चय किया है कि बैंक के १९५९ के प्रतिवेदन में भारत और पाकिस्तान का कोई नक्शा नहीं दिया जायेगा।

†श्री अन्सार हरवानी : क्या बैंक ने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि इसी प्रकार के नक्शे पाकिस्तान में प्रकाशित की जाने वाली प्रतियों में नहीं प्रकाशित किये जायेंगे ?

†श्री सादत अली खां : हां, श्रीमाण्।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या उन्होंने १९६० की अपनी रिपोर्ट के लिये नक्शे के बारे में कोई आश्वासन दिया है?

†**श्री सादत अली खां** : यदि बैंक १९६० की रिपोर्ट में नक्शा सम्मिलित करना चाहेगा तो हम इस बात पर आग्रह करेंगे कि काश्मीर को भारतीय संघ का अभिन्न अंग दिखाया जाये। अभी यह अवसर उत्पन्न नहीं हुआ है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या बैंक प्राधिकारियों ने बताया था कि किन परिस्थितियों में उन्हें ऐसे नक्शे प्रकाशित करने पड़े?

†**श्री सादत अली खां** : नहीं, श्रीमान्, उन्होंने अपने कार्य पर खेद प्रकट किया और उन्होंने हमारे सुझाव मान लिए हैं।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : कितने वर्षों के संबंध में कितनी प्रतियां छापी गई हैं?

†**श्री सादत अली खां** : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री वाजपेयी** : क्या हम यह समझ लें कि बैंक ने यह नक्शे किसी भ्रम के कारण छपवाये थे?

†**श्री सादत अली खां** : वे तो यही कहते हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या सरकार ने उनसे जोर डालकर यह कह दिया है कि वे जो नक्शे प्रकाशित करें उनमें काश्मीर को भारत का अभिन्न भाग दिखाया जाये?

†**श्री सादत अली खां** : बैंक से यह कहा गया था कि वे काश्मीर और भारत के बीच की सीमा रेखा को हटा दें और भारत-पाकिस्तान सीमा रेखा को पश्चिम में काश्मीर के उत्तरी भाग के अन्त तक बढ़ा दें ताकि काश्मीर को स्पष्ट रूप से भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाया जा सके।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या बैंक से ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है कि क्या ऐसा अनभिज्ञता के कारण हुआ अथवा हमारे मामले की उपेक्षा करने के लिये किया गया?

†**श्री सादत अली खां** : मैं इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

दण्डकारण्य परियोजना

†*१०९७. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम बरुआ :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य विकास प्राधिकार का विचार छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने का है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या उनमें से किसी उद्योग की स्थापना हो चुकी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां ?

(ख) (१) चावल का भूसा निकालना ;

(२) बांस की टोकरी बनाना तथा चटाई बनाना ;

(३) बुनना तथा अर्ध स्वचालित हथकरघे ;

(४) महुआ, रामतिल तथा सरसों से तेल निकालना ;

(५) लकड़ी का काम ; और

(६) लोहागिरी तथा टीन का सामान बनाना।

(ग) (१) बोरगांव में लकड़ी के काम का केन्द्र।

(२) कोसागुडा में धान से भूसा हटाने का केन्द्र।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या दंडकारण्य में कोई औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हां, श्रीमान ! उड़ीसा में जयपुर के निकट एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का प्रस्ताव दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के विचाराधीन है ।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या उड़ीसा के लोगों को इस क्षेत्र में अपने उद्योग स्थापित करने की अनुमति होगी।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य गैर-सरकारी पार्टियों से है ।

†**श्री प्र० गं० देव** : जी हां ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में हमने एक पुनर्वास औद्योगिक निगम स्थापित किया है और उनकी एक यह नीति है पूर्वी क्षेत्र में और साथ ही दण्डकारण्य क्षेत्र में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जायें।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : इन लघु उद्योगों में कितने व्यक्ति लगाये जायेंगे तथा क्या इन चीजों की वहां बिक्री होने की कोई संभावना है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जैसा कि मैंने प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा, बोरगांव के लकड़ी के काम के केन्द्र में लगभग अस्सी व्यक्ति तथा कोसागुडा के धान से भूसा हटाने के केन्द्र में लगभग पच्चीस व्यक्ति काम में लगाये जा सकेंगे। अन्य उद्योगों के संबंध में हमेशा इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल को ही काम में लाया जाये ; स्थानीय बिक्री की संभावनाओं पर भी विचार किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार दण्डकारण्य में बसने वालों को कृषि और लघु उद्योगों में से कुछ भी चुनने की अनुमति देना चाहती है अथवा क्या लघु उद्योगों का तात्पर्य कृषि के साथ-साथ काम के अवसर प्रदान करना है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इस समय हमारा उद्देश्य लघु उद्योगों के जरिये वहां बसने वालों को सहायक आमदनी करने के अवसर प्रदान करने का है क्योंकि इस समय हम वहां कृषक परिवारों को ही बसा रहे हैं।

†**श्री रामसिंह भाई वर्मा** : क्या इस क्षेत्र में अम्बर चर्खे का भी प्रयोग किया गया है और अगर नहीं, तो क्या करने का विचार है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं यह सुझाव दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को भेज दूंगा।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : अभी माननीय मंत्री ने पूर्वी क्षेत्र के लिये पुनर्वास उद्योग निगम का उल्लेख किया। क्या यह निगम दण्डकारण्य के लिये किसी बड़े उद्योग के बारे में विचार कर रहा है क्योंकि वह निगम बड़े उद्योगों के लिये ही बना था ? क्या दण्डकारण्य के संबंध में उनके पास कोई विशिष्ट योजना है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मुझे इस बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

†**श्री विभूति मिश्र** : अभी मंत्री जी ने बताया कि वहां पर रिफ्यूजीज छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक रोज में उनको अधिक से अधिक और कम से कम कितना पैसा मिलता है।

डा० राम सुभग सिंह : अभी शुरू नहीं हुआ है। मिलेगा क्या ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : सामान्यतः इन उद्योगों में उन्हें दैनिक मजूरी मिल रही है अथवा धान से भूसा हटाने के उद्योग में, जो एक कुटीर उद्योग ही है, उन्हें अपना धान मिलता है, और जो कुछ वे लाभ कर लेते हैं, वह भी उन्हीं का होता है।

रबड़ रसायनों का निर्माण

+

†*१०९८. { **श्री सुबोध हंसदा** : **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री रा० चं० माझी** : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस गैर-सरकारी फर्म को रबड़ रसायनों का निर्माण करने के लिये लाइसेंस मिला था, उसने इस दिशा में कितनी प्रगति की है ;

(ख) देश में इन रसायनों की कितनी आवश्यकता है ;

(ग) क्या यह फर्म सम्पूर्ण मांग को पूरा कर सकेगी ; और

(घ) इस उद्योग को चलाने में कितनी विदेशी पूंजी लगेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) मशीन आदि के लिये, जिनके लिये फर्म को आयात लाइसेंस मिल गया है, आर्डर दे दिये गये हैं। इस कारखाने में १९६१ तक उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

(ख) इस समय प्रति वर्ष ९०० से लेकर १००० टन एक्सेलरेटर एन्टी आक्सीडेंटों की आवश्यकता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन की मांग संभवतः २५००—३००० टन प्रति वर्ष हो जायेगी।

(ग) फर्म को प्रति वर्ष २२५० टन तक के उत्पादन की क्षमता के लिये लाइसेंस दिया गया है। और यह आशा की जाती है कि देश की आवश्यकताएं पूरी हो जायेगी।

(घ) लगभग ४० लाख रुपये।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इन रबड़ रसायनों के निर्माण के लिये अपेक्षित मुख्य कच्चा सामान देश में उपलब्ध है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अधिकांश कच्चा माल उपलब्ध है और कुछ बाहर से मंगाना होगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से प्रतीत होता है इस समय देश में रसायनों की मांग ९०० से १००० टन प्रति वर्ष है। क्या इनका निर्माण देश में ही किया जाता है अथवा बाहर से मंगाये जाते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी ये सब बाहर से मंगाये जाते है। किन्तु ईस परियोजना के चालू होने पर इसमें लगभग २००० टन से २५०० टन तक रबड़ रसायन बनेंगे जिनसे देश लगभग आत्मनिर्भर हो जायेगा और कुछ निर्यात के लिये भी बच जायेगा।

†**श्री च० द० पाण्डे** : क्या प्राकृतिक रबड़ तथा शक्ति मद्यसार द्वारा बनी रबड़ के लिये भी कोई रसायन है और क्या कृत्रिम रबड़ के संबंध में आत्मनिर्भरता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक रसायनों का संबंध है, वे प्राकृतिक तथा कृत्रिम रबड़ के लिये एक से ही हैं और अभी तक देश में रबड़ उद्योग के लिये कोई भी रसायन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाया जाता। यह अपने किस्म का पहला कारखाना होगा ?

†**श्री वाजपेयी** : इस प्रस्तावित कारखाने के कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा तथा यह कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक हमें पता है, यह बिहार में स्थापित किया जायेगा तथा इसकी क्षमता लगभग २ करोड़ रुपये होगी।

†**श्री वाजपेयी** : इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग एक हजार व्यक्तियों को।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न संख्या ११००।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल क० चन्दा)** : श्रीमान्, अन्य दो संबंधित प्रश्न हैं। यदि आप अनुमति दें तो वे एक साथ ले लिये जायें। उनकी संख्यायें १११६ तथा १११९ हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि अन्य माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति न हो, तो उनका एक साथ उत्तर दिया जा सकता है।

†**एक माननीय सदस्य** : यह दोनों ही प्रश्न पंडित ठाकुर दास भार्गव के हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा किये गए निर्माण कार्यों का नियमितकरण

†*११००. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५६ में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा तृतीय प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के बाद दिल्ली में १५ अगस्त, १९५० से पहले विस्थापित व्यक्तियों के कब्जे में जो अनधिकृत भूमि थी उस पर किये गये निर्नाण कार्यों के नियमितकरण के बारे में—विशेषकर निम्न बस्तियों में—क्या प्रगति हुई है :—

(१) पूसा लेन
(२) सुभाष नगर
(३) मेन फैंज रोड
(४) नेहरू पर्वत
(५) अशोक नगर
(६) गुरु नानक पुरा
(७) तिलक नगर
(८) तिकोनी पहाड़ी
(९) अहाता किदारा
(१०) बापा नगर
(११) रंजीत नगर
(१२) मोती पहाड़ी
(१३) अमृत कौर पुरी
(१४) रोहतक रोड पर मोती नगर
(१५) अंधा मुगल
(१६) मोतिया खान डम्प
(१७) प्रेम नगर :

(ख) नियमितकरण सम्बन्धी कार्य की प्रगति इतनी धीमी होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रकार के निर्माण का नियमितकरण शीघ्रतापूर्वक करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है अथवा करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है? **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५]**

दिल्ली में सार्वजनिक भूमियों पर अनधिकृत कब्जा करने वाले विस्थापित व्यक्तियों का सर्वेक्षण

†*१११६. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९५० से पहले सार्वजनिक भूमियों पर अनधिकृत कब्जा करने वाले ९,००० विस्थापित परिवारों का सर्वेक्षण करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा और उस का परिणाम सभा-पटल पर कब तक रखा जा सकेगा ;

(ग) १५ अगस्त, १९५० से पहले सार्वजनिक भूमियों पर विस्थापित व्यक्तियों द्वारा बनाये गये कितने पक्के मकान सर्वेक्षण में शामिल किये गये हैं ; और

(घ) २९ सितम्बर, १९५१ को तत्कालीन निर्माण, आवास और संभरण मंत्री, श्री गाडगिल द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन को पूरा करने की दृष्टि से इस प्रकार बनाये गये पक्के मकानों का नियमितकरण करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]**

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण कार्यों के नियमितकरण के लिये समिति

†*१११९. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें दिखाई गई हों :—

(क) दिल्ली में १५ अगस्त, १९५० से पहले विस्थापित व्यक्तियों का जिस जमीन पर अनधिकृत कब्जा था उस पर किये गये निर्माण कार्यों का नियमितकरण करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय, पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिनिधियों, दिल्ली सुधार न्यास के अध्यक्ष, दिल्ली प्रशासन के सहायता और पुनर्वास विभाग के सचिव और दिल्ली प्रशासन के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की जो समिति बनाई गई थी उस की प्रारम्भ से ले कर अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ख) उस की सिफारिशों के परिणामस्वरूप (बस्ती-वार और वर्ष-वार) इस प्रकार के कितने निर्माण कार्यों का नियमितकरण किया गया है ;

(ग) ऐसे कितने निर्माण कार्यों की (बस्ती-वार) अभी जांच बाकी है ;

(घ) शेष निर्माण कार्यों की जांच कब तक पूरी करने का कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ङ) इन निर्माण कार्यों का शीघ्र ही नियमितकरण करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है अथवा करने का विचार रखती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). सरकारी भूमि पर विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से बनाये गये मकानों आदि की सूचियों की जांच करने की दृष्टि से मई १९५५ में एक समिति गठित की गई थी । अगस्त १९५५ में समिति

†मूल अंग्रेजी में

की दो बार बैठक हुई थीं। उस की सिफारिशों के फलस्वरूप किसी भी निर्माण कार्य को नियमानुकूल नहीं किया गया। अनुभव से यह प्रतीत हुआ कि इन मामलों की जांच करना समिति के लिये संभव नहीं है। अतः यह निश्चय किया गया कि सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण-कार्यों को नियमानुकूल बनाने के प्रश्न पर सम्बन्धित प्राधिकारियों अर्थात् दिल्ली विकास प्राधिकार, भूमि तथा विकास पदाधिकारी, नई दिल्ली नगरपालिका समिति तथा दिल्ली के नगर निगम द्वारा ही, जिन के प्रशासनिक नियंत्रण में वह भूमि थी, विचार किया जाये।

(ग) से (ङ). आज तारांकित प्रश्न संख्या ११०० और १११६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : माननीय मंत्री द्वारा रखे गये विवरण से प्रतीत होता है कि गत आठ से दस वर्षों में इन आश्वासनों के अनुसार काम नहीं किया गया है और जैसाकि माननीय मंत्री ने स्वयं अभी पढ़ कर सुनाया, विभिन्न प्राधिकारी हैं जिन से इस सम्बन्ध में बातचीत करनी होती है। वे विभिन्न प्राधिकार यह उत्तर देते हैं कि अन्य प्राधिकार इस विषय का निर्णय करेगा जिस से अन्ततोगत्वा इन प्राधिकारों के बीच, जिन्हें इस विषय में कोई निर्णय करना होता है, कोई तालमेल नहीं रहता। अतः क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या वे इस सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिये एक प्राधिकार नियुक्त करने की कृपा करेंगे ? भूतपूर्व उच्चायुक्त, श्री ए० डी० पंडित को इस प्रश्न पर विचार करना पड़ा था। उन को कई प्रार्थना-पत्र भेजे गये। उन को इस मामले से सहानुभूति थी और उन्होंने इस सम्बन्ध में कई आदेश भी जारी किये। क्या माननीय मंत्री इस विषय की जांच करने तथा इसे निबटाने के लिये श्री ए० डी० पंडित, संसद् के एक या दो सदस्यों, दो या तीन पदाधिकारियों, इंजीनियरों आदि की एक समिति नियुक्त करेंगे क्योंकि केवल ४०० या ५०० पक्के मकान हैं ? मैं यह नहीं मानता कि प्रत्येक मामले में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : माननीय सदस्य ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक लम्बा वक्तव्य दिया है और हम ने भी अपनी ओर से सभा-पटल पर दो विवरण रखे हैं। यह समस्या निस्सन्देह बड़ी जटिल है। यह भी सच है कि अनेक प्राधिकारियों को इस समस्या के अनेक पहलुओं पर विचार करना होता है। हम बहुत समय से पड़ी हुई इस समस्या की जटिलताओं को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उन का उचित हल ढूंढने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। हम माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करते हैं। उन को पता होगा कि श्री पंडित, जो दिल्ली के उच्चायुक्त थे, अब इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। अतः हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि हम अन्ततः किस प्रकार की समिति गठित करेंगे। उन्हों ने सुझाव दिया है कि एक ऐसी समिति गठित की जाये जिस के सभापति श्री ए० डी० पंडित हों तथा उस के सदस्य संसद् के दो या तीन सदस्य तथा कुछ अन्य व्यक्ति हों। मैं माननीय सदस्य को सुझाव देता हूं कि यह बात वे हम पर छोड़ दें किस प्रकार की समिति गठित की जाये अथवा इस समस्या को सुलझाने के लिये कौन नियुक्त किया जाये। मैं केवल यह सुझाव दे सकता हूं कि हम यथाशीघ्र इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : यह देखते हुए कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने जुलाई १९५८ में सरकार को अनधिकृत रूप से कब्जा करने के इन मामलों की सूचना दी थी और यह विचार किया गया था कि प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाये, इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : प्रश्न संख्या ११०० के सम्बन्ध में मैं ने जो विवरण सभा-पटल पर रखा है उस में मैंने कहा है कि अक्तूबर १९५९ में हम ने प्रविधिक लोगों की एक छोटी समिति नियुक्त की थी जिस में एक दिल्ली विकास प्राधिकार का प्रतिनिधि था, एक मंत्रालय का प्रतिनिधि था और एक नगर निगम का प्रतिनिधि था । उस ने अपनी रिपोर्ट पेश की है । ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत थोड़े मकानों को नियमानुकूल किया जा सकता है। हम इस रिपोर्ट पर सविस्तार विचार कर रहे हैं कि कहां तक उस पर अमल किया जा सकता है ।

†**श्री वाजपेयी** : जब तक दिल्ली की वृहत् योजना बन कर तैयार नहीं हो जाती, तब तक के लिये क्या ऐसे आदेश जारी कर दिये गये हैं कि इस बीच कोई भी नहीं निकाला जाये ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक इन लोगों का सम्बन्ध है, कोई भी नहीं निकाला गया है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जो आश्वासन दिये जा चुके हैं उन में कुछ सिद्धान्त निहित हैं और इन आश्वासनों को सभा में दोहराया गया है और दोनों माननीय मंत्रियों ने सभा में कहा है कि हम उन आश्वासनों को पूरा करेंगे । क्या इन आश्वासनों के आधार पर ही केवल निष्कासन के मामलों पर विचार किया जायेगा अथवा कुछ अन्य सिद्धान्तों के अनुसार भी काम किया जायेगा क्योंकि एक प्रश्न के उत्तर में विवरण में यह बताया गया है कि कुछ चीजों की जांच करने का काम दिल्ली विकास प्राधिकार को दिया गया था और कुछ की जांच करने का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को । मैं केवल यह चाहता हूं कि जिस रूप में आश्वासन दिये गये थे वे उसी रूप में इसी मंत्रालय तथा इन्हीं मंत्रियों द्वारा पूरे किये जायें ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हां, श्रीमान् । जहां तक सरकार के आश्वासनों का संबंध है उन को पूरा करना है ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं इतना और कहना चाहता हूं कि सारा उत्तरदायित्व मंत्रालय का है । हम उस उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं । यद्यपि इस विषय का सम्बन्ध तीन या चार प्राधिकारों से है किन्तु सारा उत्तरदायित्व हमारा है और इस सम्बन्ध में श्री गाडगिल ने जो आश्वासन दिया है उस से हम हटेंगे नहीं । इस मामले पर विचार करते समय हम इस आश्वासन का ध्यान रखेंगे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि माननीय मंत्रियों में से ही कोई प्रस्तावित समिति का सभापति बने ?

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि गृह मंत्रालय ने झुग्गियों और झोंपड़ियों के नाम से एक कमेटी नियुक्त की थी जिस ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस रिपोर्ट का असर इन बस्तियों पर भी पड़ेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : गृह-मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति दिल्ली में सरकारी भूमि पर झुग्गियों और झोंपड़ियों के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिये है ।

श्री नवल प्रभाकर : कमेटी के निर्णयों का असर इन कालोनीज़ पर भी पड़ेगा और अगर पड़ेगा तो इन लोगों को क्या यहां या कहीं और बसाने की कोशिश की जायेगी या नहीं की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : श्री गाडगिल द्वारा दिये गये आश्वासनों के अन्तर्गत जो लोग आ जाते हैं उन के बारे में वे आश्वासन पूरे किये जायेंगे और गृह मंत्रालय द्वारा जो समिति बनाई गई है वह दिल्ली में सरकारी भूमि पर कब्जा करने के सारे मामलों पर विचार करेगी । जो मामले गाडगिल के आश्वासन के अन्तर्गत आ जाते हैं उन के बारे में सर्वेक्षण किया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पुराने किले में रहने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में कई प्रश्न उठाये गये थे । इन लोगों का क्या होने जा रहा है, क्या वे वहीं रहेंगे अथवा उन को जंगपुरा में भूमि दी जायेगी ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : जहां तक पुराने किले की भूमि पर कब्जा करने वालों का सम्बन्ध है, हमारा उन से कोई सम्बन्ध नहीं । इसका प्रबन्ध पुनर्वास मंत्रालय कर रहा है । अतः मैं ठीक तरह से नहीं कह सकता कि क्या स्थिति है और क्या होगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री यह जानते हैं कि इन लोगों के सम्बन्ध में भूमि के बारे में कुछ झगड़ा था कि क्या उन्हें जंगपुरा में भूमि दी जा सकती है और अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया था कि प्रतिरक्षा, निर्माण, आवास और संभरण तथा पुनर्वास मंत्रालयों के बीच तालमेल रहना चाहिए । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रियों अथवा सचिवों की कोई बैठक हुई है और निर्णय किया गया है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : जहां तक मुझे स्मरण है मैं केवल इतना कह सकता हूं कि एक बार उन्हें जो भूमि दी गई थी उसके लिए उन्होंने इन्कार कर दिया था और बाद को सरकार ने उस भूमि को अन्य कार्य के लिए ले लिया । इसका ब्यौरा जानने के लिए माननीय सदस्य कृपया एक पृथक् प्रश्न की सूचना दें ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व जब प्रधान मंत्री हेलीकोप्टर से पुलिस के खेलकूद देखने के लिए गये थे तो उन्होंने उन क्षेत्रों को देखा था; यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने इस समस्या के हल के लिए कोई सलाह दी है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : प्रधान मंत्री महोदय कई विषयों के बारे में सलाह दे रहे हैं और निस्संदेह ही सम्बन्धित मंत्रालय उनका ध्यान रखते हैं और जो कुछ सम्भव होता है, करते हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या यह सत्य है कि इन में से बहुत सी बस्तियों के ले-आउट डी० डी० ए० ने तैयार कर लिए हैं ? यदि कर लिए हैं तो उनको कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : अक्तूबर १९५९ में हम ने जो समिति स्थापित की थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर हम ने डी० डी० ए० से उन क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने के लिए कहा है जहां क्वार्टरों को नियमानुकूल किया जा सकता है ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं जानना चाहता हूं कि इन में से कितनी बस्तियों के ले-आउट अब तक तैयार हो चुके हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मेरे विचार में इसका सम्बन्ध पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा रखे गये प्रथम प्रश्न में उल्लिखित दो या तीन क्षेत्रों के बारे में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में पाकिस्तानियों का अनाहूत प्रवेश

†*११०१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९६० के अन्तिम सप्ताह में तीन पाकिस्तानियों ने भारत की सीमा पार की और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने गोली चला दी जिस के परिणाम-स्वरूप पठानकोट तहसील के ढिंडी नामक गांव के निकट सीमा पार करने का प्रयत्न करते समय एक पाकिस्तानी मारा गया; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) २६ जनवरी, १९६० की रात को लगभग ११ बज कर १५ मिनट पर पंजाब पुलिस के एक दल ने तीन व्यक्तियों को पाकिस्तान से भारतीय सीमा में दाखिल होते हुए देखा । जब उन्हें रोकने का यत्न किया गया तो उन्होंने गोली चला दी । आत्म रक्षा के लिए पुलिस दल को भी गोली चलानी पड़ी । इस मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप उन में से एक व्यक्ति मारा गया और शेष दो व्यक्ति वापिस पाकिस्तान भाग गये ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : जिस व्यक्ति को मारा गया है, वह भारत की सीमा के कितने अन्दर आ गया था ?

†**श्री सादत अली खां** : मैं इसका उत्तर निश्चित रूप से मीलों में तो नहीं दे सकता, परन्तु मेरा विश्वास है कि उन्ह भुग नदी पार करते हुए देखा गया था । फिर भी मैं इस की जांच करूंगा ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमा में दाखिल होने के ऐसे मामले निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं, क्या सरकार ऐसा अनुभव नहीं करती कि भारतीय सीमा सुरक्षित नहीं है और सुरक्षा सम्बन्धी पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आप पूछना क्या चाहते हैं ?

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरहद की सुरक्षा के लिए क्या प्रबन्ध सरकार की तरफ से हो रहे हैं ताकि कोई भी विदेशी हिन्दुस्तान के अन्दर न आ सके ।

श्री सादत अली खां : वही सवाल हमारे दोस्त ने हिन्दी में किया । जनाब वाला जानते हैं कि इस से पहले कई बार प्राइम मिनिस्टर ने यहां कहा है इसके मुताल्लिक कि जहां तक हो सकता है, हर किस्म की हिफाजत का इन्तजाम वहां किया जा रहा है ।

श्री रघुनाथ सिंह : हमेशा सवाल का यही जवाब दिया जाता है कि हिफाजत का इन्तजाम किया जा रहा है, लेकिन हर महीने दो, तीन या चार केसेज इस तरह के होते हैं । इस के माने हैं कि हिफाजत का माकूल इन्तजाम नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री ने बताया है कि सभी प्रकार की सम्भव कार्य-वाहियां कर दी गयी हैं ।

यह सच है कि देश में दण्ड संहिता लागू है, परन्तु क्या उससे यह तात्पर्य है कि देश में कहीं भी चोरी नहीं होती । इसी प्रकार सीमा सुरक्षा के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाहियां करने पर भी कुछ न कुछ लोग चुपके से दाखिल हो जाते हैं और उसके लिए गोली चलानी पड़ जाती है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सादत अली खां** : इस अवसर पर तो केवल तीन ही व्यक्तियों ने भारतीय सीमा में प्रवेश करने का यत्न किया था। उन में से एक के पास एक राइफल, दूसरे के पास पिस्तोल और तीसरे के पास एक लाठी थी। जो व्यक्ति मारा गया है उसके पास कुछ पाकिस्तानी नोट और एक चिट थी। मेरा अनुमान है कि यह व्यक्ति किसी हस्पताल से इलाज करा कर आया था और उसने भारतीय सीमा में दाखिल होने का यत्न किया जिसके परिणाम स्वरूप वह मारा गया था। यह एक बहुत छोटा सा मामला था।

†**श्री महन्ती** : मैं इस सम्बन्ध में एक प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस प्रश्न का सम्बन्ध सीमावर्ती पुलिस और चौकियों से है जिनके लिए गृह कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के अन्तर्गत राशि की मांग की गयी है। अतः इस प्रश्न का उत्तर तो गृह-कार्य मंत्रालय को देना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री कुछ कह देते हैं और सभा चुपचाप सुनती रहती है। परन्तु वास्तव में सीमावर्ती पुलिस और चौकियों की स्थिति के सम्बन्ध में जवाब तो माननीय गृह-मंत्री को देना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों के पास छपी हुई पुस्तक है और वे स्वयं ही चुन लिया करें कि वे किस मंत्री से जवाब मांगना चाहते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : उस भारतीय सीमावर्ती पुलिस दल में कितने व्यक्ति थे और क्या एक व्यक्ति को मारने के बाद उन्होंने शेष दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार करने का यत्न किया था ?

†**श्री सादत अली खां** : शेष दो व्यक्ति भाग गये थे। जैसा कि मैंने पहले बताया है, यह बहुत मामूली सी घटना थी। मैं यह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि उस समय उस चौकी में कितने पुलिस के व्यक्ति थे।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या जो व्यक्ति मारा गया है, उसका सम्बन्ध किसी अपराधी दल से था अथवा उसका सम्बन्ध तस्कर व्यापार से था और क्या उसकी पहचान कर ली गयी है ?

†**श्री सादत अली खां** : जैसा कि मैं ने कहा है, उसका नाम इलाम दीन था। उसके पास एक चिट थी जिससे ज्ञात होता है कि वह चिट किसी अस्पताल द्वारा जारी की गयी थी। मैं नहीं समझता कि उसका सम्बन्ध किसी दल विशेष से है।

श्री अ० मु० तारिक : चूंकि यह हादसात अक्सर जम्मू काश्मीर और पंजाब की सरहद पर होते हैं और तकरीबन हर हफ्ते होते हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में हुकूमत हिन्दुस्तान ने क्या हुकूमत पाकिस्तान से कहा है कि वह इस किस्म के हमलों को अपनी तरफ से रोकने की कोशिश करे ?

श्री सादत अली खां : जी हां, पाकिस्तान की हुकूमत की तवज्जह कई बार दिलाई गई है कि वह ऐसे हादसात को रोकने की कोशिश करे।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : उस व्यक्ति के पास जो चिट थी उसमें क्या-क्या लिखा था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं और अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा खनन निगम

†*११०३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने उड़ीसा खनन निगम को १९५८-५९ में उसे (राज्य व्यापार निगम को) सम्भरण करने के लिए लोहे अथवा मैंगनीज अयस्क का कुछ कोटा मंजूर किया था;

(ख) क्या उड़ीसा खनन निगम ने सम्पूर्ण कोटे का सम्भरण कर दिया है;

(ग) क्या निगम को १९५९-६० में अब तक कुछ और कोटा आवंटित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां, लौह अयस्क के संभरण के लिए ठेके दिये गये थे ।

(ख) पारस्परिक स्वीकृत अनुसूची के अनुसार संभरण किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). २०,००० टन लौह अयस्क के संभरण के लिए ठेके दिये गये हैं ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा खनन निगम द्वारा राज्य व्यापार निगम को कितना लौह अयस्क संभरित करना था ?

†**श्री कानूनगो** : १९५७ में किये गये ठेके के अनुसार १९६० तक ८००० टन लौह अयस्क का संभरण किया गया था।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम उड़ीसा खनन निगम के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी लौह अयस्क खरीद रहा है, क्योंकि उड़ीसा खनन निगम के लौह अयस्क की उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक है ?

†**श्री कानूनगो** : राज्य व्यापार निगम बहुत से स्थानों से लौह अयस्क खरीद रहा है जिनमें उड़ीसा खनन निगम भी सम्मिलित है। निगम उसी क्षेत्र में उड़ीसा खनन निगम के अतिरिक्त खान मालिकों से भी लौह अयस्क खरीद रहा है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि लौह अयस्क निकालने के पट्टे उड़ीसा खनन निगम को दिये गये हैं परन्तु उड़ीसा खनन निगम द्वारा जो कि एक सरकारी फर्म है, लौह अयस्क का उत्पादन करने पर आने वाली लागत गैर-सरकारी फर्मों की उत्पादन कीमत से अधिक है ? इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री कानूनगो** : हमें उत्पादन कीमत के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं है। जहां तक राज्य व्यापार निगम का सम्बन्ध है, वही दरों के सम्बन्ध में निर्णय करता है और जो फर्में उन दरों को स्वीकार कर लेती हैं, वहां से वह लौह अयस्क खरीद लेता है। जहां तक उड़ीसा खनन निगम की उत्पादन लागत का सम्बन्ध है, वह निगम से यह इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय से प्राप्त हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : १९५८–५९ में राज्य व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा खनन निगम से कुल कितना लौह अयस्क खरीदा गया था और अन्य स्थानों से कितना लौह-अयस्क खरीदा गया था ?

†**श्री कानूनगो** : जहां तक अन्य स्थानों से खरीदे गये अयस्क का सम्बन्ध है, इस बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। परन्तु उड़ीसा खनन निगम ने १९५८–५९ में एक खनन क्षेत्र से २७,००० टन और दूसरे क्षेत्र से ७००० टन अयस्क का संभरण किया था। दूसरे ठेके के लिये अन्तिम तिथि ३० सितम्बर, १९६० है और उसमें अभी काफी समय है।

ऊन के लच्छे और बालों का धागा (हेयर यार्न)

†*११०४. **श्री मनायन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालों के पट्टे (हेयर बेल्टिंग) तैयार करने के लिये प्रतिवर्ष ऊन के लच्छे (वूल टॉप्स) और बालों के धागों (हेयर यार्न) का कितनी मात्रा में आयात किया जाता है ;

(ख) क्या बालों का धागा बालों के पट्टों के वास्तविक निर्माताओं द्वारा काता जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या बालों के धागों के अपर्याप्त और अनियमित संभरण के कारण बाला के पट्टे बनाने के उद्योग पर बड़ा बुरा असर पड़ता है ; और

(घ) क्या सरकार बालों के पट्टों के कुछ निर्माताओं को बालों का धागा तैयार करने के लिये ऊन के लच्छों का आयात करने का लाइसेंस देने के बारे में विचार कर रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

१९५७, १९५८ और १९५९ (जनवरी से नवम्बर) में कुल क्रमशः १६२·७ लाख, १५९·० लाख और १४२·३ लाख टन ऊन के लच्छों का आयात किया गया था। परन्तु यह ज्ञात नहीं हुआ है कि इसमें कितनी मात्रा का उपयोग बालों के पट्टे बनाने में किया गया था, क्योंकि ऊन के लच्छों का उपयोग सभी प्रकार के ऊनी कपड़ों, होजरी के धागे, बुनाई के ऊन तथा बालों के धागे में मिला कर बालों के पट्टों के उद्योग के लिये किया जाता है। बालों के धागे के आयात के सम्बन्ध में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस मद का आयात व्यापार सम्बन्धी वर्गीकरण के अलग रूप से नहीं दिखाया जाता।

(ख) से (ग) . जी, नहीं।

†**श्री मनायन** : क्या यह सच है कि बालों के पट्टों के लिये आवश्यक सम्पूर्ण ऊन के लच्छों को बाहिर से मंगाया जाता है और यदि हां, तो इस प्रकार के ऊन के लच्छों तथा आयात किये जाने वाले बालों के पट्टों के धागे की कीमतों में कितना अन्तर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : जितने भी ऊन के लच्छों की जरूरत होती है, उसे बाहिर से ही मंगवाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में लम्बे रेशे का ऊन नहीं होता। जहां तक कीमत का सम्बन्ध है, प्रत्येक किस्म की अलग अलग कीमतें हैं और यह इस बात पर निर्भर करती है कि किसी विशेष प्रकार के हेयर बेल्टिंग धागे के निर्माण के लिये किस किस्म के ऊन के लच्छे की जरूरत है।

†**श्री मनायन** : क्या यह है सच कि हेयर बेल्टिंग के लिये आवश्यक ऊन के लच्छों का प्रशुल्क के बिना ही आयात किया जाता है? क्या यह भी सच है कि इस प्रयोजन के लिये मंगाये जाने वाले ऊन के लच्छों को अन्य काम में इस्तेमाल किया जा रहा है?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया जा चुका है विशेष रूप से केवल हेयर बल्टिंग के धागे के लिये ऊन के लच्छों का आयात नहीं किया जाता है। ऊनी वस्तुओं को तैयार करने के सम्पूर्ण उद्योग को ऊन के लच्छे संभरित किये जाते हैं। तीन यूनिटों में हेयर बेल्टिंग उद्योग के लिये धागा तैयार किया जा रहा है। इसलिये यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि केवल हेयर बेल्टिंग के लिये मंगाये जाने वाली ऊन का अन्य प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल किया जाता है।

लद्दाख में चंगा पर पुल

+

†*११०५. { **श्री सै० अ० मेहदी** :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीनियों ने लद्दाख में चंगा का एक पुल नष्ट कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). जी, नहीं।

†**श्री प्र० गं० देव** : यह पुल लेह से कितनी दूर है ?

†**श्री सादत अली खां** : यह पुल भारतीय क्षेत्र के अन्दर है। यह चुसूल पर सीमा से लगभग ८५ मील की दूरी पर है।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या चीनी सेनाओं ने पुल को कुछ भी नुक्सान नहीं पहुंचाया था ?

†**श्री सादत अली खां** : पुल को नुक्सान तो हुआ था, परन्तु चीनी सेनाओं द्वारा नहीं।

†**श्री महन्ती** : उसे किसने नुक्सान पहुंचाया था ?

†**श्री सादत अली खां** : जम्मू तथा काश्मीर सरकार इस सम्बन्ध में जांच कर रही है।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या सरकार को उस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है कि इस पुल को चीनियों ने नहीं अपितु एक स्थानीय ठेकेदार ने नुक्सान पहुंचाया था ताकि वह आलोचना से बच जाये क्योंकि वह पुल ठीक प्रकार से नहीं बनाया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां** : मैं कुछ नहीं कह सकता। जम्मू तथा काश्मीर सरकार इस बारे में जांच कर रही है और आशा है कि जांच शीघ्र ही पूरी हो जायेगी ?

†**श्री पु० र० पटेल** उस पुल को नुक्सान कब हुआ था और जांच कब आरम्भ की गयी थी और अभी तक उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : पुल वास्तव में १० जनवरी, १९६० को दोपहर के २ बजे और तीन बजे के बीच जलाया गया था। जांच चल रही है। मैं यह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि जांच कब प्रारम्भ की गयी थी।

†**श्री वाजपेयी** : यह जांच कौन कर रहा है और पुल को कितना नुक्सान हुआ था ?

†**श्री सादत अली खां** : वह पुल जला दिया गया था। प्रश्न के दूसरे भाग के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जम्मू और काश्मीर सरकार पुल के सम्बन्ध में जांच कर रही है, प्रश्न का उत्तर नकारात्मक क्यों दिया गया है ?

†**श्री सादत अली खां** : जहां तक पुल को जलाने के चीनी षडयन्त्र का सम्बन्ध है जम्मू तथा काश्मीर सरकार नहीं समझती कि उसमें चीनी लोगों का कोई हाथ है। किसी और व्यक्ति ने ऐसा किया है और वह सरकार उसकी जांच कर रही है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार ने उस पुल की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री सादत अली खां** : मेरा अनुमान है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करेगी।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या कोई कार्यवाही की गयी है।

†**श्री सादत अली खां** : मैं नहीं कह सकता।

आण्विक संयंत्र

†*११०६. **श्री श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैस्टिंग हाउस इन्टरनेशनल एटामिक पावर कम्पनी के चेयरमैन, जनरल के० डी० निकोल्स और भारतीय अणुशक्ति आयोग के प्रधान, डा० एच० जे० भाभा, एवं अन्य पदाधिकारियों में भारत में आण्विक संयंत्रों की स्थापना के बारे में बात चीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ?

(ख) वह बातचीत सामान्य प्रकार की थी जिसमें अणु शक्ति संयंत्रों के विभिन्न रूप तथा आकार के बारे में विचार किया गया था। कोई विशेष सुझाव नहीं दिये गये थे और इसलिये कोई भी वचन नहीं दिये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वेस्टिंग हाउस इन्टरनेशनल एटामिक पावर कम्पनी के चेयरमैन तथा भारतीय आण्विक शक्ति आयोग के प्रधान के बीच जो बातचीत हुई थी, इस का सम्बन्ध भारतीय पश्चिमी तट पर स्थापित किये जाने वाले प्रथम नाभिकीय शक्ति केन्द्र के सम्बन्ध में था ?

†**श्री सादत अली खां** : जनरल निकोलस भारत में आणविक शक्ति आयोग के कार्यों तथा भारत की अणुशक्ति के सम्बन्ध में अध्ययन करने और यह देखने के लिये आये थे कि भारत में आणविक शक्ति केन्द्रों की स्थापना के कार्य में उन की कम्पनी भारत को कितनी सहायता कर सकती है । इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया ।

†**श्री महन्ती** : क्या सरकार ने आणविक शक्ति संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में कोई दृढ़ निश्चय किया है ? हमें ज्ञात हुआ है कि इसी प्रयोजन के लिये एक ब्रिटिश दल भी भारत आया था । सरकार इस संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में कितने देशों के साथ बातचीत कर रही है ?

†**श्री सादत अली खां** : जहां तक वेस्टिंग हाउस कम्पनी के चेयरमैन का सम्बन्ध है, उन के साथ कोई भी निर्णय नहीं किया गया । दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री महन्ती** : प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता कितनी होगी ? क्या उस की क्षमता ३०० मेगा यूनिट होगी या कि २५० मेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस के लिये अलग प्रश्न की पूर्व सूचना दें ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार अणुशक्ति के निर्माण के अतिरिक्त किसी और प्रयोजन के लिये भी आणविक शक्ति संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती है ?

†**श्री सादत अली खां** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि सरकार इन नाभिकीय शक्ति स्टेशनों के निर्माण के लिये सारे संसार से टेण्डर मंगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण विश्व केवल इन्हीं दो देशों अर्थात् फ्रांस और ब्रिटेन तक सीमित है ?

†**श्री सादत अली खां** : मैं इस का उत्तर नहीं दे सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रश्न केवल एक सज्जन के आगमन के सम्बन्ध में पूछा गया था और यह उत्तर दे दिया गया है कि वे हमारी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में स्थिति जानने के लिये आये थे । शेष प्रश्न यहां पर उत्पन्न नहीं होते ।

तिलक नगर, नई दिल्ली में तिहाड़ के ग्रामीण

†*११०७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग दो वर्ष पहले वर्षा ऋतु में तिहाड़ ग्राम के ४००–५०० परिवारों को तिलक नगर, नई दिल्ली में अस्थायी रूप से रखने की जगह दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब उन ग्रामवासियों को उन क्वार्टरों में से उन व्यक्तियों द्वारा निकाला जा रहा है जिन्हों ने उन क्वार्टरों को खरीद लिया है ; और

---

†नून अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो तिहाड़ के लोगों के रहने के लिये अब कौन सी दूसरी जगह पर स्थान देने का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन परिवारों ने अनधिकृत रूप से वर्षा पीड़ित होने के बहाने क्वार्टरों पर कब्जा कर रखा था उन के क्वार्टरों को नीलाम किया गया था और संभवत: उन व्यक्तियों को खरीद-दारों द्वारा निकाला जा रहा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या यह सच नहीं है कि ये व्यक्ति जिन्हें सरकार द्वारा तिहाड़ गांव से हटाया गया था, विस्थापित व्यक्ति हैं और उन्हें ये क्वार्टर उस समय दिये गये थे जबकि तिहाड़ के मकान वर्षा से टूट फूट गये थे ? यदि हां, तो क्या उन्हें कोई और स्थान दिया जा रहा है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : वास्तव में ये व्यक्ति वर्षा-पीड़ित व्यक्ति नहीं थे । इन्हों ने अनधिकृत रूप से क्वार्टरों पर कब्जा जमा रखा था । उन व्यक्तियों को तिलकनगर तथा तिहाड़ में कोई और स्थान देने के लिये, वास्तविक वर्षा पीड़ित व्यक्तियों के कब्जे को नियमित बनाया जा रहा है, परन्तु जिन्हों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था, उन के कब्जे को नियमित नहीं बनाया जा रहा है ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : आप ने मेरा प्रश्न नहीं समझा । मैं यह कह रहा था कि ये सभी परिवार विस्थापित व्यक्ति हैं । उन्हें तिहाड़ गांव में स्थान दिया गया था, परन्तु वे मकान वर्षा के कारण नष्ट हो गये थे । अब जब उन्हें तिलक नगर के क्वार्टरों से निकाला जा रहा है, क्या उन्हें कहीं और स्थान दिया जा रहा है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : स्थिति यह है कि लगभग २०० परिवार ऐसे थे जिन्हें १९५५ में भारी वर्षा के कारण कष्ट उठाने पड़े । उन्हें तिलकनगर के क्वार्टरों में स्थान दिया गया था । उन्होंने मंत्रालय से यह निवेदन किया था कि उन के क्वार्टरों के आवंटन को नियमित बना दिया जाये और हम ने उन की प्रार्थना स्वीकार कर ली । परन्तु मंत्रालय अनधिकृत कब्जे वाले लोगों की जिम्मेवारी नहीं लेता ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : मेरे प्रश्न को अभी तक नहीं समझा गया है ।

†श्री पू० शे० नास्कर : मैं इस सम्बन्ध में यह भी बता देना चाहता हूं कि य अनधिकृत व्यक्ति बिना किराये की अदायगी के और बिना मंत्रालय की अनुमति के उन क्वार्टरों में रहते रहे हैं । अब वे तिहाड़ में वापिस जाना चाहते हैं क्योंकि उस बस्ती का अब दिल्ली निगम द्वारा विकास किया जा रहा है । क्योंकि ये व्यक्ति यहां पर इतने समय तक बिना किराये और बिना अनुमति के रहते रहे हैं और अब वे नीलामी पर बेच भी दिये गये हैं, इसलिये खरीदार अब उन्हें खाली कराना चाहते हैं । अब तो यह मामला उन नागरिकों का आपसी मामला है । वे वापिस तिहाड़ जाना चाहते हैं जिस के लिये मंत्रालय इस समय जिम्मेवारी नहीं ले सकता ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : वे पहले तिहाड़ में निष्क्राम्य मकानों में रहते थे । उन मकानों के वर्षा से टूट जाने पर उन्हें इन क्वार्टरों में स्थान दिया गया था । क्या अब उन्हें किसी और स्थान पर बसाया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पू० शे० नास्कर** : १९५५ में भारी वर्षा के कारण तिहाड़ के जितने भी विस्थापित व्यक्तियों को तिलक नगर में क्वार्टर दिये गये थे, अब उन के कब्जे को नियमित बना दिया गया है। परन्तु ये लोग तो अनधिकृत व्यक्ति हैं, ये वास्तव में वर्षा पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि सन् १९५५ में जो तिहार गांव के रेफ्यूजीज़ के मकान गिर गये थे और वे तिलक नगर में जा कर बैठ गये थे तो उन को मिनिस्ट्री की ओर से लिखित रूप में यह आश्वासन दिया गया था कि उन से कोई किराया नहीं लिया जायेगा और कोई रेंट नहीं चार्ज किया जायेगा तो अब उन को नोटिस क्यों दिये जा रहे हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इन व्यक्तियों को, जिन्हें तिलक नगर के क्वार्टरों में भेजा गया था, और जोकि एलाटमेंट के नियमों के अधीन मकान प्राप्त करने के अधिकारी थे, उन्हें ये क्वार्टर नियमित रूप से आवंटित कर दिये जायेंगे। उन के सम्बन्ध में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है जिस को नियमों के अधीन अनुमति नहीं है।

†**श्री नवल प्रभाकर** : जब मिनिस्ट्री ने यह लिख दिया था कि उनसे कोई रेंट चार्ज नहीं किया जायेगा, उन को लिख कर यह दिया हुआ है, तब उस के बाद अब यह रेंट क्यों चार्ज किया जाता है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : माननीय सदस्य की प्रार्थना है कि वे इस बारे में मुझे लिखें, म निश्चित रूप से इस मामले के बारे में पूछताछ करूंगा।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस का उत्तर क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर तो स्पष्ट है, माननीय मंत्री को ज्ञात नहीं है कि क्या यह किराया लिया गया था या नहीं। यदि इन मामलों की ओर उन का ध्यान आकृष्ट किया जाये तो वे इस बारे में पूछताछ करेंगे।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : माननीय सदस्य इस बारे में मुझे लिखें और मैं सविस्तार उत्तर लिख दूंगा।

भोपाल राजधानी परियोजन

\+

†*१११४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री पद्म देव :

क्या **योजना** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल राजधानी परियोजना के लिये व्यय के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). भोपाल राजधानी परियोजना के कार्यवहन दल ने, जोकि दिसम्बर, १९५८ में योजना आयोग द्वारा भेजा गया था, हाल ही में अपने सुझाव पेश किये हैं और वे सुझाव राज्य सरकार के पास भेज

---

†मूल अंग्रेजी में

दिये गये है । कार्यकारी दल ने यह सिफ़ारिश की है कि राजधानी परियोजना के लिये १३.२५ करोड़ रुपये निर्धारित किये जायें, जबकि प्रारम्भ में १९.०५ करोड़ रुपयों के खर्च का अनुमान लगाया गया था । इस दल ने भोपाल नगर के लिये एक वृहद योजना बनाने, विभिन्न प्रावस्थायें तैयार करने, निर्माण कार्यक्रम के लिये प्राथमिकता निर्धारित करने और परियोजना को अन्य मामलों के सम्बन्ध में भी सुझाव दिये हैं ?

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस परियोजना पर आने वाले खर्च में से कितना खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : केन्द्रीय सरकारी सहायता के रूप में कोई विशेष सहायता तो नहीं दी जायेगी । पर राज्य सरकार की वार्षिक योजना के रूप में होगी और उस के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से आवश्यक सहायता दी जायेगी ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्थापित गुजरात राज्य की नई राजधानी के लिये केन्द्र की ओर से सहायता दी जा रही है, तो भोपाल के लिये मध्य प्रदेश सरकार को वैसी सहायता देने से इन्कार क्यों किया जा रहा है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हमें अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ है कि क्या गुजरात की राजधानी के लिये कोई केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक भोपाल के बनाने का सम्बन्ध है, क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार उस नीति का पालन करेगी कि जो उस ने भुवनेश्वर और चंडीगढ़ के सम्बन्ध में की थी और जितने रुपये की योजना केन्द्रीय सरकार के पास आई है, उस में से कितना हिस्सा केन्द्रीय सरकार से मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त हो सकेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक भुवनेश्वर और चंडीगढ़ का सवाल है, उन दोनों स्थानों को भारत सरकार से कुछ रुपया मिला था, परन्तु वह प्रथम पंच-वर्षीय योजना के बीच में मिला था । इधर द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के समय से किसी को भारत सरकार की तरफ़ से मदद के रूप में रुपये नहीं दिये जा रहे हैं । जहां तक अभी तक देने का सवाल है, अभी तक १९५६-५७ में २० लाख रुपये मिले थे और १९५७-५८ में १२० लाख रुपये मिले थे ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जब १३ करोड़ की योजना है, उस में जो ये रकमें केन्द्रीय सरकार से मिल रही हैं, ये कितनी कम हैं और इस प्रकार से भोपाल के बनते बनते कितना समय लग जायेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : १९६३-६४ तक आते आते सारा काम समाप्त हो जायेगा । यह रिपोर्ट युनैनिमस है । इस में प्रान्तीय सरकार के लोग भी थे और उन्होंने इस को मान लिया है कि इस कार्यक्रम के मुताबिक यह काम हो सकेगा ।

श्री पद्म देव : भोपाल नगर के प्रारम्भिक कार्य करने के लिए जो अथारिटी मुकर्रर की गई है, उस ने अभी तक कितना व्यय किया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : भोपाल सरकार ने अभी तक करीब ५०९ लाख रुपया खर्च किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जांगड़े : भोपाल राजधानी योजना का काम पूर्ण कब तक होगा और इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय शासन ने जो अनुदान दिया है उस में लोन कितना है और अनुदान की राशि कितनी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक कार्यक्रम का सवाल है, यह काम १९६३-६४ तक पूरा होगा और अनुदान इस में नहीं है। वे सालाना योजना बना कर लायेंगे और उस में जो रहेगा उस के मुताबिक उन को सहायता दी जायगी ।

†**श्री पु० र० पटेल** : यह कहा गया है कि चंडीगढ़ के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता दी गयी थी। और भोपाल की राजधानी के लिए भी सहायता दी जायेगी। क्या गुजरात की राजधानी के लिए भी वैसी सहायता दी जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या राजधानी परियोजना रिपोर्ट में भोपाल में अत्यधिक महंगी इमारतों के निर्माण के सम्बन्ध में भी कुछ उल्लेख है ? यदि हां, तो उसके बारे में कैसे टिप्पण है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जहां तक भोपाल की राजधानी की परियोजना का सम्बन्ध है, उसमें अत्यधिक महंगी इमारतों के निर्माण का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वह समिति तो यह देखने के लिए नियुक्त की गयी थी कि निर्माण कार्य में कितनी बचत की जा सकती है, और उसने यह सुझाव दिया है कि ५ करोड़ रुपयों की बचत की जा सकती है।

श्री विभूति मिश्र : क्या केन्द्रीय सरकार ने भोपाल सरकार को कोई निर्देश दिया है कि इतनी रकम से ज्यादा वह अपना कैपिटल बनाने पर खर्च न करे ? उस ने कम से कम कितना खर्च करने का निर्देश दिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस बारे में कोई लकीर तो खींची नहीं जा सकती है। उन की योजना आई थी और उसकी जांच हुई थी। सब ने एक मत से यह तय किया कि लगभग १३ करोड़ से उन का काम चल सकता है।

†**डा० मा० श्री अणे** : क्या इस बात का अनुमान लगाया जा सकता कि सम्पूर्ण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। प्रावस्थाओं के अनुसार कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया है और आशा है कि यह कार्य १९६३-६४ तक पूरा हो जायेगा।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस राजधानी के बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई अनुदान चाहा ही नहीं था और यदि चाहा था तो फिर केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई ? जो वर्किंग ग्रुप नियुक्त किया गया था, उसके कर्तव्यों में से एक यह भी था कि वह यह भी देखे कि इस के लिए केन्द्रीय अनुदान की जरूरत भी है या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस ने इस सम्बन्ध में क्या राय दी है।

श्री ल० ना० मिश्र : यह तो नहीं कहा जा सकता कि अनुदान राज्य सरकार नहीं चाहती। इस की मांग है, लेकिन देना कठिन है, क्योंकि सिद्धान्त की बात हो जाती है, लेकिन यह भी सही है कि वे भी राजी हैं कि इस रूप में इस कार्य का कार्यान्वयन हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभ्रक का निर्यात

†*१११५. श्री विभूति मिश्र :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ के दौरान में भारतीय अभ्रक के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). १९५९ में बिना तैयार किये गये अभ्रक और अभ्रक से तैयार वस्तुओं का निर्यात ११.१५ करोड़ रुपये का था, जबकि १९५८ में १०.२० करोड़ रुपये का था।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि अच्छी तरह से माइका खान से निकाला जाये, इसके लिए क्या कामर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री कोई खास तवज्जह देती है।

श्री सतीश चन्द्र : माइका वालों की अपनी एसोसियेशन है और माइका निकालने का जहां तक ताल्लुक है, वह माईनिंग मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखता है और वे इस पर ग़ौर करते हैं। माइका की एक एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल है। वे भी इन चीज़ों पर विचार करते हैं और वे आपस में बैठ कर सोचते हैं कि किस तरह काम को अच्छी तरह किया जाये।

श्री विभूति मिश्र : जो माइका के प्राइवेट ठेकेदार हैं, उन से माइका इंडस्ट्री को नुक्सान पहुंचा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस इंडस्ट्री को अपने कब्जे में लेना चाहती है।

श्री सतीश चन्द्र : माइन्ज़ का इन्तज़ाम इस मिनिस्ट्री से नहीं होता है। हम तो एक्सपोर्ट से ताल्लुक रखते हैं। अगर माननीय सदस्य इस बारे में ज्यादा इत्तिला चाहते हैं, तो वह माइन्ज़ मिनिस्टर से यह सवाल पूछें।

†श्री श्रीनारायण दास : १९५९ में जिन देशों के लिए अभ्रक का निर्यात बढ़ा है, मैं उनके नाम जानना चाहता हूं।

†श्री सतीश चन्द्र : निर्यात में सामान्यतया वृद्धि हुई है। मैं पहले आंकड़े बता चुका हूं। यहां मेरे पास एक विवरण है। जापान, चीन और चैकोस्लोवाकिया के लिए निर्यात में वृद्धि हुई है।

श्री पद्म देव : अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि अभ्रक का निर्यात बढ़ रहा है। क्या वह इस बात की ओर संकेत करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में अभ्रक बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसके लिए प्रयत्न किया जायेगा कि इस के द्वारा वहां के लोगों को रोज़गार का एक साधन मिल, सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सतीश चन्द्र : अगर हिमाचल प्रदेश के लोग अभ्रक निकालें और उस की क्वालिटी अच्छी हो, तो हम उस के निर्यात का जरूर प्रयत्न करेंगे ।

मैंने जो मुल्कों के नाम बताये ह उन में यू० एस० एस० आर० (रूस) का नाम रह गया है। उस के लिए माइका का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा है ।

श्री म० ला० वर्मा : माननीय मंत्री ने, जहां तक विकास का ताल्लुक है, माइन्ज मिनिस्ट्री पर वजन डाल दिया है, लेकिन अभ्रक जिस मकसद के लिए विदेशों में जा रहा है, उसके उपयोग के लिए यहां पर कारखाने लगाये जा सकते हैं, उस का उपयोग यहां पर किया जा सकता है, क्या इस पर विचार किया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : अभ्रक, ज्यादातर बिजली के जो यंत्र बनते हैं, उस में काम में आता है । बिजली के यंत्रों को बनाने के काम को बढ़ाने का देश में बराबर प्रयत्न किया जा रहा है । भोपाल में हैवी इलैक्ट्रिकल्ज बन रहा है, उस को डबल किया जा रहा है । और भी कोशिश की जाती है । जितना जितना बिजली का काम हिन्दुस्तान में बढ़ता जायगा, माइका का भी इस्तेमाल उतना बढ़ता जायेगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि यद्यपि अभ्रक का निर्यात बढ़ गया है, पिछले वर्ष की अपेक्षा आय में कमी हो गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह बात बिना तैयार किये गये अभ्रक के बारे में सच नहीं है । यद्यपि तैयार अभ्रक के निर्यात से प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक है, यह सच है कि मूल्य गिर गये थे और दाम १९५८ की तुलना में १५५९ में कम थे ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : आगामी वर्ष में अभ्रक निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या विशेष उपाय किये है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : एक अभ्रक निर्यात वृद्धि परिषद है जो बाजार का सर्वेक्षण करने का प्रयत्न करती है दूसरे देशों में अभ्रक का स्थान लेने वाले कुछ अन्य पदार्थ तैयार हो रहे हैं, इस कारण कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं । अभ्रक निर्यात संवर्धन परिषद् यह अनुसन्धान कर रही है कि अभ्रक का और ढंग से उपयोग किया जा सके, और यह नवीन बाजार ढूंढ़ने का भी प्रयत्न कर रही है । हम बहुत से उन देशों को इसका निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जहां हमने पहले इस का निर्यात नहीं किया ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की रफ्तार को जिस तरह से वह बढ़ रही है, देख कर क्या सरकार माइका के निर्यात को रोकना चाहती है ? माइका के ऊपर भारत का एकाधिकार है और अगर वह यहां ज्यादा खर्च हो जायेगा, तो बाहर भेजने के लिये माइका कम रह जायगा । ऐसी हालत में क्या उस पर सरकार नियंत्रण करने का विचार कर रही है ?

श्री सतीश चन्द्र : रोकने का कोई विचार नहीं है । जितने माइके की मुल्क को जरूरत है, उतना यहां रखा जायेगा और बाकी जो बच रहता है, उस के लिये तो हम कुछ सोचते हैं और निर्यात करने की कोशिश करते हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : माननीय मंत्री ने कहा है कि निर्यात किये गये अभ्रक का मूल्य कम हो गया है । मैं इस के कारण जानना चाहता हूं । क्या निर्यात में कमी हो गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : तैयार अभ्रक का मूल्य कम हो गया है । मैंने अभी बताया है कि इस का एक कारण यह है कि अभ्रक का स्थान लेने वाले कुछ अन्य पदार्थ बनने लगे हैं । दूसरे संश्लिष्ट धातु कुछ हद तक अभ्रक का स्थान ले रही हैं ।

श्री राम सिंह भाई वर्मा : क्या यह सत्य है कि बाहर की मांग और देश की मांग के अनुसार माइका का उत्पादन नहीं हो रहा है, कम उत्पादन हो रहा है ?

श्री सतीश चन्द्र : उत्पादन कम नहीं हो रहा है । मुल्क में भी मांग बढ़ती जाती है और एक्सपोर्ट भी अधिक हो रहा है । इस का साफ मतलब यह है कि उत्पादन भी बढ़ रहा है ।

श्री राम सिंह भाई वर्मा : मेरा मतलब यह है कि जितने माइका की बाहर के मुल्कों में डिमांड है और जो देश की खपत है, उस के परिमाण में माइका निकालने के काम में प्रगति नहीं हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वह कम परिमाण में हो रहा है ।

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने अर्ज़ किया है कि जितनी मुल्क की मांग है, वह हम पूरी करते हैं और जो एक्सपोर्ट है वह भी बढ़ता जाता है । इस वास्ते माननीय सदस्य की यह धारणा कि उत्पादन कम हो गया है, सही नहीं है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच नहीं है कि माइका माइनर्स एसोसिएशन ने तैयार अभ्रक सम्बन्धी सरकार की निर्यात नीति के प्रति विरोध प्रकट किया है ? क्या इस ने कोई कार्रवाई करने का सुझाव दिया है जिस से विदेश में तैयार अभ्रक के दाम स्थिर रहें ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुझे किसी विरोध का पता नहीं । यदि माननीय सदस्य कोई मामला विशेष हमें बतायेंगे, तो हम अवश्य उस की जांच करेंगे ।

डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों का अमरीका को निर्यात

†*११९७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका खाद्य, भेषज और शृंगार प्रसाधन अधिनियम में एक संशोधन के अन्तर्गत, जोकि ५ मार्च, १९६० से लागू हो गया है और जिस की भारत से डिब्बों में बन्द पदार्थों के अमरीका को निर्यात पर बड़ी गम्भीर प्रतिक्रिया हुई है, अमरीका ने डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ख). ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया, किन्तु संशोधक अधिनियम आयात का इस प्रकार विनियमन करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को माल निर्यात करने वाले देश में माल बन्द करने वाले लोग केवल ऐसी वस्तुओं को ही मिलायें जिन की जांच स्वास्थ्य रक्षा के हेतु संयुक्त राज्य खाद्य तथा भेषज प्रशासन द्वारा पर्याप्त रूप में की गई हो । जहां तक हमें मालूम है, भारतीय निर्यातक केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो पहले से अनुमोदित सूची में हैं । यदि इस अधिनियम को लागू करने से कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो संयुक्त राज्य के सम्बद्ध अधिकारियों की सलाह से उन को हल करने के उपाय मालूम किये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : अमेरिका को भारत से डिब्बे में बन्द खाद्य वस्तुओं का कितना निर्यात किया जाता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: एक वर्ष में लगभग ७१ लाख रुपये का सामान भेजा गया जिस में मुख्य भाग मछली उत्पाद हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह**: जब से यह संशोधन लागू हुआ है तब से क्या अमेरिका से कोई आर्डर प्राप्त हुआ है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: यह अधिनियम अभी हाल में ही पास हुआ है और यह ६ मार्च १९६० को लागू हुआ । यह सूचना इतनी जल्दी नहीं दी जा सकती ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : १९५९ में, यह संशोधन वहां किया गया था । क्या इस संशोधन के पास होने के पश्चात् भारत को कोई आर्डर मिला ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: भारत को आर्डर मिलते रहे हैं । यह अधिनियम ६ मार्च को लागू हुआ है । यह बात नहीं कि अधिनियम लागू नहीं था, अतः हम निर्यात करते रहे हैं । वास्तव में मैंने जो आंकड़े बतायें हैं, उन से यह पता चलता है कि निर्यात बढ़ रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : भारत अभी तक अनुमोदित सूची के अनुसार डिब्बे में बन्द खाद्य पदार्थ तैयार कर रहा था । अब प्रतिबंध लगाने वाली नीति आ गई है और इस ने अनुमोदित सूची पर प्रभाव डाला है । मैं जानना चाहता हूं कि इस संशोधन का अनुमोदित सूची पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिस के अनुसार हम डिब्बे बन्द खाद्य वस्तुयें तैयार कर रहे हैं और आर्डर से हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जैसाकि मैं ने कहा, इस का निर्यात पर कुछ प्रभाव नहीं होगा । यह संयुक्त राज्य द्वारा पास किया गया तरीका है जिस का उन के अपने उद्योग पर भी प्रभाव पड़ेगा । यह स्पष्ट है कि कुछ लोग 'प्रिज़र्वेटिव्स' के लिये कुछ हानिकारक रसायनों का प्रयोग कर रहे थे । अब उन्होंने एक सूची बना ली है और केवल उसी सूची के 'प्रिज़र्वेटिव्स' आदि अमेरिका में बिकने वाले खाद्य पदार्थों में डालने दिये जायेंगे । यह उन के अपने घरेलू उद्योग और वहां को खाद्य पदार्थों का निर्यात करने वाले लोगों पर लागू होगा जहां तक हम ने इस मामले पर विचार किया है यह जो पदार्थ प्रयोग में लाये जाते हैं वे अमेरिका की अनुमोदित सूची में हैं परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसे पदार्थ का प्रयोग करता है जिस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये, तो यदि मामले की सूचना हमें दी जाती है उस की जांच की जायेगी ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने जिस अमेरिकी अनुमोदित सूची का उल्लेख किया है, क्या उसमें सोडियम बैंज़ोट और पोटेशियम मेटा-बाइसल्फेट का भी उल्लेख है क्योंकि उन का यहां आम प्रयोग किया जाता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैंने इन चीजों का इतने विस्तार से अध्ययन नहीं किया, जितना माननीय सदस्य ने किया प्रतीत होता है ।

श्री पद्म देव : भारत से जो कैंड फूड का एक्सपोर्ट होता है, यू० एस० ए० को, क्या उस में से किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में यू० एस० ए० की तरफ से कोई शिकायत आई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री सतीश चन्द्र : कोई शिकायत नहीं आई है । वहां एक बिल पास हुआ है जोकि वहां उन की अपनी इंडस्ट्री के लिये भी और बाहर वालों के लिये भी है और इसके बारे में मैं ने अभी अर्ज किया है । लेकिन कोई शिकायत नहीं आई है और एक्सपोर्ट भी बन्द नहीं हुआ है ।

भवन निर्माण निगम]

\+

†*१११८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दामानी :
श्री राम गरीब :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १० दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक भवन निर्माण निगम स्थापित करने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख). निगम स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया । अभी सरकार प्रस्ताव के कुछ पहलुओं पर विचार कर रही है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** पिछले उत्तर में कहा गया था कि मामला योजना आयोग के पास लंबित है । क्या इस ने उस पर विचार कर के इसे अनुमोदित कर दिया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जी, हां । योजना आयोग ने इस विचार का अनुमोदन कर दिया है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** माननीय मंत्री ने कहा है कि परियोजना के कुछ पहलुओं पर अभी विचार किया जा रहा है । वे महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हम ने योजना तैयार करने के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है और वह इसे तैयार कर रहा है । जब तक योजना हमारे सामने नहीं आ जाती, मैं ब्यौरा बताने में असमर्थ हूं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या इस का उद्देश्य सब निर्माण कार्य को अपने हाथ में लेना है या कुछ काम को गैरसरकारी क्षेत्र के लिये भी छोड़ देना है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह स्पष्ट है कि नियम कार्य आरम्भ करने के तुरन्त पश्चात् सब निर्माण कार्य अपने हाथों में नहीं ले सकता । विचार यह है कि यथा संभव, सरकारी काम इस निगम को दे दिये जायें । बाद में, यदि योजना अच्छी तरह चली तो इसकी कार्रवाइयों का विस्तार किया जा सकता है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** योजना कब से सरकार के विचाराधीन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं निश्चित तिथि नहीं बता सकता कि प्रतिवेदन कब तैयार हो जावेगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यह योजना कितनी देर से सरकार के विचाराधीन है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : यह मामला एक या दो वर्षों से सरकार के विचाराधीन है। यह अनुभव किया गया था कि इस प्रकार का निगम हमारे निर्माण कार्यों की अधिक संतोषजनक पूर्णता के लिये लाभदायक और उपयोगी होगा। बहुत से पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखना पड़ता है और हमने बड़े ठेकेदारों से सलाह करना उचित समझा है। इस की लागत और वित्तीय पहलुओं का भी विचार करना होगा और योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इन सब कार्यों में समय लगता ही है।

†**श्री वें० प० नायर** : पहली बार जब इस मामले पर सरकार विचार कर रही थी तब से कितनी राशि के केन्द्रीय सरकार के निर्माण कार्यों के ठेके गैरसरकारी व्यक्तियों को दिये गये हैं ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मुझे इस का हिसाब लगाना होगा। तब आंकड़े दिये जा सकते हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : मेरा प्रश्न यह है कि जब सरकार एक मामले विशेष पर विचार कर रही है, हमें यह जानने का अधिकार होना चाहिये कि कितनी राशि के ठेके दिये गये हैं।

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस निगम की स्थापना का ध्येय सब सरकारी कामों को लेना नहीं है। यह वर्तमान अधिकरणों के साथ साथ एक अभिकरण होगा अतः ऐसी बात नहीं कि यदि निगम स्थापित हो गया होता तो इसने देश भर के सब सरकारी कामों को अपने हाथ में ले लिया होता।

†**श्री अजराज सिंह** : इस योजना के प्रति योजना आयोग का क्या रुख है ? क्या हमें उसकी प्रतिक्रिया का ब्यौरा मिल सकता है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैंने कहा है कि योजना आयोग ने इस विचार का स्वागत किया है। हम ब्यौरा तैयार कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ऊनी तैयार माल के निर्यातकों को सहायता

†*१०९९. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊनी तैयार माल के निर्यातकों को सहायता देने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ख). जी, हां। एक पुनरीक्षित निर्यात संवर्धन योजना, जिस के अधीन ऊनी तैयार माल के निर्यातात्रों और निर्यातकों को उनके द्वारा बाहर भेजे गये माल की लागत के बराबर कच्चा माल आयात करने दिया जाता है १ अप्रैल, १९६० से चालू की गई है। योजना का ब्यौरा दर्शाने वाली सार्वजनिक सूचना की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७]**

त्रिपुरा में सहकारी समितियां

†*११०२. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के १९५४ से पहले के ४१ पुनर्वास केन्द्रों में स्थापित सहकारी समितियों द्वारा कुल कितने विस्थापित व्यक्ति काम में लगाये गये ;

(ख) क्या इस संख्या में कमी होती जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन सहकारी समितियों को ऋण देते समय काम दिलाने के बारे में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसकी तुलना में यह संख्या कितनी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) २८१२ व्यक्ति।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) यह संख्या मंजूर योजनाओं की अपेक्षित रोजगार संभाव्यता का ४७ प्रतिशत है।

मंडी की सेंधा नमक की खानें

†*११०८. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडी की सेंधा नमक की खानों से मशीन से नमक निकालने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) जोगन्द्रनगर में नमक तैयार करने की मशीन कब तक लग जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) मंडी की सेंधा नमक की खानों के मशीनीकरण के बारे में की गई प्रगति :

(१) खानों का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है।

(२) बिजली द्वारा चलाये जाने वाले उपकरण, एयर कम्प्रेसर, पम्प और कम्प्रैस्ड एयर ड्रिवन फैन लगाये जा चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) वर्कशाप मशीनें, अर्थात् खराद, ड्रिल, ग्राइंडर, वैल्डिंग मशीन आदि लगाई जा चुकी हैं।

(४) हैंडगियर और वाइंडिंग उपकरण, रोशनदान पंखा, रोपहालेज, टिपलर, विद्युत-चालित एयर कम्प्रैसर और चल स्कन्ध (जैसे केंज, टब, ट्रैक आदि) और बिजली से चलने वाले ड्रिलिंग उपकरण आदि के लिए आर्डर दिये जा चुके हैं।

(५) भूमि-गत हालेज मशीनों, कम्प्रैस्ड एयर हैमर, ड्रिल्स ड्रिफ्टिंग मशीनें, बिजली की रोटरी ड्रिलें, भारी काम करने वाले पम्प, बिजली के बोरिंग रिग, फेस वेंटीलेटर और बिजली की शॉट फ़ायरिंग मशीनें लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) जोगेन्द्र नगर में नमक तैयार करने की मशीनें कब तक लग जायेंगी :

जोगन्द्र नगर में अति स्वच्छ नमक तैयार करने की मशीनें लगाने के प्रस्ताव पर, ड्राई-माइनिंग द्वारा खानों का विकास पूर्ण हो जाने के पश्चात्, विचार किया जायेगा। इस काम के लिए कितना समय लगेगा यह बताना अभी सम्भव नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का त्यागपत्र

†*११०९. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक ने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके त्यागपत्र देने का क्या कारण है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां।

(ख) मालिक-मजदूरों के सम्बन्धों के सिलसिले में जो कुछ कार्रवाई करने का विचार किया गया था, उसके प्रति उन्होंने विरोध प्रकट किया था।

भारत-पाकिस्तान सीमा

†*१११०. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुज्जल गांव से लेकर सतलज नदी के किनारे तक फैली २० मील लम्बी भारत-पाकिस्तान सीमा रेखा का सीमांकन करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) सीमांकन कार्य में लगे सर्वेक्षण दलों के संरक्षण की व्यवस्था करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में तस्कर व्यापार को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री साबत अली खां)**: (क) तथा (ख). इस क्षेत्र में सीमा का प्रारम्भिक सीमांकन पूरा किया जा चुका है। आशा की जाती है कि जनवरी १९६० में हुए पश्चिमी सीमा सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान मंत्री सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार अप्रैल १९६० के अन्त तक सीमांकन अन्तिम रूप से किया जायेगा।

(ग) सर्वेक्षण दलों की रक्षा के लिये उपयुक्त पुलिस रक्षा दल की व्यवस्था की गई है।

(घ) पर्याप्त उपाय किये गये हैं। ब्यौरा बताना लोक हित में नहीं है।

दार-अस्-सलाम में भारतीय प्रदर्शनी

†*१११११. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार-अस्-सलाम में भारत में बनी वस्तुओं की "इण्डिया मेक्स इट" प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था; और

(ग) क्या इस प्रदर्शनी के परिणामस्वरूप तंगानीका तथा अन्य अफ्रीकी क्षेत्रों को भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलने की कोई संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ग) जो रुचि पैदा की गई है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय माल की बहुत बिक्री हो सकती है यदि हमारे निर्यातिक बाजार में माल भेजते रहें।

आन्ध्र प्रदेश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी की शाखा

†*१११२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी की एक शाखा खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अभी तक राज्य में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी की शाखा स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से निवेदन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर में लोहे के पाइप बनाने का कारखाना

†*१११३. **श्री ले० अचौ सिंह** : **क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह हच है कि मनीपुर में एक लोहे के पाइप बनाने का कारखाना खोलने की योजना तैयार की गई है जिस पर ७५ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है :

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब चालू होगा ; और

(ग) कच्चा माल कहां से प्राप्त किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

†१४५१. **श्री सुन्दर लाल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों के लिये (रिंग रोड के दक्षिण में) विनयनगर और मोती बाग क्षेत्रों में कितने मकान बनाये गये हैं ;

(ख) क्या इन मकानों के निर्माण में कुछ विलम्ब है ; और

(ग) इन मकानों को कब आंवटित किया जाएगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). मोतीबाग, नेता जी नगर और रिंग रोड के दक्षिण में १२०० एकड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लगभग ४००० क्वार्टर बनाये जा रहे हैं। इन क्वाटरों के निर्माण में कोई विलम्ब नहीं हुआ, हालांकि उनके आवंटन में, दिल्ली नगरपालिका द्वारा सेनिटरी और दूसरी नागरिक सुविधाओं, अर्थात, बाहर गिरने वाले सीवर, भरपूर जल संभरण, और बिजली की सुविधाओं के प्रदान किये जाने तक, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिये निगम अधिकरणों से निवेदन किया गया है।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्प्री

†१४५२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७, १९५८ और १९५९ में हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने कितने मूल्य के सामान का आयात किया;

(ख) ४५,००० किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन साल्ट का लक्ष्य कब पूरा किया जायेगा; और

(ग) क्या वहां पर 'टेट्रासाईक्लीन्स' और 'आक्सी-टेट्रासाईक्लीन्स' के उत्पादन करने का कोई कार्यक्रम है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) क्रमशः २१.५७ लाख रुपये, ८१.३० लाख रुपये, और १२७.४१ लाख रुपये। इस में स्ट्रेप्टोमाईसीन साल्ट का आयात शामिल है।

(ख) वर्तमान जानकारी के अनुसार १९६१ के अन्त तक।

(ग) आक्सी-टेट्रासाईक्लीन समेत १.५ टन टेट्रासाईक्लीन्स की क्षमता का एक प्रारम्भिक संयंत्र स्थापित करने की एक परियोजना पर कार्य जारी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†१४५३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन उड़ीसा में भिन्न औद्योगिक केन्द्रों में कितने क्वार्टर बनाये गये हैं अथवा बनाये जा रहे हैं एवं उनका निर्माण किस प्रावस्था में है तथा उनके लिए कितना धन आवंटित किया गया है;

(ख) क्या उड़ीसा में इस योजना के अधीन नये औद्योगिक केन्द्र स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताविक केन्द्र कहां कहां हैं और उनके लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें इस योजना के अधीन २९ फरवरी, १९६० तक उड़ीसा राज्य के विभिन्न कस्बों में निर्माण के लिए मंजूर किये गये मकानों का ब्यौरा दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९]**

(ख) और (ग). १९६०-६१ में इस योजना के अधीन राज्य सरकार का ५८६ मकान बनाने का विचार है। उनके बारे में ब्यौरे वार योजना अभी वे बनायेंगे।

पंजाब में प्रचार प्रबन्धक

†१४५४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में समेकित प्रचार कार्यक्रम के अधीन अब तक कितने प्रचार प्रबन्धक नियुक्त किये गये है;

(ख) क्या उन्होंने वर्ष १९५९-६० में अपने अपने क्षेत्रों में चलचित्र दिखाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो चलचित्र कितने स्थानों पर दिखाये गये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) चार; तीन क्षेत्रीय प्रचार पदाधिकारी और एक प्रचार प्रबन्धक।

(ख) जी, हां।

(ग) ९४८ (१ अप्रैल, १९५९ से १० मार्च, १९६० तक)।

केन्द्रीय हस्तशिल्प बोर्ड

†१४५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ की दूसरी छमाही में केन्द्रीय हस्तशिल्प बोर्ड की कितनी बैठकें हुईं; और

(ख) प्रत्येक बैठक में क्या प्रमुख निर्णय किये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०**]

पंजाब में औद्योगिक बस्ती

†**१४५६. श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब राज्य को औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिए कुल कितना धन दिया गया है;

(ख) अब तक कितने धन का उपयोग किया गया है; और

(ग) योजना की बाकी अवधि में कितना धन और दिया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७१.६० लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। अब तक उन्हें ५७.९६ लाख रुपये मंजूर किये जा चुके हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की बाकी अवधि के लिए २० लाख रुपये का और आवंटन किया जायेगा। मूल आवंटन के अतिरिक्त जो अधिक व्यय होगा वह अन्य योजनाओं के लिए ऋण सहायता में से पूरा किया जायेगा। यह बताया गया है कि ३१ मार्च, १९५९ तक औद्योगिक बस्तियों पर ४२.४१ लाख रुपये की रकम खर्च की गयी है।

पंजाब में तांबे की खपत

†**१४५७. श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० के वर्षों में पंजाब राज्य में औद्योगिक यूनिटों में बर्तनों के रूप में कितने तांबे की खपत हुई; और

(ख) उपरोक्त अवधि में पंजाब राज्य में खपत के लिए कितने तांबे का आवंटन किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। बर्तन बनाने वाले यूनिट सामान्यतः नया तांबा इस्तेमाल नहीं करते। उनका प्रमुख कच्चा माल पीतल की चादरें और चक्के अर्थात् पीतल की चादर और चक्के बनाने के लिए तांबे को पहले जस्ते में मिलाया जाता है।

(ख) उपलब्ध आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

अवधि और टनों में आवंटन की मात्रा

यूनिटों की श्रेणी	अप्रैल, ५८-मार्च, १९५९	अप्रैल, ५९-मार्च, ६०
१. अनुसूचित यूनिट . . .	१९८३.००	२४३२.००
२. डेवेलपमेंट विंग के धातु निदेशालय के अनुसूचित यूनिट . . .	७४६.४७	१०८४.००
३. डेवेलपमेंट विंग के विद्युत निदेशालय के अनुसूचित यूनिट . .	४२०.००	५००.००

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश म नारियल जटा उद्योग

†१४५८. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए प्रशिक्षण-व-उत्पादन केन्द्र चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए वर्ष १९५८-५९ में निम्न-लिखित योजनाओं को मंजूर करने की प्रार्थना की थी :

(१) मुगलथुरु में नारियल जटा उत्पादन-व-प्रशिक्षण केन्द्र ।
(२) तल्लारेवू में नारियल जटा उत्पादन-व-प्रशिक्षण केन्द्र ।
(३) बरुवा में सरकारी नारियल जटा स्कूल में उत्पादन शाखा ।
(४) अन्तखेडी में नारियल जटा उत्पादन-व-प्रशिक्षण केन्द्र ।
(५) कुमारागिरीपटनम् में नारियल जटा उत्पादन-व-प्रशिक्षण केन्द्र ।

मुगलथुरु में योजना पहले से चली आ रही है, अतः उसके लिए किसी नयी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है । तल्लारेवू में भी योजना पहले से चली आ रही है परन्तु उसमें कुछ संशोधन हुए हैं । बाकी तीन योजनायें नयी योजनायें थीं । इन तीन नयी योजनाओं और पहले से चली आ रही तल्लारेवू की योजना को सरकार ने जनवरी, १९५९ में अनुमति प्रदान कर दी थी ।

उपरोक्त योजनाओं पर राज्य सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में कुल २,७८,८३३ रुपये व्यय किये । इस अवधि में राज्य सरकार को ऋण के रूप में ७४,०५० रुपये और अनुदान के रूप में ४३,४०० रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी ।

कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

†१४५९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित कार्यकारी दल ने अपना काम पूरा कर लिया है;

(ख) क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो कार्यकारी दल की मुख्य खोजें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पाकिस्तान से रज़ाकार

†१४६०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १६ अक्तूबर, १९५७ को रज़ाकारों के भारत में प्रवेश करने के बारे में पाकिस्तान सरकार को जो टिप्पण भेजा गया था, उस बारे में नवीन स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पाकिस्तान सरकार से उत्तर प्राप्त हो चुका है कि संबंधित व्यक्तियों पर वहां के नियमानुसार पाकिस्तान में प्रवेश अधि-नियम और शस्त्र अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाया गया और उन्हें दण्ड दिया गया।

दिल्ली में सर्किट हाउस का निर्माण

†१४६१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पंजाब सरकार के लिये एक सर्किट हाउस बनाने के लिये दिल्ली में वह भूमि देने का निर्णय कर लिया गया है जो पहले नाभा राज्य की थी ; और

(ख) यदि हां, तो निश्चय क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) और (ख). पंजाब सरकार के परामर्श से इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

खनिज तेल उद्योग के लिए मशीनें

†१४६२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खनिज तेल उद्योग के लिये रूसी सहायता से मशीनों का निर्माण करने वाला एक कारखाना स्थापित करने में कितनी प्रगति की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : रांची के निकट हरिया में भारी मशीन निर्माण कारखाने के कार्यक्रम में प्रति वर्ष ५५०० टन खनिज तेल निकालने के बड़े बरमे बनाने की व्यवस्था है, इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता ८०,००० टन की भारी मशीनें बनाने की है। कारखाने और उपकरणों के लिये रूपरेखा तैयार करने के लिये मास्को के प्रोमासेक्सपोर्ट के साथ संविदा कर लिया गया है।

कालीन उद्योग का सर्वेक्षण

†१४६३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कालीन उद्योग का सर्वेक्षण तब से पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन का क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खादी उद्योग

†१४६४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री हेमराज :
श्री पद्म देव :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १४३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी उद्योग के क्रियाकारी दल (वर्किंग ग्रुप) का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गयी सिफारिशों का क्या ब्यौरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). प्रतिवेदन छप रहा है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

दक्षिण-पूर्व एशिया में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के स्मारक

१४६५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के एक निकट साथी श्री समर गुह दक्षिण पूर्व एशिया से लौटने के बाद उन्हें मिले और उन्होंने यह प्रार्थना की थी कि दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष कर सिंगापुर में नेताजी और आज़ाद हिन्द फौज के स्मारकों को सुरक्षित रखा जाये और उन का सदुपयोग किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उन के इस अनुरोध पर क्या निश्चय किया गया?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) श्री समर गुह ने सुझाव दिया था कि भारत सरकार को वे दो मकान प्राप्त कर लेने चाहियें जिन का नेता जी और आजाद हिन्द फौज (इंडियन नेशनल आर्मी) ने उपयोग किया था और उन्हें किसी अच्छे मक़सद के लिये काम में लाना चाहिये ।

(ख) भारत सरकार का ख्याल है कि इस मामले का सम्बन्ध सिंगापुर में रहने वाले भारत-मूलक लोगों और सिंगापुर की सरकार से है । इसलिये इस मामले में भारत सरकार का कोई पहल करने का इरादा नहीं है ।

कमला बीजों का तेल

†१४६६. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना में किये गये अनुसंधान के फलस्वरूप देश में कमला बीजों के तेल का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इस के उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या देश में इस के उत्पादन के लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है अथवा सरकार का विचार इस का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करने का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना में बड़े प्रयोगशाला स्तर पर कमला बीजों से तेल निकालने का तरीका निकाला गया है जोकि इस समय बीज में लगभग ३० प्रतिशत तक है। इस तरीके को वाणिज्यिक स्तर पर अपनाने से पूर्व, निकाले गये तरीके पर प्रारम्भिक संयंत्र कार्य करना आवश्यक है। अत: कमला बीजों से वाणिज्यिक स्तर पर तेल निकालने की सम्भावना पर केवल प्रारम्भिक संयंत्र कार्य पूरा होने पर ही विचार किया जायेगा।

(ख) इस तरीके को वाणिज्यिक रूप में अपनाने के लिये आवश्यक धनराशि का अनुमान इस तरीके के सम्बन्ध में प्रारम्भिक संयंत्र कार्य पूरा होने पर ही बताया जायेगा।

(ग) इस तेल के उत्पादन के लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सरकारी क्षेत्र में भी इस वस्तु के उत्पादन करने का कोई विचार नहीं है।

मद्यसार के लिए विकर्ता[1]

†**१४६७. श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में किये गये अनुसंधान के फलस्वरूप नीम के तेल से मद्यसार (अल्कोहल) के लिये विकर्ता (डीनेचरेण्ट्स) का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है ;

(ख) इसके उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या देश में इसके उत्पादन के लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है अथवा सरकार इस का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख). राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना ने मद्यसार (अल्कोहल) के लिये एक नया विकर्ता (डीनेचरेण्ट) निकाला है जोकि नीम के सत् और पिरोनिमीन (नीम के तेल से निकाला गया एक तरल पदार्थ है) का मिश्रण है। इस मिश्रण की उपयुक्तता को भारत सरकार की केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा मंजूर कर लिया गया है। इस समय नीम का तेल सस्ते मूल्य पर अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है जोकि उपरोक्त तरीके की सफल कार्यान्विति के लिये जरूरी है।

राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम इस तरीके को वाणिज्यिक रूप से अपनाने के बारे में संभावनाओं का पता लगा रहा है। इसके उत्पादन के लिये अपेक्षित धन का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सरकारी क्षेत्र में भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Denaturants for Alcohol.

ईंटें तथा ब्लाक बनाने वाली मशीनें

†१४६८. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक भारत में ईंटें और ब्लाक बनाने वाली कितनी मशीनें आयात की गयी हैं और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है ;

(ख) देश में उन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसंधान संस्था, रुड़की में किये गये अनुसंधान के फल-स्वरूप ईंट और ब्लाक बनाने वाली मशीन का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है ;

(घ) इनके उत्पादन के लिये उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में उन के उत्पादन के लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है या सरकार सरकारी क्षेत्र में उन का उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) ईंटें बनाने वाली मशीनों के आयात के लिये कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । ब्लाक बनाने वाली मशीनों का आयात निम्न प्रकार है :

	मात्रा (यूनिटों में)	मूल्य (हजार रुपयों में)
१९५८–५९ . . .	३७	२१
१९५९–६० . . .	४	२
(अप्रैल-नवम्बर, १९५९) :		

(ख) और (ग). इस समय भारत में बनायी गयी सब ईंटें हाथ से बनायी जाती हैं । केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसन्धान संस्था ने पक्की ईंटों के उत्पादन के लिए एक हाथ से चलने वाली ईंट और ब्लाक बनाने वाली मशीन बनायी है जिसका एकस्वाधिकार उन्हीं को है । यह अधिकार संस्था ने कुछ फर्मों को पट्टे पर दिया है ।

(घ) ६०० मशीन प्रति वर्ष बनाने वाले कारखाने की लागत ७५,००० रुपये आंकी गयी है ।

(ङ) इन मशीनों के निर्माण के लिए लाइसेंस के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और सरकारी क्षेत्र में उनके निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

टेबिल साल्ट

†१४६९. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक भारत में फ्री फ्लोइंग डेबिल साल्ट[1] कितनी मात्रा में आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ख) देश में इस का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Free Flowing Table Salt.

(ग) क्या केन्द्रीय नमक अनुसंधान संस्था, भावनगर में किये गये अनुसन्धान के फलस्वरूप फ्री फ्लोइंग टेबिल साल्ट, डेरी साल्ट, सोडियम क्लोराइड का देश में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है;

(घ) इन के उत्पादन के लिए एक उद्योग स्थापित करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या देश में इन के उत्पादन के लाइसेंस के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में इनके उत्पादन करने का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ख) आयात किया गया नमक डेरी, विश्लेषण और खाने के काम आता है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रति दिन एक टन फ्री फ्लोइंग टेबिल साल्ट आदि का उत्पादन करने के लिए संयंत्र पर अनुमानतः २ लाख रुपये व्यय होंगे।

(ङ) लाइसेंस के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु केन्द्रीय नमक अनुसंधान संस्था द्वारा निकाले गये टेबिल साल्ट के उत्पादन के तरीके के लिए एकमात्र अधिकार हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड को दिया गया है जिसका पूरा नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और वह सांभर झील में एक संयंत्र स्थापित करेंगे।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक बस्ती

१४७०. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में अब तक कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जा चुकी हैं;

(ख) प्रत्येक बस्ती में कौन-कौन से उद्योग चालू किये गये हैं; और

(ग) उन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). दूसरी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में एक औद्योगिक बस्ती सोलन में स्थापित करने की मंजूरी दे दी गयी है और उसके लिए ३ लाख रु० की व्यवस्था की गयी है। इस बस्ती के लिए ज़मीन हासिल कर ली गयी है और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए उसका कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया गया है। आशा है कि यह औद्योगिक बस्ती १९६०-६१ के मध्य तक बनकर तैयार हो जायेगी। औद्योगिक बस्ती में जगह अलाट किये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश प्रशासन के पास आ गये हैं और प्रशासन उनकी जांच-पड़ताल कर रहा है।

बर्मा और लंका में भारतीय व्यापारी

†**१४७१. श्री पांगरकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में कितने भारतीय व्यापारी बर्मा और लंका गये; और

(ख) उन में से कितने वापस आ गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). किसी विशेष श्रेणी के भारतीय पर्यटकों के विदेश जाने और उनके वापस आने के बारे में इस समय कोई पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। जिसके पास पासपोर्ट है वह कई बार आ जा सकता है। वह किसी और देश के लिए भारत से जा सकता है और फिर वहां से लंका अथवा बर्मा को जा सकता है या इन देशों को जाकर किसी अन्य देश में होते हुए भारत लौट सकता है। अतः अपेक्षित जानकारी इकट्ठा करना सम्भव नहीं है।

आकाशवाणी

१४७२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से छात्रों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए कुल कितने असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या आकाशवाणी के कुछ ऐसे केन्द्र भी हैं जहां असिस्टेंट प्रोड्यूसर नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उन केन्द्रों में असिस्टेंट प्रोड्यूसर नियुक्त करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है;

(घ) क्या सभी केन्द्रों में असिस्टेंट प्रोड्यूसर के वेतन-क्रम समान हैं या नहीं;

(ङ) यदि नहीं, तो वेतन-क्रमों में अन्तर के क्या कारण हैं; और

(च) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में, जहां से कि छात्रों के लिए अधिकतम कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं, प्रोड्यूसरों और असिस्टेंट प्रोड्यूसरों की संख्या इस समय कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) ६.

(ख) और (ग). ५ केन्द्रों में जोकि छात्रों के लिये कार्यक्रम प्रसारित करते हैं फिलहाल कोई प्रोड्यूसर या असिस्टेंट प्रोड्यूसर नहीं है। कार्य की देख भाल स्टाफ आरटिस्ट और कार्यक्रम निष्पादक करते हैं। प्रोड्यूसर या असिस्टेंट प्रोड्यूसर नियुक्त करने के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

(घ) और (ङ). सभी केन्द्रों में असिस्टेंट प्रोड्यूसरों के लिए जो फीस की सीमा निर्धारित की गई है वह समान है। फिर भी आरम्भिक फीस सम्बन्धित आदमी की योग्यता और अनुभव के अनुसार निश्चित की जाती है।

(च) फिलहाल कोई नहीं। दिल्ली केन्द्र से छात्रों के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अवधि, आवृत्ति और रचना अन्य केन्द्रों की भांति होती है। इस केन्द्र में प्रोड्यूसर/असिस्टेंट प्रोड्यूसर की नियुक्ति भी विचाराधीन है।

भारत-पाक सीमान्त पुलिस पदाधिकारियों का सम्मेलन

†**१४७३. श्री वाजपेयी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजस्थान और पाकिस्तान की सीमान्त पुलिस पदाधिकारियों का एक सम्मेलन हैदराबाद (सिन्ध) में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर विचार किया गया और उन पर क्या क्या निर्णय किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). इन सीमान्त पुलिस पदाधिकारियों का एक सम्मेलन २ और ३ फरवरी, १९६० को हैदराबाद (सिन्ध) में हुआ था। सम्मेलन में सीमावर्ती अपराधों की स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। दोनों पक्ष सोमावर्ती अपराधियों को पकड़ने और चुराई हुई सम्पत्ति को प्राप्त करने में हार्दिक प्रयत्न करने को राजी हो गये। विशेष रूप से यह तै हुआ कि डाकुओं के बारे में सीमान्त पदाधिकारियों द्वारा एक दूसरे को जानकारी दी जायेगी। दोनों पक्ष भूमि नियमों को लागू करने को भी राजी हो गये जोकि जनवरी, १९६० में भारत-पश्चिमी पाकिस्तान सीमान्त सम्मेलन में किये गये फैसलों का एक भाग है।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†**१४७४. श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कुल कितने विस्थापित व्यक्ति हैं जिनके पास 'वैध शरणार्थी रजिस्ट्रेशन कार्ड' हैं और जिन्होंने त्रिपुरा के पुनर्वास केन्द्रों में १९५४ से पहले झोंपड़ियां बनाई थीं लेकिन उनको अभी तक पुनर्वास ऋण नहीं दिया गया है; और

(ख) उनको पुनर्वासित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) सत्रह परिवार।

(ख) उन्होंने सरकार की अनुमति के बिना बस्ती में भूमि पर कब्जा कर लिया है और उन्हें सामान्यतः वहां से निकाला जाना ही है। तिस पर भी प्रशासन ने उनके मामलों को नियमित करने की संभावनाओं का पता लगाया है। पांच मामलों में, जिन में परिवार में कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, विधवाओं और बच्चों को एक 'घर' में प्रवेश पाने को कहा गया परन्तु उन्होंने यह प्रस्ताव मानने से इन्कार कर दिया। एक परिवार में केवल एक पुरुष सदस्य है, अतः वह पुनर्वास सुविधा का हक़दार नहीं है। बाकी एक मामले के बारे में शीघ्र ही फैसला किये जाने की आशा है।

शरणार्थी कार्डों का हस्तान्तरण

†**१४७५. श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में ऐसे कुल कितने विस्थापित व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले कार्डों के मालिकों की मृत्यु हो जाने पर शरणार्थी-कार्डों को अपने नाम में हस्तान्तरित कराने के लिए आवेदन किया है;

(ख) क्या कार्डों के हस्तांतरण में विलम्ब होने से विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास सुविधा से वंचित रह जाते है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या हस्तांतरण करने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ५२३।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ४९९ मामले निपटा दिये जा चुके हैं और बाकी २४ मामलों में जांच पड़ताल की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल में कर्मचारी भविष्य निधि

†१४७६. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन अंशदान के बारे में बकाया राशि की वसूली के लिये कोई मुकदमे दायर किये गये है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मुकदमे हैं और दिसम्बर, १९५९ तक बकाया राशि की कितनी रकम है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी, हां ।

(ख) (१) ९०६ मामले ।

(२) ६६.४७ लाख रुपये ।

तिब्बत में भारतीय व्यापारी

१४७७. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** ७ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के वे सब भारतीय व्यापारी जो १९५९ के मौसम में तिब्बत गये थे वापस आ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की कुल संख्या कितनी थी ; और

(ग) वे किन-किन दर्रों से वापस आये और प्रत्येक दर्रे से कितने व्यक्ति वापस आये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). १९५९ में १७९६ साधारण (कस्टमरी) और ११३२ छोटे-छोटे (पैटी) व्यापारी लोग उत्तर प्रदेश से तिब्बत गये थे । इन में से तीन साधारण व्यापारियों को छोड़ कर, जिन के बारे में यह खबर है कि वे प्राकृतिक कारणों से तिब्बत में मर गये, बाकी सभी भारत वापस आ गये हैं ।

(ग) साधारण और छोटे-मोटे व्यापारियों तथा उन दर्रों की संख्या, जिन से हो कर वे लोग वापस आये, इस प्रकार है :

दर्रे का नाम	व्यापारियों की संख्या
लिपु लेख दर्रा	६४०
लिम्पिया दर्रा	७०
उन्ताधुरा दर्रा	९२५
दारमा दर्रा	५२४
माना दर्रा	७७
निति दर्रा	६८२
झेलुखागा	७
	२९२५

†मल अंग्रेजी में

उड़ीसा में भुसंडपुर कालोनी

†१४७८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री १४ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भुसंडपुर कालोनी में विस्थापित व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) क्या वहां पर एक हाई स्कूल स्थापित करने पर तब से विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, नहीं । इमारत अभी बन रही है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकार से योजना और अनुमान अभी नहीं मिले हैं । उनके प्राप्त होने पर इस मामले में आगे कार्यवाही की जावेगी ।

दिल्ली में नये सरकारी क्वार्टर

†१४७९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक बड़ी संख्या में नये बनाये गये सरकारी क्वार्टर एक वर्ष या इस से अधिक से खाली पड़े हैं और अभी उन का आवंटन नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) आवंटन में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). यह सच नहीं है कि नये बने सरकारी क्वार्टर जो पूरी तरह से पूरे हैं और जिन में स्वच्छता और अन्य सब सुविधायें दी जा चुकी हैं, आवंटित नहीं किये गये हैं और वे खाली पड़े हैं । कुछ बस्तियों में बिजली की कमी के कारण कठिनाइयां हो रही हैं और बिना बिजली के मकानों को सरकारी कर्मचारी मंजूर करने में हिचकिचाते हैं । इस पर भी श्रीनिवासपुरी में लगभग १०६० क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं या आवंटित किये जा रहे हैं । एन्ड्रूज़गंज में कितने ही क्वार्टर बन रहे हैं । इनको तब तक आवंटित नहीं किया जा सकता जब तक कि वहां पर बिजली की व्यवस्था न हो जाय जोकि न केवल प्रकाश के लिये अपितु नाली व्यवस्था के लिये भी आवश्यक है । सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारियों से इन और अन्य नये क्षेत्रों में यथा-सम्भव शीघ्र बिजली देने को कहा गया है ताकि निर्माण पूरा होने पर नये क्वार्टरों को बिना किसी विलम्ब के आवंटित किया जा सके । आशा की जाती है कि इन बस्तियों में दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम द्वारा बिजली की जल्दी व्यवस्था कर दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

†१४८०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षतिपूर्ति के मामले में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के समान नहीं माना जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). "नेहरू-लियाकत समझौता" नामक अप्रैल, १९५० के प्रधान-मंत्री करार के उपबन्धों के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को अपनी सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त है और वे उस सम्पत्ति को बेच सकते हैं या उस का कुछ और प्रयोग कर सकते हैं जबकि पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है । अतः पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों को छोड़ी गई सम्पत्ति पर क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जूतों के 'स्टिफ़नर' ढालने की स्वचालित मशीन

†१४८१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जूतों के स्टिफ़नर ढालने की स्वचालित मशीन के नये आविष्कार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मशीन को जूते बनाने के उद्योग में चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जूतों के 'स्टिफ़नर' ढालने की स्वचालित मशीन कोई नवीन आविष्कार नहीं है । देश में जूते बनाने वाले कुछ बड़े कारखानों में 'स्टिफ़नर' बनाने के लिये इन मशीनों का प्रयोग हो रहा है ।

(ख) जी, नहीं । निर्माताओं को पूर्ण स्वतंत्रता है कि-वे मशीनों की उपयुक्तता और उत्पादन कार्यक्रम को ध्यान में रख कर किसी भी मशीन को अपना सकते हैं ।

दलाई लामा द्वारा लाये गये सोना चांदी पर कर

†१४८२. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री याज्ञिक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दलाई लामा द्वारा तिब्बत से भारत लाये गये सोने और चांदी पर कितना कर लगाया गया था ; और

(ख) यदि नहीं लगाया गया, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). तिब्बत से लाये गये सोने पर कोई शुल्क नहीं लगता। फिर, क्योंकि भारत आने वाले तिब्बती शरणार्थियों के मामले में चांदी के सिक्कों पर शुल्क लेना स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया था, दलाई लामा से कोई शुल्क नहीं लिया जाना था।

पुस्तकों का आयात और निर्यात

†१४८३. **श्री याज्ञिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों से गैर-सरकारी और सरकारी आधार पर पुस्तकों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में विदेशी पुस्तकों और लेखन-सामग्री के आयात करने पर भारत ने कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की ; और

(ग) विदेशों से पुस्तकों के व्यापार में विदेशी मुद्रा के व्यय और आय में यदि कोई अन्तर है, तो उसे पूरा करने के लिये सरकार क्या उपाय करेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). पुस्तकों के आयात और निर्यात पर विदेशी मुद्रा के व्यय और आय की वास्तविक राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारत के रक्षित बैंक द्वारा ऐसे कोई पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, पिछले पांच वर्षों में भारत से निर्यात की गयी और भारत में आयात की गयी पुस्तकों के मूल्य के बारे में एक विवरण संलग्न है :

विवरण

(मूल्य हजार रुपयों में)

	पुस्तकें और पत्रिकायें और अन्य छपा हुआ सामान		लेखन-सामग्री (कागज छोड़ कर)
	निर्यात	आयात	आयात
१९५५	७,०६५	१०,६३८	१०,२१३
१९५६	७,६०२	१२,२९४	९,२७२
१९५७	१०,६५७	१६,५८४	८,५७०
१९५८	८,४५७	१९,०७४	२,०९७
१९५९ . . .	९,६६९	*१७,७७५	*१,७०९

*ये आंकड़े केवल जनवरी से नवम्बर, १९५९ तक के ११ महीनों के हैं।

(ग) पुस्तकों के निर्यात में वृद्धि करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

न्यूनतम मजूरी

†१४८४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य न्यूनतम मजूरी परामर्शदाता समिति ने आन्ध्र प्रदेश में अभ्रक की खानों में काम करने वालों की न्यूनतम मजूरी में परिवर्तन करने के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रारूप विचार जानने के लिये अधिसूचित किया है । राज्य सरकार, जिस को कि न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के अधिकार दिये गये हैं, शीघ्र ही मजूरी दरों में अनुचित अन्तर को दूर करने के लिये पड़ौसी मद्रास सरकार के परामर्श से प्रस्तावों को अन्तिम रूप देगी ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आन्ध्र प्रदेश में अम्बर चरखा योजना

†१४८५. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक आन्ध्र प्रदेश में कितने अम्बर चरखे बांटे गये ;

(ख) वहां पर कितने चरखे चल रहे हैं ; और

(ग) उन से कुल कितना धागा बनाया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) वर्ष १९५८-५९ में १४,६२९ और वर्ष १९५९-६० में (३१ जनवरी, १९६० तक) ३०६७ अम्बर चरखे बांटे गये ।

(ख) अप्रैल १९५६ से अब तक बांटे गये २९,८८४ अम्बर चरखों में से कुल २२,१६९ चरखे चल रहे हैं ।

(ग) वर्ष १९५९-६० में (३१ जनवरी, १९६० तक) ९.४८ लाख पौंड धागा बनाया गया है ।

दक्षिण अफ्रीका के लंगा नामक स्थान पर गोलीकांड के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री ब्रजराज सिंह से यह सूचना मिली है कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका में हुए नरसंहार का मामला उठाने की अनुमति दी जाये; उन्हों ने कहा है कि मैं ने एक प्रस्ताव भी इस विषय पर भेजा है । अभी एक दो दिन हुए यह विषय यहां उठाया गया था और माननीय प्रधान मंत्री ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: श्रीमान्, प्रधान मंत्री सोमवार को प्रश्नकाल के बाद इस मामले पर चर्चा करने को तैयार हैं। उन्हों ने एक संकल्प का मसविदा भी भेज दिया है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : मैं केवल यही चाहता था कि इस सम्बन्ध में शीघ्र चर्चा हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : जल्दी से जल्दी सोमवार को ही चर्चा हो सकती है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में निम्न विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या १, दसवां सत्र, १९६० ।

(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११)

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ३, नवां सत्र, १९५९ ।

(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२)

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ६, आठवां सत्र, १९५९ ।

(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३)

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १३, सातवां सत्र, १९५९ ।

(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४)

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १६, छठा सत्र, १९५८ ।

(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५)

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या १९, पांचवां सत्र, १९५८ ।

(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६)

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २७, चौथा सत्र, १९५८ ।

(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७)

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या ३३, दूसरा सत्र, १९५७ ।

(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८)

---

†मूल अंग्रेजी में

रबड़ नियमों में संशोधन तथा समवाय अधिनियम कार्य और प्रशासन का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १९ मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३३१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२०३०/६०]

(दो) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये उपरोक्त अधिनियम के कार्य और प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२०३१/६०]

विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत विकास परिषदों के वर्ष १९५८-५९ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति, उन के लेखापरीक्षित लेख सहित, सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अन्तर्दाह इंजन तथा विद्युत् चालित पम्पों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(२) अम्ल तथा उर्वरक सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(३) साइकिलों, सिलाई मशीनों तथा उपकरणों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(४) चीनी सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(५) भारी विद्युत् उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(६) हलके विद्युत् उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(७) भेषज, रंग और मध्यवर्ती पदार्थ सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(८) क्षार और सम्बद्ध उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(९) ऊनी कपड़े सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(१०) नकली रेशम के कपड़े सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(११) अलौह धातुओं सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(१२) मशीनी औजारों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(१३) तेल-आधारित और प्लास्टिक उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(१४) खाद्य परिष्करण उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(१५) मद्यसार तथा फ़र्मेन्टेशन सम्बन्धी विकास परिषद् ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए क्रमशः संख्या एल टी—२०३२/६० से २०४६/६० तक]

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्वीकृत अभिसमय तथा सिफारिशें

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) जून, १९५८ में जनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपने ४२वें अधिवेशन में स्वीकृत अभिसमय और सिफारिशें ।

(दो) भारत सरकार द्वारा उपरोक्त अभिसमयों और सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में वक्तव्य ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल टी—२०४७/६०]

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं सोमवार २८ मार्च, १९६० को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं जो इस प्रकार होगा :—

(१) २८ मार्च को प्रश्न काल के बाद प्रधान मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर, २१ मार्च, १९६० को दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन के निकट लंगा बस्ती में हुए गोलीकाण्ड पर चर्चा ।

(२) आज की कार्य-सूची से बचा हुआ कार्य ।

(३) निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान :

(क) वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय;

(ख) सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय;

(ग) स्वास्थ्य मंत्रालय; और

(घ) इस्पात, खान और इंधन मन्त्रालय ।

(४) ३१ मार्च, १९६० को बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १९६० को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा ।

अनुदानों की मांगें

गृह-कार्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा गृह-कार्य मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैंने कल जो कहा था, उसमें मुझे थोड़ा शुद्धीकरण करना है । मैंने एक विभागीय परीक्षा का उल्लेख किया था । वह परीक्षा नियमित अस्थायी संस्थान (आर० टी० ई०) की तीसरी श्रेणी की थी, दूसरी श्रेणी की नहीं । दूसरी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

श्रेणी में पदोन्नतियों के सम्बन्ध में मैंने जो कहा था, वह ठीक है कि पदोन्नतियां योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री महन्ती ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं सबसे पहले सीमान्त-चौकियों का प्रश्न लेता हूं ।

आज सुबह प्रश्न काल के दौरान में सीमान्त चौकियों के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे गये थे, जिनका उत्तर वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के सभासचिव ने दिया था । चूंकि 'पुलिस' की मद गृह-कार्य मन्त्रालय की मांगों में सम्मिलित है, इसलिये गृह-कार्य मंत्रालय को ही उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहियें थे ।

प्रतिरक्षा की दृष्टि से हमारी सीमान्त चौकियों का बड़ा महत्व है । इन चौकियों के लिये संसद् हर वर्ष व्यय मंजूर करती आ रही है, फिर भी सभा को उनकी वास्तविक स्थिति नहीं बताई जाती । गृह-कार्य मन्त्रालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदनों में उनका कोई उल्लेख ही नहीं है ।

माननीय मंत्री यह भी कह सकते हैं कि सीमान्त चौकियों का दायित्व प्रतिरक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है, इसलिये यह प्रश्न प्रतिरक्षा मन्त्रालय से पूछा जाना चाहिये । तब फिर इन मांगों को गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये ।

मैं सीमान्त चौकियों की सही सही परिस्थिति के बारे में यह प्रश्न इसलिये उठा रहा हूं कि गत वर्ष भारतीय सीमान्त पर चीनी आक्रमण के समय हमारी सरकार सतर्क नहीं थी । चीनियों ने १२,००० वर्गमील के हमारे प्रदेश पर कब्जा कर लिया है । गत वर्ष अगस्त में, नेफा के कामेंग और सुबनसिरी डिवीजनों पर चीनी आक्रमण के समय हमारी सीमान्त चौकियों ने उसका थोड़ा भी प्रतिरोध नहीं किया था । लौंगजू और खिन्जमाने चौकियों पर भी इसी तरह चीनी कब्जा हो गया था । हमारी सीमान्त चौकियों को आक्रमण के बारे में कोई पता ही नहीं था ।

मैकमहोन लाइन के साथ-साथ भारत और चीन की ७०० मील लम्बी सीमा है । इस पर कुल मिला कर १५ या १६ चौकियां हैं—ध्वज-चौकियों और सैनिक चौकियों को मिला कर । लेकिन आवंटन का असन्तुलन यह है कि मन्त्रालय ने चौकियों के लिये २४,५६,२०० रुपयों का आवंटन किया है, और २४ लाख रुपयों का ही आवंटन गुप्तचर विभाग के लिये किया गया है । दोनों को समान प्राथमिकता दी गई है । मुझे पता नहीं कि यह विभाग कितना कार्यक्षम है । विरोधी पार्टियों की खुफ़ियागीरी करने में गुप्तचर विभाग चाहे जितना कुशल हो, आक्रमणकारियों के बारे में तो वह बिल्कुल ही बेखबर रहा है । इसलिये सीमान्त चौकियों को इस विभाग के बराबर ही प्राथमिकता देना गलत है ।

हमारे देश में भाषायी अल्पसंख्यकों को जो कष्ट झेलने पड़ते हैं, उनकी ओर राज्य पुनर्गठन आयोग ने ही सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित किया था । उससे समूचे देश की चेतना को एक झटका लगा था । उसके बाद ही संविधान का संशोधन करके अनुच्छेद ३५०ख जोड़ा गया था । ३० जुलाई, १९५७ को एक विशेष अधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी ।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

उस अधिकारी को इलाहाबाद में अपना कार्यालय खोलने में ही चार महीने लग गये थे । और उसने अपना प्रतिवेदन दिसम्बर, १९५८ में जाकर प्रस्तुत किया था । उसके पहले प्रतिवेदन से तो

---

†मूल अंग्रेजी में

भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं का कोई आभास ही नहीं मिलता था । इसमें कई त्रुटियां थीं । बिहार सरकार ने तो उस सम्बन्ध में आयुक्त की प्रश्नावली का उत्तर ही नहीं दिया था । मैंने उसी समय कहा था, लेकिन अभी भी बिहार के भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझने और उनके कष्ट दूर करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है । भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त की शक्तियां बड़ी सीमित हैं, इसलिये वह प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर पाता ।

अनुच्छेद ३५० ख (२) में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का काम इतना ही है कि वह इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करे और राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति की इच्छानुसर, समय-समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह पर काम करते हैं । इसीलिये मैं कहता हूं कि आयुक्त को व्यापक शक्तियां प्रदान की जायें, और इसके लिये अनुच्छेद ३५० ख का संशोधन किया जाय ।

मैं माननीय मन्त्री का ध्यान एक बार फिर बिहार के उड़िया-भाषियों के कष्टों की ओर आकर्षित करता हूं । माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में किये गये अपने वायदों को पूरा करना चाहिये ।

बिहार के उड़िया-भाषियों के साथ न्याय तभी किया जा सकता है जबकि सरायकेला और खारस्वान सब-डिवीजनों को उड़ीसा में मिला दिया जाये । इनको १९४८ में बिहार से निकाल लिया गया था, लेकिन इसके कोई भी कारण नहीं बताये गये थे । इस मामले पर गौर करने के लिये जो बावडेकर न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया था, उसने भी पता नहीं क्यों कोई काम ही नहीं किया । इसलिये अब मैं इसके निर्णय का दायित्व माननीय गृह-कार्य मंत्री को ही सौंपता हूं ।

कांग्रेस के सभापति श्री संजीव रेड्डी ने भी यही सिफारिश की है कि सीमा सम्बन्धी इन मसलों के निबटारे के लिये कुछ सिद्धान्त निश्चित किये जाने चाहियें । आशा है, माननीय मंत्री इसकी ओर ध्यान देंगे ।

श्री नेकराम नेगी (महासू-रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जनाबा मोहतरमा साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझ को मौका दिया कि मैं होम मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स (गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों) पर अपने खयालात का इजहार कर सकूं ।

मैं एक ऐसे इलाके का रहने वाला हूं, मेरा मतलब हिमाचल प्रदेश से है, जो न सिर्फ इक्तसादी और माली हालत में बहुत पिछड़ा हुआ है, बल्कि वहां सियासी आजादी की भी बिल्कुल कमी है ।

आज हिन्दुस्तान एक आजाद मुल्क है और हिमाचल की खुशकिस्मती है कि वहां राजाओं और महाराजाओं का राज भी खत्म हो गया है, मगर वहां का किसान आज अपने आपको इतना ही बेबस पाता है जितना कि आजादी को हासिल करने से पहले था । कहने को तो वहां से हम लोग पार्लियामेंट में मुंतखिब (चुन कर) होकर आते हैं, और प्रदेश में टैरीटोरियल काउंसिल (प्रादेशिक परिषद्) और एडवाइजरी काउंसिल है, मगर ये सिर्फ नाम के लिये प्रजातन्त्र (जम्मूरियत) का नक्शा बनाती हैं, मगर सही बात यह है कि इन काउंसिलों को न तो कोई अख्तियारात हैं और न वह जनता की मांगों को पूरा करने की ताकत सही मानों में रखती हैं ।

मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हिमाचल का किसान अपनी देशभक्ति में हिन्दुस्तान के किसी हिस्से के किसान से पीछे नहीं है । उसने भी राष्ट्रपिया महात्मा गांधी की लीडरशिप में

[श्री नेकराम नेगी]

आजादी और जम्हूरियत का ख्वाब देखा था। वह भी हमारे प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू के पंचायती राज का इस्तकबाल करने के लिये बेचैनी के साथ तैयार है, मगर उसको दुःख होता है कि हिमाचल प्रदेश से सिर्फ चन्द मील के फासले पर पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान अपने मेम्बर मुंतखिब करके लेजिस्लेटिव असेम्बली और काउंसिल में भेजते हैं और उनको पूरे अख्तियारात हैं कि अपने प्रदेश की हुकूमत में पूरा हिस्सा ले सकें और इन असेम्बलियों और काउंसिलों के जरिये से अपनी वजारतें कायम कर सकें और अपने कानून बना सकें, और सियासी और इक्तसादी मांगों को पूरा कर सकें।

अभी कल की बात है कि हिमाचल प्रदेश एक सी० क्लास स्टेट थी। उसकी वजारत थी, उसकी जनता का पूरा हाथ उसकी हुकूमत में था, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश का किसान सरकारी अफसरों के रहमो करम पर है। उसकी टैरीटोरियल काउंसिल की ताकत पंजाब और उत्तर प्रदेश की म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से भी कम है। मुझे उम्मीद है कि हमारे काबिले तंजीम जनाब होम मिनिस्टर साहब, जिन पर न सिर्फ कमायूं और गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों को बल्कि हिमाचल के पहाड़ी इलाकों को भी फख्र है, है, पूरी कोशिश करेंगे कि इन पहाड़ी इलाकों के रहने वाले अपनी किस्मतों के मालिक बन सकें। जनाब होम मिनिस्टर साहब खुद एक पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं और मैं उनको यह बताने की जरूरत नहीं समझता कि आज हिन्दुस्तान में पहाड़ी इलाकों के रहने वालों की ईमानदारी और बहादुरी की धाक है, और उन्होंने सैकड़ों साल की राजाओं और महाराजाओं की गुलामी और जुल्मों के बाद भी अपने नेशनल कैरेक्टर (राष्ट्रीय चरित्र) को बरकरार रखा है। आज उसकी आखें जनाब होम मिनिस्टर साहब की तरफ हैं। ताकि उनको सही मानों में हिन्दुस्तानी शहरी होने का हक मिल सके।

आज अक्सर पंजाब से यह आवाजें उठती हैं कि हिमाचल को पंजाब में शामिल कर लिया जाए। अगर हिन्दुस्तान के सब प्रदेशों को खत्म करके सिर्फ एक भारत प्रदेश बना दिया जाए तो मैं यकीन दिलाता हूं कि हिमाचल का एक एक बच्चा उसका इस्तकबाल करेगा। मगर जब तक जबान और कल्चर की बुनियाद पर प्रदेशों की बुनियादें कायम हैं तब तक हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा नहीं बन सकता। हमारा अपना कल्चर (संस्कृति) है गोकि पहाड़ी कल्चर है और उस पर हमको फख्र है। और हमारे आईन ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है।

दूसरी बात यह है कि हिमाचल पंजाब के मुकाबले में तालीम में, दौलत में और सियासी दौड़ में बहुत पीछे है, हालांकि कौमी एकता में उससे बहुत आगे है और अगर हिमाचल को पंजाब का एक हिस्सा बना दिया गया तो पंजाब में जो बवा हिन्दी और पंजाबी और आर्यसमाज और सिख की है वह हमारे यहां भी पहुंच जाएगी और वह प्रदेश जिसकी सरहदें आज चीन और तिब्बत से मिली हुई हैं, एक खतरनाक हालत अख्तियार करके पंजाब की पायेतख्त रियासत बन जाएगा, और हिन्दुस्तान के लिये एक खतरे की सूरत अख्तियार कर लेगा। आज भी हमारी बदकिस्मती से हमारे पंजाब के भाई हम को अपने से कम दरजे का समझते हैं, और अपनी दौलत और तालीम का फायदा उठा कर हमको दबाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे यहां जितनी भी बड़ी बड़ी सरकारी मुलाजिमतें हैं, तिजारतें हैं, वह भी हमारे प्रदेश में हमारे हाथ में नहीं बल्कि पंजाबी भाइयों और दूसरों के हाथ में हैं। आज हिमाचल के पिछड़े हुए इलाके के लोग बेदार हो रहे हैं, हमारे बच्चे तालीम हासिल करके अच्छे से अच्छे ओहदों के लिये, बड़ी से बड़ी तिजारतों के लिये तैयार हो रहे हैं, लेकिम अगर हिमाचल को पंजाब के रहमो करम पर छोड़ दिया गया तो हिमाचल

में कभी भी हिमाचल वालों का राज न होगा बल्कि राजाओं और महाराजाओं से आजाद होने के बाद नए किस्म के पंजाबी राजाओं के गुलाम बन जायेंगे।

और सितम उल फरेबी देखिये कि किस तरह हमारे साथ सौतेली मां का सा सलूक किया जाता है। अभी चन्द साल हुए कि बदकिस्मती से हमारे सेक्रेटेरियट में आग लग गयी। पंजाब सरकार ने हिन्दुस्तान भर के करोड़ों रुपए से एक शानदार दारुलसल्तनत (राजधानी) चंडीगढ़ में बनाया और उसकी अजीमुश्शान इमारतें शिमले में खाली पड़ी रहीं। हमने गिड़गिड़ा कर पंजाब सरकार से दरख्वास्त की कि शिमले की सेक्रेटेरियेट की बिल्डिंग हमको आरजी तौर पर दे दें, मगर उनके कानों पर जूं तक न रेंगी और इमारतें खाली पड़ी रहीं। और हिमाचल के सरकारी मुलाजिमान शिमले की बरफानी चोटियों पर मीलों बंटे हुए काम करते रहे और कर रहे हैं। आज पंजाब सेक्रेटरियेट की बिल्डिंग दिल्ली के रेलवे बोर्ड को दे दी गयी है। मगर हिमाचल जिसका आज भी यह मतालबा है कि शिमला की एक एक इंच जमीन हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, यहां की सेक्रेटेरियेट की बिल्डिंग को नहीं पा सका।

मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि एस० आर० सी० ने हिमाचल के साथ सख्त गैर इंसाफी की है। शिमला और कांगड़ा का इलाका इक्तसादी और सियासी रूप से हिमाचल का अंग है। आज के हिमाचल की तस्वीर एक ऐसी मूर्ति की तस्वीर है जिसका कहीं से हाथ काट दिया गया है और कहीं से आंख गायब कर दी गयी है। मगर हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब यह महसूस करते हैं कि शिमला और कांगड़ा का इलाका हिमाचल प्रदेश के लिए कितना जरूरी है और एस० आर० सी० की नाइंसाफी को दूर करके हिमाचल की जनता की मांगों को पूरा करेंगे।

मैं अपनी तकरीर खत्म करने से पहले जनाब होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमेशा हिमाचल की तरक्की में जाती तौर से दिलचस्पी ली है, वहां सड़कों और स्कूलों को कायम करने में मदद दी है, मगर हिमाचल की जनता इस मदद के अलावा जम्हूरी आजादी की भी मांग करती है और ख्वाहिश करती है कि वह दिन दूर नहीं जबकि एक विशाल हिमाचल प्रदेश बने, जहां टैरीटोरियल काउंसिल के बजाए जनता की मुंतखिब की हुई लेजिस्लेटिव असेम्बली बने, शिमला उसकी राजधानी हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बजाए गवर्नर उसका हैड आफ स्टेट हो, और हिमाचल के लोग यह कह सकें कि उनका सियासी दरजा किसी हालत में पंजाब और उत्तर प्रदेश के नीचे नहीं है।

†श्री बांगशी ठाकुर (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : हम संघ क्षेत्रों के लोगों के लिये गृह-कार्य मंत्रालय, अपना ही मन्त्रालय है।

त्रिपुरा को शेष भारत से सम्बन्धित करने वाली सड़क केवल एक ही है—आसाम-अगरतला सड़क। और दूसरा विमान मार्ग है कलकत्ता से अगरतला तक। लेकिन वह तभी तक जब तक कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध ठीक बने रहते हैं। इस सड़क पर पुलियों और पुलों की मरम्मत में एक वर्ष से अधिक समय लग जाता है।

सिंचाई के लिये सरकार काफी धन देती है, लेकिन उसका उचित उपयोग नहीं होता। यदि उसका उचित उपयोग किया जाये और नहरें वगैरह बनाई जायें तो त्रिपुरा में खाद्याभाव नहीं रहेगा। लेकिन धन का उपयोग नहीं किया जाता, उसे व्यपगत हो जाने दिया जाता है। कई वर्ष से यही चल रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बांगशी ठाकुर]

काफी मुश्किलों के बाद, केलासहर सब-डिवीजन के खोराबिल क्षेत्र में नहर बनाने का काम हाथ में लिया गया था। लेकिन उसे एक ठेकेदार को सौंप दिया गया है और वह ठेकेदार खुदाई के काम के लिये इतना कम दे रहा है कि कोई तैयार ही नहीं होता। मजदूरों का कोई हाजिरी रजिस्टर भी नहीं रखा जाता। मन्त्रालय को इस पर विचार करना चाहिये।

अगरतला की जनता को पीने के पानी के सम्भरण की एक योजना मंजूर हो गई है, उसके लिये धन भी दिया जा चुका है, फिर भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मन्त्रालय तो हमारे लिये आवश्यकतानुसार पर्याप्त धन देता रहता है और मन्त्रालय के अधिकारी भी बड़े योग्य हैं, फिर भी पता नहीं क्यों काम की कोई प्रगति नहीं होती। इसकी विभागीय जांच कराई जानी चाहिये।

त्रिपुरा के प्रशासन में अधिकारियों की भरमार है। जरूरी यह है कि प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जाये, जिससे कि निर्णय होने में विलम्ब न हो।

त्रिपुरा की जनता अधिक स्वायत्तता चाहती है, प्रादेशिक परिषद् अधिनियम में व्यवस्थित स्वायत्तता से अधिक। परिषद् पर प्रशासक द्वारा लगाई गई सीमाओं का अन्त किया जाना चाहिये सभापति की अनुपस्थिति में, उप-सभापति को उसकी शक्तियों के निर्वहन का अधिकार दिया जाना चाहिये।

केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण बोर्ड और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के बोर्ड की सिफारिशों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। उन सभी को कार्यान्वित कराया जाना चाहिये।

त्रिपुरा में चूहों के उत्पात के कारण आदिम जातियों के लोगों को बड़ा कष्ट है। मन्त्रालय को इसकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

त्रिपुरा के भूतपूर्व शासक के दिनों में आदिम जातियों के लोगों को कुछ ऋण दिये गये थे, जो अब उन्हें अदा करने में असमर्थ हैं। उनको माफ कर दिया जाना चाहिये।

अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को मैट्रिक के बाद के अध्ययन के लिये शिक्षा मन्त्रालय द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के वितरण में बड़ी अनियमिततायें होती हैं। यह काम गृह-कार्य मंत्रालय को अपने हाथों में लेना चाहिये।

त्रिपुरी भाषा में जो प्रसारण किया जाता है, वह त्रिपुरी भाषा के एक गीत से आरम्भ होता है, लेकिन उसकी धुन त्रिपुरा की नहीं रहती। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री के भाषण प्रसारित किये जाते हैं। इसके बाद बाजार भाव वगैरह। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण बोर्ड ने सफारिश की है कि इस प्रसारण-कार्यक्रम में कुछ और विषय जोड़े जाने चाहियें। त्रिपुरा में बसने वाली आदिम जातियों के अधिकांश लोग त्रिपुरी भाषा समझते हैं।

पुनर्वास मन्त्रालय का कहना है कि त्रिपुरा में शरणार्थियों को बसाने पर, लगभग ११ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। लेकिन उस धन का सदुपयोग नहीं हुआ। गृह-कार्य मन्त्रालय को इस पर विचार करना चाहिये।

अगले तीन चार महीनों में पुनर्वास मन्त्रालय के लगभग ३,००० कर्मचारी सेवा-मुक्त होने वाले हैं। माननीय मन्त्री को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उनको अन्य मन्त्रालयों में खपा लिया जाये।

†डा० गंगाधर शिव (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय गृह-कार्य मन्त्री को देश का प्रशासन बड़ी योग्यता से चलाने के लिये बधाई देता हूं। उन्होंने बड़ी निर्भीकता से काम किया है कि संघ लोक सेवा आयोग में एक हरिजन सदस्य नियुक्त कर दिया है।

वर्तमान दल के प्रशासन में ही यह सम्भव हो सका है कि आन्ध्र प्रदेश का मुख्य मंत्री एक हरिजन है।

अब मैं अपने समुदाय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वर्तमान मन्त्रालय ने अनुसूचित जातियों के लि बहुत कुछ किया है, फिर भी वह मेरे समुदाय के सात करोड़ लोगों को विकसित नहीं कर पाया है। सभी जानते हैं कि हमारे विकास के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं।

मेरे समुदाय के लोगों के भाग्य में बस एक ही चीज़ है—कठिन परिश्रम करना। ९० प्रतिशत लोग झोंपड़ियों में रहते हैं—धूप, हवा और बारिश के बीच। इसलिये मंत्रालय जिस प्रकार की सहायता दे रहा है, नौकरियों और पदोन्नतियों वगैरह के बारे में, उनसे केवल १० प्रतिशत को ही लाभ पहुंच पाता है। ९० प्रतिशत पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

दक्षिण भारत में एक जाति है—नाडर। पहले उन्हें सबसे अधिक अछूत माना जाता था। लेकिन अब श्री कामराज नाडर के नेतृत्व में उनका बड़ा उत्थान हुआ है। उनका बड़ा आर्थिक विकास हुआ है।

पूरे देश भर में आपको ऐसा एक भी हरिजन नहीं मिलेगा जिसे आयात-निर्यात की अनुज्ञप्ति दी गई हो। माननीय मन्त्री को इस पर विचार करना चाहिये। और आपको ऐसा एक भी हरिजन नहीं मिलेगा जिसकी अपनी टैक्सी या लारी चलती हो। परिवहन-व्यवसाय तो जैसे उनके लिये निषिद्ध है। सरकार को इसके लिये सहायता देनी चाहिये। तभी हरिजनों का आर्थिक विकास हो सकेगा।

सरकार छात्रावासों के प्रबन्ध के लिये हर विद्यार्थी को २० रुपये देती है। उसमें रसोइये, वार्डन, चौकीदार, इत्यादि का खर्च शामिल नहीं रहता। लेकिन हरिजन सेवक संघ और अन्य संघों को केवल १५ रुपये दिये जाते हैं, इन सभी खर्चों समेत। इससे हरिजन बालकों को उचित भोजन कैसे दिया जा सकता है।

मैं चाहता हूं कि हर हरिजन को बैलों की एक जोड़ी, कृषीय औजार, और आर्थिक सहायता के साथ दो-तीन एकड़ भूमि दी जाये। तभी वे आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बन सकेंगे।

†श्री अजित सिंह सरहदी (लुधियाना) : मैं गृह-कार्य मंत्रालय को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण मन्त्रालय मानता हूं, इसलिये कि कल्याणकारी राज्य के हमारे उद्देश्य की पूर्ति में यही सब से अधिक योग देता है। देश के बिखरे हुए अनेक तत्वों में एकता लाने का दायित्व भी इसी मन्त्रालय पर है। देश में भाषावार राज्यों सम्बन्धी पेचीदा समस्याओं को हल करने के लिये मैं इस मन्त्रालय को बधाई देता हूं।

कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक ऐसी सरकारी प्रशासकीय व्यवस्था की आवश्यकता है जो सामान्य जनता का विश्वास और भरोसा प्राप्त कर सके। इसका दायित्व भी इसी मन्त्रालय पर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अजित सिंह सरहदी]

प्रशासकीय व्यवस्था के तीन मुख्य स्तम्भ हैं —न्यायपालिका, कार्यपालिका और पुलिस ।

न्यायपालिका पर जनता को पूरा-पूरा भरोसा और विश्वास है । उसने विधि की गरिमा बनाये रखी है । लेकिन न्यायपालिका को एक इससे भी उच्चतर उद्देश्य की पूर्ति करना है—मानव की, नागरिकों की गरिमा बनाये रखना है । हमारे न्यायाधीशों को अपने आपको जनता का ही एक भाग समझना चाहिये ।

कार्यपालिका की सफलता की कसौटी यह है कि क्या वह सरकारी नीति और कार्यक्रमों को पूरी तौर से कार्यान्वित करती है, और क्या जनता को उस पर भरोसा और विश्वास है । कार्यपालिका जनता का विश्वास प्राप्त करने में असफल रही है । हमें देखना चाहिये कि इसका कारण कहीं यह तो नहीं है कि उच्च अधिकारियों में रोब-दाब और अहंकार है जबकि निचले स्तर के कर्मचारियों में निराशा और हतोत्साह है । इस पूरी व्यवस्था की जांच की जानी चाहिये ।

पुलिस के सम्बन्ध में माननीय गृह-कार्य मंत्री इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि पिछले ग्यारह वर्षों में पुलिस और जनता के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई है । जनता पुलिस से भय खाती है । मन्त्रालय को इस पर विचार करना चाहिये कि इस खाई को किस प्रकार पूरा किया जाये । मैं तो समझता हूं कि कार्यपालिका की भांति, पुलिस का भी विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिये । कई पाश्चात्य देशों में ऐसा किया गया है । वहां पुलिस की इतनी बड़ी मशीनरी नहीं बनाई गई है । वहां नगरपालिका पुलिस जैसी स्थानीय व्यवस्था की गई है ।

कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी की जा सकती है जब अनेकता में एकता स्थापित की जाये और सभी जनता संतुष्टि महसूस करे । माननीय गृह-कार्य मंत्री ने बम्बई के दो भाषीय राज्य की समस्या का हल करके इस दिशा में एक बड़ा योग दिया है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री मैसूर के सीमा-विवाद का हल भी इस ढंग से करेंगे कि जिससे दोनों ही पक्ष सन्तुष्ट हों । आशा है कि पंजाब राज्य की समस्या भी इसी प्रकार केन्द्रीय स्तर पर हल की जायेगी, उसे राज्य के गुटों के लिये नहीं छोड़ा जायेगा । पंजाब सरकार ने हाल में एक सद्भावना समिति नियुक्त की थी । उस समिति ने कहा है कि सभी बातों को देखने के बाद, समिति इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि मौजूदा कटुता का मूल कारण यह है कि भाषा के प्रश्न पर लोगों में मतभेद है । इसलिये भाषा की समस्या का एक ऐसा हल निकाला जाना चाहिये, जिससे सभी सहमत हों । माननीय गृह-कार्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री को ऐसा एक हल निकालने का प्रयास करना चाहिये । हम जानते हैं कि इसी के लिये एक प्रादेशिक सूत्र तैयार किया गया था, जिसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त था, और संसद् ने जिसका अनुमोदन किया था ।

उस सूत्र से सभी सहमत हैं और उसमें सभी प्रदेशों के विकास की गुंजाइश रखी गई थी । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने सुझाव रखा है कि एक संविहित बोर्ड गठित किया जाये, जो हिन्दी के प्रदेश को पंजाबी के प्रदेश के समान ही विकसित करे । इससे प्रकट है कि इस समस्या में प्रादेशिक महत्वकांक्षायें भी निहित हैं । भाषा का प्रश्न तो इससे जुड़ा हुआ है ही ।

इस समस्या को हल करने का यही उपयुक्त समय है । माननीय गृह-कार्य मन्त्री ने विधेयक की चर्चा के समय कहा था कि उन्हें यह सूत्र विशेष तौर पर पसन्द है । मुझे भी वह विशेष पसन्द है, क्योंकि वह प्रादेशिक जनता की सभी मांगों को पूरा करने के साथ ही देश की एकता भी बनाये रखेगा । हमारे प्रधान मन्त्री ने हिन्दी-आन्दोलन के नेता से कहा था कि प्रादेशिक सूत्र की असफलता का मतलब यही होगा कि एक भाषीय राज्यों की स्थापना हो ।

पंजाब सरकार ने २६ व्यक्तियों की जो सद्भावना समिति बनाई है, उसमें एक प्रारम्भिक गलती यह की है कि प्रादेशिक सूत्र के बारे में सम्बन्धित दलों से परामर्श नहीं किया गया । परिणाम यह हुआ है कि प्रादेशिक सूत्र के समझौते का निर्णय करने वाले दलों के प्रतिनिधि उसमें हैं ही नहीं। इसलिए अब केन्द्र को ही उसका निर्णय करना पड़ेगा ।

और निर्णय भी क्या किया जायेगा जबकि इसके बारे में हरियाना प्रान्त और पंजाबी प्रदेश जैसी परस्पर विरोधी मांगें सामने आ रही हैं? लेकिन इसका हल केन्द्र को ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह समस्या अखिल भारतीय महत्व की है । इस समस्या के हल हो जाने पर देश की शक्ति बढ़ेगी। वह मजबूत होगा । पंजाब की जनता को भी सन्तोष होगा । इसलिये इसको हल करने का दायित्व माननीय गृह-कार्य मन्त्री को अपने ऊपर लेना चाहिये ।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : श्री चे०र० पट्टाभिरामन् ने सरकार की पिछड़ी जातियों संबंधी नीति की पुष्टि की है तथा इसके समर्थन के लिये उन्होंने केन्द्र तथा राज्य की सुधार योजनाओं के ब्योरे रखे हैं। इस संबंध में कोई सन्देह नहीं है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में पिछड़े वर्गों के लिये ९१ करोड़ रुपये की राशि रखी गई है तथापि प्रतिवर्ष पर्याप्त राशि व्यपगत होती है । जैसे निम्न राशियों से प्रमाणित होगा । केन्द्र में प्रथम तीन वर्षों की अवधि के लिये ३१,२६,३९,००० रुपये निर्धारित किये गये थे जिसमें से उस अवधि म केवल ९,२९,५१,३०० रु० व्यय हुये हैं। राज्यों के लिये ५७ करोड़ रुपये रखे गये थे जिनमें से केवल २,४२,९२,०७,००० रुपये व्यय हुये हैं । इसी प्रकार द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों के भवन् निर्माण के लिये ६,१०,५०,००० रुपये रखे गये थे जिनमें से केवल २,९२,४५,३०१ रुपये व्यय हुये ।

अब मैं अनुसूचित जातियों को दिये गये भूमि वितरण पर आता हूं । अब तक केवल ६२ लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है और करोड़ों एकड़ भूमि बंजर पड़ी है । भूदान में प्राप्त भूमि का भी वितरण नहीं हो पाया है । जहां भूमि वितरित भी हुई है वहां वे उसे जोतने में सफल नहीं हुये हैं क्योंकि बिना आर्थिक सहायता के वे इस कार्य को नहीं कर सकते हैं ।

शिक्षा के लिये दिये गये अनुदान में निरंतर वृद्धि हो रही है तथापि देश के प्राइमरी तथा मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की संख्या उपलब्ध नहीं है . जब तक इस संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तब तक भावी योजनायें किस प्रकार बनाई जा सकती हैं ।

अब मैं कल्याणकारी योजनाओं को लेता हूं उनकी क्रियान्विति बहुत धीमी गति से हो रही है । यद्यपि केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर कई बार दिलाया गया है तथापि इस स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है । केन्द्रीय सरकार अकसर यह बहाना बनाती है कि इनकी क्रियान्विति राज्य सरकारों पर निर्भर है अत: वे इसके दोषी नहीं हैं तथापि केन्द्र प्रशासित राज्यों में अवस्था में और भी बुरी हैं वहां की राशियों का बहुत बड़ा अनुपात उपयोग नहीं किये जाने के कारण व्यपगत हो जाता है । योजनाओं में ढिलाई होने के कुछ विशेष कारण हैं। पहिला यह कि राज्यों के अन्य विभागों का कल्याणकारी विभाग के साथ उचित समन्वय नहीं होता है । प्रशिक्षिता कमंचारियों व विशेषज्ञों की कमी नहीं है । सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि सरकार को समस्या की व्यापकता का कोई ज्ञान नहीं है । न वे इस संबंध में सर्वेक्षण कर जनता की वास्तविक आवश्यकतायें ही जानना चाहते हैं मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कोडियान]

मेरा सुझाव है कि तीसरी योजना बनाते समय सर्व प्रथम पूर्ववर्तिता भूमि वितरण को दी जाये। इसके पश्चात् उनमें घरेलू उद्योग धंधों का प्रचार करने और उनके लिये गृह निर्माण की योजनाओं को बनाने की ओर ध्यान दिया जाये। योजनाओं का लक्ष्य निश्चय करने के पूर्व हमें पूर्ववर्तिता निर्धारित कर लेनी चाहिये।

देश के धार्मिक गुरू या प्रधान राजनीति में अनुचित दबाव डाल रहे हैं। केरल के हाल के चुनावों में हमने देखा कि धर्म से निष्कासित करने की धमकी देकर केरल के मतदाताओं पर दबाव डाला गया है। चुनावों के बाद त्रिवेन्द्रम् के बिशप ने यह आदेश जारी किया कि जिन लोगों ने साम्यवादियों और क्रांतिकारी समाजवादी दल को मत दिये उन्हें धर्म से निष्कासित कर दिया जायेगा। उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सत्ताधारी दल मुस्लिम लीग जैसे साम्प्रदायिक दलों को भी प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसी बातें लोकतंत्र के विकास के लिये घातक हैं। सरकार को ऐसी बातों पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री नौशीर भरूचा ने कुछ कटौती प्रस्ताव रखे थे वे दिल्ली के म्यूनिसिपल प्रशासन के संबंध में थे। मैंने उन्हें इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि वह एक स्वायत्तशासी निगम है अतः हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्वखानदेश): नई दिल्ली म्यूनिसिपल समिति के विरूद्ध हजारों शिकायतें हैं। वहां यदि यही स्थिति रही तो समिति को भंग करने की नौबत आ सकती है। और यह कार्यवाही सिर्फ गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा की जा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्रालय को उसके उचित संचालन के संबन्ध में कोई अधिकार नहीं है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत)** : नई दिल्ली म्यूनिसिपल समिति एक स्वायत्तशासी संस्था है। हमें उसके संबंध में उतनी ही शक्तियां हैं जितनी कि इस प्रकार की अन्य संस्थाओं के संबंध में। हम उन्हें निदेश नहीं दे सकते तथापि हम सुझाव दे सकते हैं। स्वायत्तशासी संस्था के रूपमें उसे अपने क्षेत्र के विषयों के संबंध में पूर्ण अधिकार है। वह कर जमा करती है तथा उसे व्यय करती है। उसके बजट में हम लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। उसे इन सारे मामलों को स्वयं निपटा लेने का अधिकार है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम्): स्थानीय निकाय अधिनियम के अनुसार सरकार को म्यूनिसिपल्टियों को सुझाव और निदेश देने तथा म्यूनिसिपल्टियों के भंग करने का अधिकार है। यह मामला कुप्रशासन का है अतः सरकार उन्हें निदेश दे सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विषय एक स्वायत्तशासी संस्था के भीतरी मामलों और प्रतिदिन के प्रशासन से संबंध रखता है। अतः इन मामलों को यहां पर नहीं उठाया जाना चाहिये। वैसे यदि कोई सदस्य कुप्रशासन आदि का मामला किसी संकल्प आदि के जरिये उठाना चाहे तो उस पर अलग विचार किया जा सकता है, मगर सामान्य बजट में इन विषयों को उठाना ठीक नहीं है।

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : गृह मंत्री तथा उनके मंत्रालय ने देश के पिछड़े वर्गों की सेवा कर, राष्ट्र की जो सेवा की है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। सभा में

---

†मूल अंग्रेजी में

जो भाषण हुये हैं उनसे भी गृह मंत्री तथा उपमंत्री महोदय को सभा में हुये भाषणों से सन्तोष होना चाहिये क्या ये भाषण पिछले वर्ष के भाषणों से भिन्न हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वस्तुत: देश से अस्पृश्यता बहुत कम हो गई है। जो रह गई है वह भी आशा है थोड़े समय में कम हो जायेगी। छुआछूत भारत तथा हिन्दू धर्म के माथे पर एक कलंक है।

इस संबंध में मैं पिछड़े वर्ग के नेताओं से यह अपील करता हूं कि वे छुआछूत को दूर करने के इस महान कार्य में गृह मंत्री को सहयोग देवें। इस संबंध में हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है।

अनुसूचित जातियों को जो राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हुआ है उसका कारण यह है कि मंत्रालय के विचार से इस राजनैतिक रियायत के कारण पिछड़ी जातियों का उत्थान होगा तथापि इससे हमारा सक्रिय सहयोग आवश्यक है।

कुछ सदस्यों ने शिकायत की है कि अस्पृश्यता देश के कोने कोने में व्याप्त है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित किया है। संविधान के अनुसार भी अस्पृश्यता अवैध ठहरा दी गई है। इस संबंध में सभी का विशेषत: गांवों में रहने वाले व्यक्तियों का कर्त्तव्य है कि वे इस बुराई से लोहा लें और इसका मूलोच्छेद करें।

अस्पृश्यता निवारण के संबंध में हमें अपने नेताओं तथा संविधान का भी सहयोग प्राप्त है। प्रधान मंत्री ने हाल में कहा है कि हमें अस्पृश्यता शब्द हटा देना चाहिये, तथापि हमें शिक्षा तथा नौकरियों में जो भी रियायतें मिली हैं वे अस्पृश्य होने के कारण मिली हैं। और इन रियायतों के कारण ही हम अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ हो रहे हैं यदि ये रियायतें हटा ली जायेंगी तो जो कुछ भी प्रगति इन वर्षों के दौरान हुई है वह सब समाप्त हो जायेगी। अत: यह शब्द चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो हमारे साथ अगले १० वर्षों तक चिपका रहेगा क्योंकि सारी रियायतें इसी के आधार पर मिली हुई हैं। यह एक गम्भीर विषय है हमें इस संबंध में विचार करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री अस्पृश्यता के विरूद्ध अपनी शक्तिशाली आवाज उठायेंगे और जो व्यक्ति इस विधि का उल्लंघन करेगा उसे कठोर दंड दिया जायेगा।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक): मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं जो सुरक्षा लोक सेवाओं तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के संबंध में हैं। जहां तक अस्पृश्यता की समस्या है यह समस्या बहुत पुरानी है। जहां तक मुझे याद है १९२० में कांग्रेस ने अपने खुले अधिवेशन में अस्पृश्यता को समूल नष्ट करने का संकल्प पारित किया था। तत्पश्चात् १९३२ में पूना करार हुआ था जब सभी नेताओं ने डा० अम्बेदकर को यह आश्वासन दिया था कि वे उन रियायतों को छोड़ दें जो उन्हें मिली हैं वे १० वर्ष के भीतर देश से अस्पृश्यता को हटा देंगे। आज ३० वर्षों बाद भी देश में अस्पृश्यता विद्यमान है। जब कि सरकार से इस संबंध में सफाई मांगी जाती है तो वे कई बहाने बना देते हैं। मैं कहता हूं कि सामाजिक समानता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है यह हमें अभी प्राप्त होना चाहिये। हम इसी के लिये संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने देश से अस्पृश्यता दूर करने के लिये करोड़ों रुपये व्यय कर दिये तथापि उसका क्या ठोस परिणाम निकला। इस संबंध में एक दिवाकर समिति नियुक्त की गई थी। समिति का सुझाव था कि आर्थिक दशा में सुधार होने के बाद ही अस्पृश्यता दूर हो सकती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस संबंध में क्या किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भा० कृ० गायकवाड़]

और करोड़ों रुपये व्यय करने के पश्चात् कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार किया है ।

इस संबंध में हमने कई मन्त्रियों व सरकारी अधिकारियों से बातचीत की तथा उनसे अनुरोध किया कि अनुसूचित जाति के लोगों को कोयला डिपो, अनाज की दुकानें चलाने के लिये लायसेंस मिल जाये । लेकिन हमें यह बताया गया कि लायसेंस उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पितामह इत्यादि यह काम करते थे । तत्पश्चात अनुरोध करने पर हमें कुछ नियम बनाने का आश्वासन दिया गया ।

इसी प्रकार अनुसूचित जातियों की दशा में सुधार के लिये उन्हें खेती की भूमि देनी चाहिये । इतना ही नहीं उसे जोतने के लिये बैल, खाद व बीज इत्यादि भी मिलने चाहियें ।

इस संबंध में सरकार जो नीतियां अपना रही है उनमें भी एक विरोधाभास हैं । एक ओर सरकार जातिभेद रहित समाज की स्थापना करना चाहती है दूसरी ओर हिन्दू धर्म को कायम रखना चाहती है जो इन समस्त जातियों का मूल है । इसी प्रकार एक ओर संविधान के अन्तर्गत कहा गया है कि अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है दूसरी ओर अपने को अस्पृश्य कहने वाले लोगों को रियायतें दी जा रही हैं । सरकार को चाहिये कि न केवल सवर्ण हिन्दुओं को अपितु अपने को अस्पृश्य कहने वाले अस्पृश्य व्यक्तियों को भी दंड दे ।

अब मैं सरकार का ध्यान देश म अनुसूचित जाति के लोगों पर किये जाने वाले अत्याचारों तथा उनकी बस्तियों पर आग लगाने व लूटमार की घटनाओं को लेता हूं । ये घटनायें न केवल दिल्ली में अपितु समस्त देश में हो रही हैं । दिल्ली में एक अनुसूचित जाति के सदस्य डा० निर्वाण हैं । उन्होंने दिल्ली में चलने वाली गुंडागर्दी की ओर दिल्ली पुलिस का ध्यान आकर्षित किया था । जब उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उन्होंने संवाद पत्रों में तत्संबंधी बातें प्रकाशित कीं जिस पर उन्हें पुलिस कोतवाली में बुलाया गया और पीटा गया ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित अनुसूचित जातियां) : जिनका जिक्र किया जा रहा है जहां तक मुझे ज्ञात है उनका मामला चीफ कमिश्नर साहब के यहां भेजा गया था, और उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट को इस बात के लिये नियुक्त किया है कि वह इसकी एन्क्वायरी करे । चूंकि वह एन्क्वायरी चल रही है इसलिये माननीय सदस्य को इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, अगर एन्क्वायरी चल रही है तो मेम्बर साहब को इंतजार करना चाहिये , और वह इसका जिक्र इस वक्त न करें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या १०५० और १०५१ को लेता हूं । मैंने १९५७ में गृह मंत्री से यह आग्रह किया था कि सरकारी कर्मचारी आचार नियमों में से खंड ४(क) व ४(ख) को हटा दिया जाये । इस समय सरकार को किसी बड़ी हड़ताल का भी सामना नहीं करना है, इन खंडों के रहने के कारण किसी मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ के लिये काम करना बहुत कठिन है : अतः मेरे विचार से इन खंडों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि हम सभी वर्गों के कर्मचारियों का सहयोग चाहते हैं तो हमें चाहिये कि हम इन खन्डों को हटा लेवें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव, विभिन्न आंदोलनों के सिलसिले में पकड़े गये व्यक्तियों और विरोधी दलों के सदस्यों को कोई विशेष श्रेणी न दिये जाने के संबंध में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के दिनों में आंदोलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को राजनैतिक बन्दी माना जाता था और उन्हें कोई श्रेणी दी जाती थी तथापि स्वतंत्रता के पश्चात् अभी हाल के खाद्य आंदोलनों के सिलसिले में जो लोग पकड़े गये उनके साथ सामान्य कैदियों का सा व्यवहार किया जा रहा है। वस्तुतः उन्होंने देश के हित के लिये त्याग किया है अतः उनके साथ राजनैतिक बन्दियों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिये।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न नियुक्तियों के लिये परीक्षायें ली जाती हैं। केन्द्रीय सचिवालय में एसिस्टेंट के पदों पर नियुक्ति के लिये १९५९ में जो परीक्षायें हुईं उसमें २४,००० व्यक्ति शामिल हुये जिनमें से १,०२० व्यक्तियों को अर्हता प्राप्त हुई और केवल १५४ व्यक्ति नियुक्त हुये। वस्तुतः ऐसा करना देश के बेरोजगार व्यक्तियों के साथ एक मजाक करना है। सुनने में आया है कि मई १९६० को एक और परीक्षा होने वाली है। यदि जगहें नहीं हैं तो परीक्षा लेना अनावश्यक है। साथ ही मेरी जानकारी के अनुसार लोक सेवा आयोग के बोर्ड में एक विभागीय विशेषज्ञ रहता है जिसके द्वारा काफी पक्षपात किया जाता है। मेरा सुझाव है कि इसे बोर्ड में स्थान न दिये जाने के संबंध में विचार किया जाये। केन्द्रीय सचिवालय में अभी २,००० एसिस्टेंट ऐसे हैं जिनको काम करते हुये १५–२० वर्ष हो चुके हैं लेकिन वे अभी तक अस्थायी हैं। उनमें से बहुत से तो पदनिवृत्त होने वाले हैं।

अब मैं भ्रष्टाचार को लेता हूं। इसका उन्मूलन करना कठिन है। अभी हाल मैंने समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार पढ़ा था कि एक ६५ वर्षीय व्यक्ति ने इस आधार पर भूख हड़ताल कर रखी है कि वह प्रधान मंत्री से यह आश्वासन चाहता है कि वे भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करेंगे वह व्यक्ति पिछले ५ वर्षों से भूख हड़ताल पर है और उसे बलात खाना दिया जा रहा है। हमें इस बात से प्रसन्नता हुई है कि कांग्रेस प्रधान ने कहा है कि प्रत्येक मंत्री को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति घोषित करनी चाहिये। जिन अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति ५०,००० से ऊपर हो उनके बारे में सरकार को निश्चित जानकारी रखनी चाहिये।

विभिन्न मंत्रालयों के अधीन २२ कल्याणकारी अधिकारी हैं। इनमें से केवल तीन अर्हता प्राप्त हैं जबकि १७० अर्हता प्राप्त व्यक्ति इस पुंज में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार को ऐसी स्थिति पर गौर करना चाहिये।

दिल्ली में ५ या ६ अवैतनिक मजिस्ट्रेट हैं जो वकालत पास भी नहीं हैं। वे धारा ३२३ और ३२४ के मामलों का निपटारा करते हैं जिनमें दो से तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिये।

†**श्री नौशीर भरूचा** : सभा में बहुत शीघ्र राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया जाने वाला है, इस संबंध में मैं बैलगांव क्षेत्र के विवादों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि वहां विवाद उग्ररूप धारण करता जा रहा है। यदि इस संबंध में बम्बई और मैसूर के मुख्य मंत्रियों में मतभेद भी हो तो भी उनके ऊपर उचित निर्णय थोपा जा सकता है। इस संबंध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि सीमा आयोग संबंधी सुझाव को स्वीकार किया जाये।

अब मैं नई दिल्ली म्यूनिसिपल समिति को लेता हूं। इसके संबंध में जनता को हजारों शिकायतें हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इस विषय को आय व्ययक की चर्चा के समय न उठाया जाये ; हां अगर अलग कोई प्रस्ताव भेजा जायेगा तो उस पर सोचा जा सकता है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं आपके निर्णय का पालन करूंगा । लेकिन मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे समिति को भंग कर सकते हैं, यदि हां तो उन्होंने उन हजारों शिकायतों की उपेक्षा क्यों की जो इस संबंध में की गई । मेरे विचार से गृह मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि दिल्ली के निवासी सन्तुष्ट रहें तथा उन्हें बिजली या पानी संबंधी कोई कठिनाई न हो ।

†**श्री गो० ब० पंत**: अगर नई दिल्ली म्यूनिसिपल समिति के प्रतिवेदन पर आप का कोई प्रस्ताव आया और यदि वह ग्राह्य होगा तो मैं इसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा । तथापि हम यहां इसी विषय पर बराबर नहीं बोल सकते ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : अब मैं भाषा के प्रश्न को लेता हूं । इस संबंध में प्रधान मंत्री ने एक बहुत ही उपयुक्त और समयोचित सुझाव रखा था कि हिन्दी भारत की सरकारी भाषा होगी तथापि अंग्रेजी भी सहायक भाषा की तरह चलती रहेगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस निश्चय को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है ।

उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग का क्षेत्र काश्मीर तक विस्तृत कर दिया गया है । हमें चाहिये कि हम काश्मीर का भारत में पूर्णतः एकीकरण करें जब पाकिस्तान काश्मीर में अपनी स्थिति सुदृढ़ बना रहा है तो काश्मीर के मामले में हमें ढिलाई नहीं करनी चाहिये ।

मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के संबंध में सरकार की नीति क्या है । क्या सरकार ने उन्हें कृषि योग्य भूमि देने के लिये कोई निश्चित पंचवर्षीय योजना बनाई है । सरकार को चाहिये कि वह इस संबंध में सरकारी नीति को स्पष्ट करें ।

यह हमारे लिये लज्जा की बात है कि कुछ व्यक्ति हिन्दू धर्म को त्याग कर बौद्ध बन गये हैं । उनके बौद्ध बन जाने से उनकी आर्थिक दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं आ गया । अतः मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को मिलने वाली सारी रियायतें इन व्यक्तियों को भी मिलनी चाहियें ।

श्री रूप नारायण (मिर्जापुर—रक्षित—अनसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार करने में प्रसन्नता होती है कि गृह मत्रालय के द्वारा जो प्रयास हरिजनों को उठाने के लिये उनके अपलिफ्ट के लिये, किया जा रहा है, वह सन्तोषजनक है । इस हाउस में माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में जो कुछ कहा है उससे भी यह मालूम होता है कि सरकार जो कुछ प्रयास कर रही है वह उचित है । मुझे बहुत खुशी होती है यह कहने में कि हरिजनों की भलाई के लिये जो कार्य किये जा रहे हैं उनमें केन्द्रीय सरकार के रुख में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है और वह पहले से अधिक अच्छा है । मैं यह जरूर कहूंगा कि शायद वह परिवर्तन हमारे गृह मंत्री माननीय पन्त जी की वजह से हुआ है । जब सन् १९५२ में मैं यहां आया था तब यहां पर होम मिनिस्टर डा० काटजू थे । उस वक्त हम लोग कई डेपुटेशन ले कर गये थे । उन्होंने कहा था कि अब तो अनटचेबल नहीं हैं । अब हरिजन हैं ही नहीं, आप हरिजन हरिजन क्यों चिल्लाते हैं ? लेकिन दरअसल बात ऐसी नहीं थी । पन्त जी के आने से चारों तरफ लोगों में काफी सन्तोष हुआ है । बहुत सी कमेटियां बनीं, हम लोग काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं । इस का एक और प्रमाण है कि जब कोई काम होता है और उस में हम

†मूल अंग्रेजी में

भी सफल होते हैं तो कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ आलोचना भी करते हैं। हरिजन की कुछ तरक्की हुई है, उनमें कुछ कांशसनेस आई है। इस को देख कर लोगों के अन्दर कटुता बढ़ती है। यह बड़े खेद की बात है, बड़े दुःख की बात है कि जब हरिजन कुछ आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग उसको नापसन्द करते हैं। विरोध की भावना कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम लोग अब आगे बढ़ने लगे हैं, जब हमको उठाया जाता है तो यह सोचना चाहिये कि हमारे साथ सदियों से बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। हर एक व्यक्ति इसको मानता है कि हम लोग काफी गिरी हुई हालत में हैं, लेकिन फिर भी अगर हरिजनों के लिये कुछ काम किया जाता है तो उनके हृदय में विरोध की भावना उठती है। अभी रिजर्वेशन का सवाल आया था। आपने देखा कि जब यह कहा गया कि दस वर्ष के लिये रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाये तो बहुत से लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और सब जगह एक बड़ा भारी वावेला मच गया और हरिजनों को भी बड़ी परेशानी हुई। लेकिन मुझे गृह मंत्री माननीय पन्त जी को धन्यवाद देते हुये बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने इस मसले को बड़ी अच्छी तरह हल किया। चूंकि उनके दिल में हरिजनों के प्रति सहानुभूति थी इस लिये लोगों के विरोध करने पर भी वे बिल को यहां पर लाये और उस को पास कराया।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब रेलवे मंत्रालय पर बहस हो रही थी तो कुछ भाइयों ने कुछ अपने दिल की कटुता और रोष प्रकट किया था। वह रोष शायद इतनी बुरी तरह से प्रकट किया गया था कि हमारे देश के हरिजनों में कुछ परेशानी सी फैल गई। वह रोष और कटुता शायद इसलिए प्रकट की गई राज्य सभा में और यहां पर कि हमारे रेलवे मंत्री एक हरिजन हैं और इसी लिए, यह कहा गया, वह हरिजनों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसके लिए कुछ लोगों ने उन को क्रिटिसाइज किया। हमारे सिंहासन सिंह जी बैठे हैं, उन्होंने कहा और राज्य सभा में भी कहा गया।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : मैं ने कुछ नहीं कहा।

श्री रूप नारायण : कहा गया कि हरिजनों को रेलवे में ज्यादा स्थान दिये जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं इस बात को तय किया जाता। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्यों नहीं एक कमीशन नियुक्त किया जाता, या कमेटी आफ एन्क्वायरी नियुक्त की जाती, जो इस को देखे। मैं कहना चाहता हूं कि इस कमीशन में हरिजनों को न रखा जाये, ब्राह्मणों को रखा जाये या दूसरी ऊंची जातियों के लोगों को रखा जाये, और यह देखा जाय कि क्लास ३ और क्लास ४ में जो जगहें हरिजनों के लिए रिजर्व हैं, उन में हरिजनों को क्यों नहीं रखा गया। वे अपनी जति के कितने लोगों को रिजर्व स्थानों पर रखे हैं।

मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं अपने जिले का। साल भर पहले मुझे मालूम हुआ कि सरकार ने एक आदेश जारी किया कि ब्लाकों में और प्लैनिंग आफिस में जितने चपरासी रखे जायें वे हरिजन रखे जायें। जब मैं ने इस के बारे में जिलाधीश को लिखा कि मुझे बतलाया जाये कि बनारस जिले में कितने चपरासी प्लैनिंग विभाग में रखे गये हैं और उन में से कितने हरिजन हैं। तीन महीने बाद जवाब आया जिलाधीश का भी और अतिरिक्त जिलाधीश का भी तो दोनों में बहुत अन्तर था। मैंने फिर लिखा कि तीन महीने बाद तो आप ने जवाब दिया कि जिले में कितने चपरासी हरिजन हैं, लेकिन दो उत्तरों में बहुत अन्तर है। मैं किस को सही मानूं। फिर मेरे पास जवाब आया कि जिले में १२ ब्लाक हैं, कुल स्थान ६५ हैं उन में १९ हरिजन हैं। जब आदेश यह है कि सभी चपरासी हरिजन होंगे, तो ६५ में से कुल १९ चपरासी हरिजन हैं। इस के लिए कोई माननीय सदस्य क्यों नहीं यहां कहते ? जब रेलवे मंत्रालय पर बहस हो रही थी तो कहते

[श्री रूप नारायण]

थे कि एफिशिएन्सी घट रही है । लेकिन जिन लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया था, मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्यों उन जगहों पर जो कि हरिजनों के लिए हैं, दूसरी जातियों के लोगों को लिया जाता है ? चपरासियों की नियुक्ति से तो एफिशियेंसी नहीं घटती है ।

एक माननीय सदस्य : जगहें कितनी हैं ?

श्री रूप नारायण: सब मिला कर ६५ आदमियों की स्ट्रेंग्थ है, और उन में से केवल १९ हरिजन हैं ।

श्री रघुवीर सहाय (बदायूं) : वह पहले से रखे हुए होंगे ।

श्री रूप नारायण: जब से ब्लाक बने हैं, तब की मैं बात कर रहा हूं । वैसे आदेश पहले से हैं और जब से आदेश हुआ कि चपरासी हरिजन रखे जायें, तभी की बात मैं कह रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरे लोगों की बातों को जाने दीजिये, वक्त बहुत कम है ।

श्री रूप नारायण : मैं यह कह रहा था कि इस तरह की गलत प्रवृत्ति होती जा रही है और जो सही बात है उस को इग्नोर कर के गलत चीज को यहां कहना, क्रिटिसाइज करना, ठीक नहीं है ।

दूसरी बात मैं भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं । भ्रष्टाचार के विषय में बहुत से लोगों ने बहुत तरह की बातें कहीं । हमारे देशमुख साहब ने तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ट्राइब्यूनल की बात कही थी, विरोधी सदस्यों ने भी इस के बारे में कहा । मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि किसी ट्राइब्यूनल से कहीं कोई भ्रष्टाचार रुक सकता है ? ला कोर्ट्स में डिसीजन्स हो रहे हैं । क्या आप मानते हैं कि ला कोर्ट्स में हमेशा सही डिसीजन हो सकते हैं ? कभी नहीं हो सकते । हर एक मानता है कि ला का इंटरप्रेटेशन दूसरा हो जाता है और असली कल्प्रिट छूट जाता है । ट्राइब्यूनल भी तो ला प्वाइंट्स को ही देख सकेगी । इस के लिए मेरा एक सुझाव है और मैं चाहता हूं कि अपोजीशन के लोग भी इस पर विचार करें और इस से सहमत हों । हमारे देश में कुछ लोगों पर विश्वास किया जाये । प्रधान मंत्री पर, या होम मिनिस्टर पर, किसी पर भी, विश्वास किया जाय । और वह करना ही होगा क्योंकि बिना विश्वास किये हुए हमारा काम नहीं चल सकता । साथ ही सरकार को भी विश्वास हो, प्रधान मंत्री जी जानते हैं, होम मिनिस्टर जानते हैं कि कौन आदमी कैसा है । जो अधिकारी भ्रष्ट हैं उन्हें फौरन निकाल दें बिना किसी जांच करवाये ।

एक माननीय सदस्य : मगर वह यह करने को तैयार नहीं हैं ।

श्री रूप नारायण : आप मेरी बात सुन लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय: मालूम होता है कि आप के पास बहुत फालतू वक्त है, क्योंकि आप बहस भी करते हैं ।

श्री रूप नारायण: अगर इसके लिए संविधान को बदलने की जरूरत हो तो उसे बदला जा सकता है । इस के सिवा कोई रास्ता नहीं है कि देश में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाये । मैं मानता हूं कि यह एक ऐसा स्टेप है जो कि बहुत कड़ा स्टेप है, लेकिन इस से ही भ्रष्टाचार बन्द हो सकता है ।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष जो कार्य किया है उसके लिए मंत्रालय प्रशंसा का पात्र है। कल श्री गोरे ने भ्रष्टाचार का प्रश्न उठाया था और कहा था कि इसकी जांच के लिए एक अधिकरण नियुक्त किया जाये। मेरे विचार से ऐसे न्यायाधिकरण की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान विधि इसके लिए पर्याप्त है। कठिनाई यह है कि जिन लोगों को इस सम्बन्ध में जानकारी है वे आगे नहीं आते हैं न पुलिस को ही सूचना देते हैं।

प्रशासन सतर्कता विभाग के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि हमारे देश की प्रशासनिक सेवायें बहुत कुशलतापूर्वक कार्य कर रही हैं मेरे विचार से हमारी प्रशासन सेवायें विश्व की सर्वोत्तम सेवाओं के समकक्ष रखी जा सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए कठोर नियम हैं यथा १००० रुपयों से अधिक की राशि की अचल सम्पत्ति का अर्जन करते समय सरकार को सूचना देनी होती है तथा यदि किसी प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी का पुत्र या पुत्री किसी गैर-सरकारी फर्म में काम करे तो पहिले अनुमति लेनी आवश्यक होती है इत्यादि; तथापि प्रतिवेदन से यह ज्ञात नहीं होता है कि आलोच्य वर्ष में ऐसे कितने मामले सरकार के सम्मुख आये।

अब मैं सीमा सम्बन्धी विवादों को लेता हूं। हम सभी समवायों के सम्बन्ध में शान्तिपूर्ण निपटारे पर विश्वास करते हैं। अपने देश के भीतरी मामले भी हमें इसी आधार पर निपटाने चाहिएं। हमें संबंधित मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए। यदि वह मामला फिर भी तय न होतो यह मामला किसी मध्यस्थ या गृहमंत्री को सौंपा जा सकता है। तथापि इस सम्बन्ध में सीमा सम्बन्धी आयोग नियुक्त करना ठीक नहीं है क्योंकि इससे साम्प्रदायिक तत्वों को प्रोत्साहन मिलेगा।

अब मैं अनुसूचित जातियों के प्रश्न को लेता हूं। १९५० की अपेक्षा उनकी अवस्था बहुत अच्छी है। निसंदेह प्रगति संतोषजनक नहीं हुई है और हमें बहुत काम करना है तथापि इस कार्य के लिए जनता का सहयोग अपेक्षित है आशा है द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से जनता सामान्य स्थानों के लिए अनुसूचित जातियों के लोगों को चुन कर अपना सहयोग व्यक्त करेगी।

उड़ीसा की कुछ आदिम जातियों को अनुसूचित आदिम जाति घोषित कर दिया है। मैंने १९५७ और १९५८ में कटौती प्रस्ताव रख कर उन्हें अनुसूची से हटाने की मांग की थी। उड़ीसा की राज्य सरकार भी उन्हें हटाने को सहमत हो गई है अतः उक्त आदिम जाति को शीघ्र अनुसूची से हटा दिया जाये।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं केवल संक्षेप में दो बातों के सम्बन्ध में अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं। पहली बात तो मुझे यह कहनी है और जो कि इस मंत्रालय पर हुए वादविवाद से साधारणतया आवश्यक प्रतीत होती है वह है हमारे प्रशासन में सुधार। आज हमारे प्रशासन में ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है जोकि जनतंत्रीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसकी आवश्यकता अनुभव करते हुए मसूरी में एक नेशनल ऐकेडमी आफ इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेशन स्कूल खोला गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि १३ वर्ष देश को आजाद हुए हो गये हैं लेकिन इस १३ वर्ष की आजादी के बाद भी योग्यता होने के साथ साथ जो आवश्यकता इस बात की थी अधिकारी अपने विवेक का प्रयोग केवल इस कार्य के लिए न करें, शक्ति और अधिकार के लिए प्रयोग न करें बल्कि वे मानवीय मूल्यों के साथ साथ जनता से अपने को मेल खिलाते हुए करें, यह खेद का विषय है कि ऐसी स्थिति अभी तक देश में पैदा नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में जनता का इस तरह का दीक्षा देने का जो प्रश्न है वह तो ठीक ही है लेकिन उसी के साथ साथ ऐसे नियम और कानून जो कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद द्वारा इस देश में

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० ना० सिंह]

लागू किये गये थे और जिनके चलते हुए आज भी देश में अन्याय हो रहा है उन का भी बदला जाना बहुत जरूरी है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले १३ सालों में हमारे देश में भीड़ पर जिस तरह से गोली चली उस के कोई आंकड़ रेफेंस सैक्शन में मांगने से नहीं मिले लेकिन अंदाज यह है कि शान्तिमय भीड़ पर जो गोली चलाई गई और उसके फलस्वरूप जो लोग मारे गय उनकी संख्या २००० और २५०० के बीच में होगी । मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है जब कि गृह मंत्रालय को इस सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए । पुलिस किस सीमा तक गोली चलाये इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय को साफ तौर से अपना एक फैसला लेना चाहिए । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह एक बड़ी नीति का प्रश्न है और इस नीति के सवाल को १३ साल की आजादी के बाद यूं ही छोड़ न देना चाहिए । मेरे ऐसे लोग यह महसूस करते हैं कि केवल दो ही हालतों में पुलिस द्वारा शान्तिमय भीड़ पर गोली चलाई जानी चाहिए । एक तो पुलिस को गोली तब चलाना चाहिए जब भीड़ हिंसा पर उतर आये और कत्लेआम करने लगी हो या जिस समय कि भीड़ हथियारों से लैस होकर आर्म्ड बलवा करके चुनी हुई सरकार को बदलने का प्रयत्न करे । केवल इन्हीं दो हालतों में पुलिस को भीड़ पर गोली चलानी चाहिए । दूसरी हालतों में ढेलेबाजी के नाम पर, धक्केबाजी के नाम पर या और किसी इसी तरह की चीज के वास्ते शान्तिमय भीड़ पर पुलिस को गोली कदापि नहीं चलानी चाहिए और आज जो देश में पुलिस द्वारा इन चीजों के वास्ते गोली चलाई जाती है वह बन्द होना चाहिए । हम अपने देश के नागरिकों के जीवन के महत्व को अच्छी तरह से महसूस करें और हमें और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का आभास होना चाहिए कि इस तरह से गोली चला कर एक भी नागरिक का जीवन लेना अनुचित है और ऐसा करके हम जनतंत्र की हत्या करते हैं । मैं यह आशा करता हूं कि अब इस मसले पर माननीय गृह मंत्री जिन्होंने कि बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जिन्होंने कि अंग्रेजी सलतनत का जमाना भी देखा और अपने जमाने को भी देख रहे हैं, गम्भीरता से विचार करेंगे और म आशा करता हूं कि वे भी मुझ से इस में सहमत होंगे कि आज के युग में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का वही पुराना रवैय्या नहीं होना चाहिए जो कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के जमाने में उनका हुआ करता था । मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्रालय इस सम्बन्ध में आवश्यक सोच विचार करके अनुकूल परिवर्तन करेगा ।

एलेक्शन कमिशन का दायरा जो जम्मू और काश्मीर स्टेट तक बढ़ा दिया गया है वह एक अच्छी बात हुई है लेकिन उसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जब कि भारतीय संविधान की दूसरी धारायें जो कि अभी तक उस राज्य पर लागू नहीं हैं वे भी जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू हों । उन धाराओं को भी जम्मू व काश्मीर राज्य पर लागू किया जाना चाहिए । यह मैं मानता हूं कि इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन की वजह से इसके करने में थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन वहां की असेम्बली को परसुएड करें कि वह इसके लिए डिमांड करे कि पूरे का पूरा संविधान जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू किया जाये ।

फंडामेंटल राइट्स के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि जहां उसको काश्मीर राज्य पर लागू किया गया है उस में रीजनेबुल रिस्ट्रिक्शंस का एक प्राविजो बढ़ा दिया गया है । रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस सिक्योरिटी आफ दी स्टेट के नाम पर फंडामेंट्ल राइट्स पर उस राज्य के लिए लगाये जा सकते हैं । रीजनेबुल रिस्ट्रिक्शंस की चीज को पूरे का पूरा वहां की असेंम्बली के मातहत कर दिया गया है अर्थात् असेम्बली जिसे रीजनेबुल रिस्ट्रिक्शंस समझेगी वही रीजनेबुल रिस्ट्रिक्शन समझा जायेगा । मैं समझता हूं कि फंडामेंट्ल राइट्स में इस तरह का रीजनेबुल रिस्ट्रिक्शंस का प्राविजन लगा कर जहां तक शहरी आजादी का सवाल है सिविल लिबरटीज का सवाल है, काश्मीर में उस पर ठीक तरह से

अमल नहीं किया जा रहा है। ठीक से उसको बर्किंग नहीं हो रही है। इसकी शिकायतें समय समय पर आती रहती हैं

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : वहां पर उतनी ही आजादी है जितनी कि यहां पर है।

श्री प्र० ना० सिंह : मैं तो यही कह रहा हूं कि वहां पर शहरी आजादी के सिलसिले में यदि कोई शिकायत आती है तो उस के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय को पूरे तौर से ध्यान देना चाहिए। मेरे माननीय मित्र जिन्होंने कि अभी मुझे टोका वे हमारे बहुत योग्य साथी हैं। वे यहां पर नामिनेट होकर आये हैं। वे बहुत अच्छे हैं और उन से तो कभी कोई शिकायत हो ही नहीं सकती क्योंकि वे बड़े खुशमिजाज व्यक्ति हैं और स्वयं हंसते और लोगों को हंसाते रहते हैं लेकिन मैं यह समझता हूं कि अब यह नामिनेशन की चीज खत्म होनी चाहिए और अब हमारे माननीय मित्रों को वहां की जनता के द्वारा अपने को चुनवा कर इस देश की सर्वोच्च पार्लियामेंट में आना चाहिए . .

श्री अजराज सिंह (फिरोजाबाद) : फिर हमारे तारिक साहब कैसे आयेंगे ? वे फिर यहां नहीं आ पायेंगे ।

श्री प्र० ना० सिंह : इस सिलसिले में मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि संविधान की धारा २२२ में एक हाईकोर्ट के जज का दूसरे हाईकोर्ट में तबादला करने के लिए यह दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसके बारे में कंसल्ट किया जायेगा लेकिन जहां तक काश्मीर राज्य का सवाल है वहां के लिए चीफ जस्टिस आफ दी सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं ली जायेगी, उसको तबादले के बारे में कंसल्ट नहीं किया जायेगा बल्कि काश्मीर के सदरे रियासत की राय ली जायेगी और सदरे रियासत के कंसल्टेशन के आधार पर ही वहां के हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश का तबादला दूसरी जगहों पर हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस चीज को जैसा कि सब राज्यों के लिए है वहां के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करके ही करना चाहिए और न्यायाधीशों का तबादला करना चाहिए।

इस के साथ ही गृह मंत्री महोदय को यह देखना चाहिए कि जहां तक फंडामेंटल राइट्स का सवाल है वहां काश्मीर में रीजनेबुल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पर जो पाबन्दी लगाई जा रही है और लोगों को यह शिकायत है कि हमारे साथ जगह जगह ज्यादती होती है। इसलिए यह जरूरी है कि इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का पूरे तौर से जुरिस्डिक्शन का जो मामला है उस को ठीक तरीके से वहां पर चलाने का प्रयत्न होना चाहिए।

जहां तक प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट का सवाल है माननीय गृह मंत्री इस बात को मानेंगे कि इस समय देश के अन्दर कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं है जिसकी कि वजह से प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट की यहां पर कोई आवश्यकता हो। यहां की कम्युनिस्ट पार्टी जो कि पहले वाएलेंस में विश्वास करती थी और प्रजातांत्रिक तरीकों में विश्वास नहीं करती थी आज उस पार्टी ने भी यह ऐलान कर दिया है कि वह प्रजातांत्रिक तरीकों में विश्वास करती है और शान्तिपूर्ण प्रजातांत्रिक तरीकों को अपना कर सरकार को बदलने की चेष्टा करती है। जब देश में एक साधारण अवस्था हो, पूरे तौर से साधारण अवस्था हो तब इस प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट को चलाते रहना उचित नहीं मालूम होता है। मुझे इस सम्बन्ध में रेफ्रेंस सैक्शन से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उन के अनुसार ३ जून १९५९ तक ७७ आदमी प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट में थे और ३१ दिसम्बर १९५९ को ९६ आदमी इसके मातहत नजरबंद थे। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय इस बात को जांचें। जहां तक सोशलिस्ट पार्टी और हम

[श्री प्र० ना० सिंह]

लोगों का सवाल है हम कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत सी चीजों को पसन्द नहीं करते लेकिन एक शिकायत जरूरत करूंगा कि जब बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से फूड ऐजिटेशन शुरू किया गया तो १७ असेम्बली के मेम्बरों को इस प्रीवेन्टिव डिटेंशन एक्ट के मातहत गिरफ्तार किया गया जो कि किसी तरह उचित नहीं था । मैं यह महसूस करता हूं कि आज जब पुलिस के द्वारा इस देश के अन्दर राजनैतिक आन्दोलनों को दबाने का प्रयत्न हो रहा है तो इस बात का ध्यान रखा जाय कि राजनैतिक आन्दोलनों को उसी सीमा तक दबाने की बात होनी चाहिए जितनी कि कानून की मर्यादा में सम्भव हो । शान्तिमय आन्दोलनों को कानून की मर्यादाओं को तोड़ कर कुचला जाना प्रजातंत्र के युग में शोभा नहीं देता है और यह प्रजातंत्र की हत्या करना है । मैं तो इस मामले में केरल की कम्युनिस्ट रैजीम को अच्छा समझता हूं कि जिस ने एक भी आदमी को उस आन्दोलन के सिलसिले में जो कि उसका तख्ता पलटने के लिए किया जा रहा था, प्रीवेन्टिव डिटेंशन एक्ट में गिरफ्तार नहीं किया जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तमाम कांग्रसी सरकारों द्वारा शासित राज्यों में प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट पर अमल हो रहा था और आज भी हो रहा है । यह भी ध्यान में रखने की बात है कि केरल में जो कम्युनिस्ट सरकार को पलटने का आन्दोलन चला था वह कोई बहुत शान्तिमय आन्दोलन नहीं था और यह चीज कोर्ट्स के फैसलों से जाहिर होती है । वह तो सरकार बदलने का आन्दोलन था और वहां पर सरकार बदल भी गयी लेकिन वहां जो कोर्ट्स से सजायें हुईं वे बहुत मामूली सजायें की गईं जब कि ठीक इसके विपरीत हमारे गृह मंत्री महोदय की पार्टी की सरकारों द्वारा छोटी छोटी दफाओं के मातहत भी एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल और दो दो साल तक की सजायें दी गई हैं । अब पीसफुल असेम्बली के मातहत १३ महीने की सजा हो सकती है, कोई जा रहा है उसको इसके अन्दर गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह से उसको तेरह महीने की सजा सुना दी गई । गृह मंत्रालय को अपना इस तरह का दृष्टिकोण बनाना चाहिए कि सारे देश के अन्दर जो राजनैतिक आन्दोलनों को दबाने का सिलसिला है वह अन्याय का सिलसिला नहीं होना चाहिए । अन्याय का रास्ता नहीं होना चाहिए । भय का रास्ता नहीं पैदा करना चाहिए । मैं माननीय गृह मंत्री से यह कहूंगा कि जो दफा १०७–११७ का प्रयोग राजनीतिक कार्रवाइयों में हो रहा है उसको बन्द किया जाना चाहिए । जब सरकार और जनता में मतभेद हो और जनता का आन्दोलन हो उस समय सरकार को दफा १०७, ११७ में लोगों को गिरफ्तार करना उचित नहीं है । इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह आशा करूंगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का इस देश से जल्द से जल्द खातमा किया जाये ।

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम) : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं । मेरी राय है कि असैनिक प्रतिरक्षा के मामले में इंग्लैंड की तरह यहां भी गृह कार्य और प्रतिरक्षा दोनों मंत्रालयों द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिये । खैर, गृह कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में इसे शुरू किये जाने के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । मैं चाहता हूं इस घरेलू प्रतिरक्षा योजना को सारे देश द्वारा स्वीकार किया जाये और इसे सफल बनाया जाये । मैं गृह कार्य मंत्रालय से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह इस बात का प्रयत्न करे कि इस योजना का आधुनिक ढंग से क्रियान्वन हो और होम गार्ड, पुलिस गार्ड, पुलिस फ़ोर्स, सैनिक फ़ोर्स आदि से इसको उचित प्रकार से समन्वित किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : बाक़ी बातें आप गृह कार्य मंत्री को लिख कर भेज दें । माननीय गृह मंत्री ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गो० ब० पन्त : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय द्वारा की जाने वाली सेवाओं का अनुमोदन किए जाने के लिए मैं इस सभा का अत्यन्त कृतज्ञ हूं। माननीय सदस्यों ने मेरे प्रति जो सद्भावना व्यक्त की है और मेरे कार्य की जो प्रशंसा की है उसके लिए भी मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं।

पिछले आठ घण्टों की बहस के दौरान मेरे अनेक सहयोगियों ने भाषण दिये हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है उससे मैं लाभ उठाने का प्रयत्न करूंगा। परन्तु मेरे लिए प्रत्येक सदस्य अथवा अधिकांश सदस्यों के विचारों का निर्देश करना संभव नहीं होगा। जो सुझाव दिये गए हैं तथा जो आलोचनायें की गई हैं उन पर मैं विचार करूंगा और उन खराबियों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। मैं आशा करता हूं कि यदि कोई बात उत्तर देने से रह जाएगी तो माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है और उसे अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। श्री नागी रेड्डी ने कोई खराबी निकालने के लिए समस्त देश में खोज की और बंगाल में उन्हें कुछ मसाला मिल गया। मैं समझता हूं कि वह देश की प्रगति के साथ कदम मिला कर नहीं चल रहे हैं। वह अपने सिद्धान्तों के घेरे में ही बन्द मालूम पड़ते हैं जहां प्रकाश का प्रवेश नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र में जो नियम लागू हैं वे प्रायः वही हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हमारे यहां लागू थे। यह ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह अधिक वास्तविक दृष्टिकोण अपनायें।

वह कहते हैं कि वह देश के सबसे अधिक प्रगतिशील दल से संबंधित हैं। मैं किसी भी व्यक्ति को पिछड़ा हुआ नहीं कहना चाहता हूं। श्री एन्थनी ने कल जो कुछ कहा उसको सुनने के पश्चात् मुझे और भी अधिक हिचक हो रही है। परन्तु मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि इन खामियों के बावजूद हम सुधार की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील हैं। हमें केवल अंधेरे पहलू को ही नहीं देखना चाहिए वरन् उजले पहलू पर भी नजर डालनी चाहिए। हमारे पड़ोस के अधिकांश राज्यों में प्रजातंत्र खत्म हो गया है परन्तु भारत अभी तक अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ है। उन्हें समझना चाहिए कि आज हमारा संसार में जो सम्मान हो रहा है वह हमारे प्रधान मंत्री के कारण तो है ही परन्तु साथ ही देश के प्रशासन के स्थायित्व और शांति तथा व्यवस्था के कारण भी है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के अस्तित्व के बावजूद हम आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों में निरन्तर प्रगति करते जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने मंत्रालयों और अपनी सेवाओं की निन्दा नहीं करनी चाहिए जो इस कार्य का भार संभाले हुए हैं। हम लोग यहां बैठकर केवल नीति निर्धारित कर देते हैं परन्तु उसको क्रियान्वित करने का भार हमारी सेवाओं पर ही है और शांति तथा व्यवस्था का श्रेय हमारे पुलिस दल को है जिसकी इतनी निन्दा की जाती है। हमारे सामने अनेक कठिनाइयां आई हैं परन्तु उन सब पर हमने अपने शासकीय यंत्र की सहायता से ही विजय प्राप्त की है।

मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां भ्रष्टाचार—जिसके संबंध में मैं आगे चलकर विस्तारपूर्वक कहूंगा—बिल्कुल भी नहीं है। परन्तु हमें भ्रष्टाचार की चर्चा अधिक नहीं करनी चाहिए क्योंकि वैसा करने से वातावरण दूषित होता है। हमें लोगों को यह सोचने का मौका नहीं देना चाहिए कि हमारे देश के सामाजिक, राजनैतिक तथा प्रशासकीय जीवन में भ्रष्टाचार ही सर्वोपरि है। मैं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पन्त]

जानता हूं कि कुछ लोग भ्रष्टाचार के वातावरण में बहुत बुरी तरह जकड़ गए हैं। इसलिए मैं उन्हें उस दूषित वातावरण से निकालना चाहता हूं ताकि वे सही ढंग से देखना सीख सकें।

श्री गोरे और श्री नागी रेड्डी ने प्रशासकीय सुधार पर जोर दिया।हमने उसकी आवश्यकता बहुत पहले ही महसूस कर ली थी और हम इस दिशा में निरन्तर प्रयत्न करते आ रहे हैं। सबसे पहले श्री गोपालास्वामी आयंगर ने प्रतिवेदन दिया था। फिर हमने डा० एपलबी तथा अन्य विशेषज्ञों से परामर्श किया और हमने अनेक परिवर्तन किए हैं जिससे हमारे प्रशासकीय यंत्र में प्रायः क्रांति सी आ गई है। जिस व्यक्ति ने आज से ३० वर्ष पहले काम किया था यदि अब वह हमारे सचिवालय में जाए तो उसे वर्तमान प्रशासन की भावना को समझने के लिए लगभग एक वर्ष तक प्रशिक्षण लेना होगा। हम जो भी काम करते हैं वह प्रशासकीय यंत्र द्वारा ही होता है इसलिए प्रशासकीय यंत्र का उसके लिए योग्य होना आवश्यक है। हमने अपनी पहली और दूसरी योजनाओं में जो सफलता प्राप्त की है उसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को श्री ख्रुश्चेव के भाषणों की याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने इस देश के भ्रमण के दौरान दिए थे। उन्होंने यह कहा था कि हमारी प्रगति आश्चर्यजनक है। यदि वे लोग चाहें तो स्वयं भी देश का भ्रमण कर के देख सकते हैं। परन्तु उन्हें चाहिए कि वे निष्पक्ष दृष्टि से देखने का प्रयत्न करें। वे अपने को प्रगतिशील समझते हैं परन्तु मेरा विचार है कि जो लोग निष्पक्ष अथवा स्वतंत्र दृष्टिकोण नहीं अपना सकते वे कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। हम केवल सिद्धान्त ही नहीं वरन् वास्तविकताओं का विचार करके ही कोई काम करते हैं। इसलिए हम देश की ४० करोड़ जनता को कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था के लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सके हैं।

हमारे काम करने का ढंग सर्वथा बदल गया है। हमारे मंत्रालय में अब काम करने का ढंग बहुत सरल हो गया है। अब अधिक कागजों का निपटारा होने लगा है। यद्यपि काम बढ़ रहा है फिर भी हम कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने अनेक सुझाव दिए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। सेवाओं के उचित निर्माण, प्रशिक्षण के सुधार और सही भावना के संचार तथा पथप्रदर्शक सिद्धान्तों के प्रश्न पर हम निरन्तर विचार करते आ रहे हैं। इन उद्देश्यों के अनुसार ही हमने लोक प्रशासन अकादमी की स्थापना की है जिसमें केवल भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी ही नहीं वरन् राज्यों से भारतीय प्रशासन सेवा में तरक्की पाकर आने वाले अधिकारी और अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के लिए चुने जाने वाले समस्त अधिकारी प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। इस अकादमी में गोष्ठियां, चर्चायें आदि होती हैं और केवल प्रशासकीय कला में ही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है वरन् गांधीवाद, हमारी विचारधारा के मूल सिद्धान्तों और समाजवादी व्यवस्था में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सबसे उनका दृष्टिकोण वैसा बन सकेगा जैसा कि हमारे सामाजिक उद्देश्यों के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

पिछले दस वर्षों के दौरान हमारी सेवायें अपने को समय की आवश्यकताओं के अनुकूल ढालती रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि सभी लोगों ने हमारे सिद्धान्तों को पूर्णतः आत्मसात कर लिया है परन्तु इतना अवश्य है कि उनमें से बहुतों में निश्चित परिवर्तन आया है। यदि वे हमारे उद्देश्यों के प्रति वफादार न होते और हमारी योजनाओं के लिए इतना परिश्रम न करते तो हम सफल नहीं हो सकते थे। इसलिए हमें उनको उनका देय श्रेय अवश्य देना चाहिए। यदि संसद् के सदस्य उनके कार्य की प्रशंसा करें तो उन्हें निश्चय ही प्रोत्साहन मिलेगा और वे अधिक अच्छा काम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि उन्हें इस सभा की सद्भावना प्राप्त है। यदि सभा उनका समर्थन करेगी तो वे अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सकेंगे।

यह कहा गया है कि हमारे कर्मचारी तेजी के साथ काम नहीं करते हैं। मैं अनेक बार कह चुका हूं कि काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। प्रत्येक कागज का निपटारा न्यूनतम समय में किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कोई काम एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तान्तरित किया जाना ठीक नहीं है। जनता के साथ शिष्ठता और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए क्यों कि वह सबसे बड़ी सत्ता है। जनता के सुझावों और प्रार्थनाओं पर अधिकतम सहानुभूति के साथ विचार किया जाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और जो नहीं करते हैं उनको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए।

इस अकादमी में हम ने कई प्रकार का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया है जिससे नये प्रकार के असैनिक कर्मचारी तैयार होंगे। हमने इस अकादमी के संचालक को प्रशिक्षण का संचालक भी नियुक्त किया है ताकि वह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं में दिये जाने वाले प्रशिक्षण का समन्वय कर सके।

इसी प्रकार हमने आबू पुलिस ट्रेनिंग कालेज के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी नवीकरण किया है और सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल को भी प्रशिक्षण के संचालक के अन्तर्गत कर दिया है ताकि पूर्ण समन्वय हो सके। जो सुधार किये जा सकते हों उनके सम्बन्ध में हम माननीय सदस्यों की सलाह चाहते हैं। कर्मचारी भविष्य में कैसा व्यवहार करेगा उसकी नींव वास्तव में प्रशिक्षण काल में ही तैयार हो जाती है।

एक मित्र ने कहा कि देश में अपराध बहुत बढ़ गये हैं और सुरक्षा की भावना खत्म हो गई है। यद्यपि कानून तथा व्यवस्था राज्य का विषय है परन्तु फिर भी केन्द्र शांति स्थापना के लिए भरसक प्रयत्न करता है। इस कार्य में हमें जनता, सेवाओं और विधान मण्डलों के जिम्मेदार सदस्यों का जो सहयोग मिलता है उसके लिए उन्हें श्रेय दिया जाना चाहिए। यदि हम अपराधों के आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि १९५९ में हस्तक्षेप्य अपराधों की संख्या प्रायः उतनी ही रही है जितनी कि १९५८ में थी। इसके अतिरिक्त पिछले दो वर्षों में डकैतियों की संख्या ३५ प्रतिशत से भी अधिक कम हो गई है। इसी प्रकार नकबजनी और लूट जैसे अन्य गंभीर अपराधों की संख्या भी कम हुई है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मध्य प्रदेश में भी डकैतियों की स्थिति में सुधार हुआ है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जी, हां। वहां की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वैसे तो श्री बनर्जी काफी जानकारी रखते हैं परन्तु संभवतः इसके सम्बन्ध में उन्हें जानकारी नहीं मिल सकी। हमारे देश में इस समय हस्तक्षेप्य अपराधों की औसत संख्या १६२ है जो पहले से कुछ अधिक है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि अत्यन्त प्रगतिशील देशों में उनकी संख्या १२०० प्रति लाख है जो हमारे देश के हस्तक्षेप्य अपराधों की संख्या की छै गुनी है। इसलिए हम कुछ संतोष कर सकते हैं।

केरल में एक आंग्ल-भारतीय सदस्य के नामांकन के सम्बन्ध में श्री एन्थनी ने काफी रोष प्रकट किया। माननीय सदस्य एक प्रसिद्ध वकील हैं तथा विधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। वह जानते हैं कि हमारे संविधान के अन्तर्गत आंग्ल-भारतीय कौन हैं। वह हमारे कार्य पसन्द भले ही न करें परन्तु उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जानबूझ कर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे वे नाराज हों। प्रत्येक व्यक्ति को अपना देय मिलना चाहिए। इसलिए आंग्ल-भारतीयों को भी वह मिलना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पन्त]

संविधान के अनुच्छेद ३६६(२) में यह कहा गया है कि "आंग्ल-भारतीय" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका पिता अथवा पितृ-परम्परा में कोई अन्य पुरुष-जनक योरोपीय उद्भव का है या था, किन्तु जो भारत राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत अधिवासी है और जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में ऐसे जनकों से जन्मा है जो वहां साधारणतया निवास करते रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए नहीं ठहरे हैं ।

मैं समझता हूं कि श्री एन्थनी यह स्वीकार करेंगे कि श्री पेरियारा, जिन्हें राज्यपाल द्वारा नामांकित किया गया है, एक आंग्ल-भारतीय हैं । राज्यपाल अपने विवेक से यह काम कर सकता है और मैंने उसमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझा । उन्होंने अपने विवेक से श्री पेरियारा को नामांकित किया जो एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं और श्री डीक्रुज़ से श्रेष्ठ समझे जाते हैं जिनकी सिफारिश पिछली बार श्री एन्थनी के कहने से की गई थी । मैं समझता हूं कि वह इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि श्री पेरियारा भारत के अधिवासी हैं और वह स्वयं भी भारत के अधिवासी हैं और उनका एक जनक योरोपियन था ।

कठिनाई यह है कि श्री एन्थनी यह समझते हैं कि केवल ब्रिटिश पितृ-परम्परा के व्यक्ति ही आंग्ल-भारतीय पुकारे जा सकते हैं ।

†**श्री फ्रेंक एंथनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : यह सज्जन आंग्ल-भारतीय नहीं हैं वरन् फिरंगी हैं । फिरंगियों को आंग्ल-भारतीयों में नहीं मिलाया जा सकता । श्री पेरियारा आंग्ल-भारतीय नहीं हैं क्योंकि उनकी मातृभाषा मलयालम् है । यदि आज आप फिरंगियों को आंग्ल-भारतीय मानते हैं तो कल किसी ग्रीक पितृ-परम्परा के हिन्दू को भी आंग्ल-भारतीय कहने लगेंगे । फिरंगी लोग तो मछवे और कुम्हार हैं ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : माननीय सदस्य मछवाओं और कुम्हारों को आंग्ल-भारतीय के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते । वह यह भी कहते हैं कि आंग्ल-भारतीयों का निर्णय धर्म के आधार पर किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि ईसाई धर्म लोगों को नम्रता सिखाता है, यह नहीं कि पिछड़े हुए लोगों के साथ घृणा की जाये ।

वास्तव में जहां तक कानूनी स्थिति का सम्बन्ध है उस के बारे में कोई भी सन्देह नहीं किया जा सकता है । जहां तक योग्यता का सम्बन्ध है राज्यपाल ने उन्हीं को ठीक समझा । श्री डीक्रुज़ पुर्तगाली पितृ-परम्परा के हैं, ब्रिटिश पितृ-परम्परा के नहीं । पिछली बार जब उनका नामांकन किया गया था तो मुझे इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि वह फिरंगी हैं । मैं ने श्री एन्थनी से इसके सम्बन्ध में पूछा था परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । मैं इतना ही कह सकता हूं कि नियमों के अन्तर्गत राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है । कोई व्यक्ति उसे पसन्द करे या न करे परन्तु राज्यपाल अपनी इच्छानुसार किसी को भी नामांकित कर सकता है जिसे वह उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझे । इसलिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं . . . .

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं । पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग ने कहा है कि ये लोग आंग्ल-भारतीय नहीं हैं ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : आयोग संविधान के उपबन्धों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है । इसलिए मैं इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : यह ठीक नहीं है। आप मेरे समुदाय के लोगों के प्रति अन्याय कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे समुदाय पर नहीं लादा जा सकता जो आंग्ल-भारतीय नहीं हैं।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं इसका कोई उत्तर नहीं देना चाहता। मैंने तो इस विषय का निर्देश श्री फ्रेंक एन्थनी को संतुष्ट करने के लिए किया था, नाराज करने के लिए नहीं।

और भी बहुत सी बातें बहस के दौरान कही गई हैं। श्री गोरे ने शिवाजी के चित्र के अपमान का निर्देश किया। ऐसा करना अक्षम्य है। मैं स्वयं ऐसे कार्य का विरोध करता हूं। जैसे ही मैंने उसके सम्बन्ध में सुना था उसकी जांच कराई गई थी। मुझे तार द्वारा यह उत्तर मिला है कि यह बात गलत है कि पुलिस ने येलूर गांव में किसानों की झोंपड़ी से शिवाजी का चित्र लेकर उसे नष्ट किया। डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के साथ जाकर जांच की थी तथा प्रेस प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। गांव वालों से पूछताछ करने पर यही पता चला कि शिवाजी के चित्र के फाड़े जाने का आरोप गलत है। इस प्रकार का कार्य वास्तव में अक्षम्य है और यदि यह बात सही निकलती तो मैं अवश्य ही कड़ी कार्यवाही करता। परन्तु मुझे खुशी है कि यह बात गलत निकली।

श्री नागी रेड्डी ने केरल के विधेयकों के सम्बन्ध में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि उन विधेयकों को जान बूझ कर रोक रखा गया है क्योंकि हम भूमि सुधार नहीं होने देना चाहते हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं ये लोग अपनी कोटरियों में ही बन्द रहना चाहते हैं और सर्वविदित तथ्य भी नहीं जानना चाहते हैं। सब से पहले उत्तर प्रदेश ने जमींदारी उन्मलन तथा भूमि सुधार अधिनियम पारित किया था। वह अत्यन्त क्रांतिकारी अधिनियम है, और देश में उसके मुकाबले का दूसरा कोई भी अधिनियम नहीं है—स्वयं केरल का विधेयक भी नहीं। माननीय सदस्य कहते हैं कि उन विधेयकों को शीघ्र क्यों नहीं लौटा दिया जाता। यदि मैं उन्हें पुनर्विचार के लिए लौटा दूंगा तो उनके पारित होने में महीनों लग जायेंगे। इसलिए मैं ने वहां की सरकार से पूछा है कि वह क्या क्या परिवर्तन चाहती है ताकि हम उन्हीं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और यह देखें कि उन में से कौन से स्वीकार किये जाने योग्य हैं और फिर परिवर्तनों के सुझाव दें ताकि वे विधेयक विधान-मण्डल में न्यूनतम समय में पारित हो जायें। मैं समझता हूं कि यह तरीका उससे अधिक अच्छा है जिसका सुझाव माननीय सदस्य ने दिया था। मैं आशा करता हूं कि यह कार्य शीघ्र ही हो जायेगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई हैं। इस विषय पर सभा का ध्यान जाना स्वाभाविक है। मैं चाहता हूं कि इस विषय में अधिक सदस्य रुचि लें क्योंकि हम अपने देश में भावनात्मक एकता लाना चाहते हैं जो प्रजातंत्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है। हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिएं। मनुष्य के गौरव को स्वीकार किया जाना चाहिए और मनुष्य-मनुष्य में भेद नहीं किया जाना चाहिए। सब मनुष्यों को समान समझा जाना चाहिए चाहे वह कोई भी काम करते हों। दूसरी बात यह है कि हम सब एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में संसार भर में प्रसिद्ध रहा है। जहां तक सामाजिक स्थिति का प्रश्न है वह एक गौण चीज है तथा उसका उतना महत्व नहीं है जितना पहली दो बातों का है। इसलिए हमें मनुष्य और नागरिक के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए।

इसलिए मैं कहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए भरसक प्रयत्न करना हम में से प्रत्येक का कर्त्तव्य है। मैं ने कुछ माननीय सदस्यों की आलोचनायें सुनी हैं। मैं उन्हें दोष नहीं देता। वे अधीर हो सकते हैं और हमारे कार्यों को गलत कह सकते हैं। परन्तु

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पन्त]

इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके लिए भरसक प्रयत्न न करें क्योंकि हम अपने समाज को इसी प्रकार दृढ़ बना सकते हैं ताकि उसे अन्तर्राष्ट्रीय संसार में अपना उचित स्थान मिल सके ।

इस प्रकार यह प्रश्न केवल मेरे तक ही सीमित नहीं है । माननीय सदस्यों ने कहा कि जो अनुदान दिये गये हैं उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं । हम इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह उपयोग किया जाय और इसके सम्बन्ध में मैंने मंत्रियों के सम्मेलन भी आयोजित किये हैं । हाल में मैंने मुख्य मंत्रियों से भी इसके सम्बन्ध में कहा है । हम अधिकाधिक खर्च कर रहे हैं और मझे आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक लगभग ९० प्रतिशत अनुदानों को उपयोग में ले आया जायेगा । इसलिए मैं चाहता हूं अपने संसाधनों के अन्तर्गत हम सब भरसक प्रयत्न करें । इस कार्य में मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं । इस आन्दोलन से समस्त समाज का कल्याण होगा इसलिए आपको उससे विमुख नहीं होना चाहिए ।

इस अवस्था में मेरे लिए अधिक ब्यौरे में जाना सम्भव नहीं है । परन्तु हमें इस अस्पृश्यता के धब्बे को बिल्कुल मिटा देने का प्रयत्न करना चाहिए और इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि न्यूनतम समय में अधिकतम प्रगति की जा सके जिससे हम सब सम्मानित नागरिकों की तरह अपनी टांगों पर खड़े हो सकें ।

फिर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया । इस प्रकार की बात करना एक फैशन सा बन गया है । सरकार जो प्रयत्न कर रही है उनके बारे में सभी लोग भली प्रकार जानते हैं । हम ने कानून को कठोर बना दिया है जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार में पहले से कुछ कमी हुई है । मैं यह तो नहीं कहता कि भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो गया है परन्तु यह बात मैं स्वीकार नहीं करता हूं कि सुधार बिल्कुल भी नहीं हुआ है । सतर्कता विभाग में कुल १०,००० शिकायतें प्राप्त हुई हैं । उनमें से बहुत सी बिल्कुल निराधार निकलीं । परन्तु यदि समस्त १०,००० शिकायतों को सही मान लें तो भी वे केवल १ प्रतिशत होती हैं । जब १०० में से ९९ के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत नहीं है तो उस वर्ग की निन्दा कैसे की जा सकती है ? इसलिए हमें इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए मानों समस्त देश में भ्रष्टाचार छाया हुआ है । मेरा विचार है कि इस प्रकार की बात करने से ही भ्रष्टाचार का जन्म होता है क्योंकि हम जिस प्रकार की बातें करते हैं उनका वैसा ही प्रभाव पड़ता है ।

जैसा कि मैं कह चुका हूं हम ने कानून को कठोर बना दिया है और जो लोग भ्रष्टाचार के अपराधी पाये जाते हैं उन्हें कम से कम एक वर्ष के कारावास का दंड दिया जाता है । इस प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय नियुक्त किये गये हैं । इसके अतिरिक्त अब कानून में उस व्यक्ति को भी अपराधी घोषित कर दिया गया है जो घूस देता है जैसा कि अभी तक नहीं था । फिर किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में एक मुखबिर रखने का उपबन्ध भी है । इसके अतिरिक्त हम ने सतर्कता विभाग में अनेक प्रकार के विशेष दल बना दिये हैं । संभवतः सतर्कता विभाग का प्रतिवेदन माननीय सदस्य देख चुके हैं । विशेष पुलिस स्थापना का प्रतिवेदन भी शायद उन्होंने देख लिया होगा । मैं उनकी चर्चा यहां नहीं कर सकता हूं । वे देखेंगे कि सैकड़ों सरकारी कर्मचारी सेवा से निकाल दिये गये, अनेकों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की गई और अनेकों को अन्य प्रकार से दंडित किया गया । मैं उनके आंकड़े बताकर सभा को थकाना नहीं चाहता हूं ।

सीमा आयोग का भी निर्देश किया गया और यह कहा गया कि सीमांकन के प्रयोजन के लिए सिद्धान्त निर्धारित किये जाने चाहिएं । मैं बता देना चाहता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने

वे सिद्धान्त निश्चित कर दिये थे, जो एक निष्पक्ष निकाय था। अब जो लोग नये सिद्धान्तों की बात करते हैं वे सम्भवतः उन सिद्धान्तों को नहीं मानना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि इस बात की क्या गारण्टी है कि यदि कोई नये सिद्धान्त निर्धारित कर दिये जायें तो कोई अन्य लोग उन्हें अस्वीकार नहीं करेंगे ?

इस सम्बन्ध में आन्ध्र और मद्रास का निर्देश किया गया है। आधारभूत सिद्धान्तों का पालन वहां भी किया गया था। मूल सिद्धान्त यह था कि जो व्यवस्था की जाय वह पक्षों के सहयोग से की जाय। उस सिद्धान्त के अनुसार दोनों राज्यों ने यह स्वीकार किया कि गांव को इकाई माना जाना चाहिए। (**अन्तर्बाधा**) इसे पाटस्कर फार्मूला कहते हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : उसे अन्य राज्यों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

†**श्री गो० ब० पन्त** : अन्य राज्यों के लिए भी सिद्धान्त वही रहेगा। वे समझौता कर लें तो हम शीघ्रता करने का प्रयत्न करेंगे (**अन्तर्बाधा**) मूल सिद्धान्त यही है। थोड़ी सी भूमि इधर या उधर चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह रहती तो हमारे देश में ही है। परन्तु कभी-कभी हम प्रादेशिक भावना में बह जाते हैं और सही दृष्टिकोण नहीं रख पाते हैं।

जहां कहीं भी मतभेद रहे हैं वहां मैं समझौता कराने का प्रयत्न करता रहा हूं। यहां भी मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने अपने राज्य से भिन्न राज्य का पक्ष लिया हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही राज्य के दावों का समर्थन करता है और अन्य राज्यों के दावों का विरोध करता है। ऐसी परिस्थिति में छोटी-छोटी बातें भी हमारे मस्तिष्क का संतुलन बिगाड़ देती हैं और हम इन समस्याओं पर सही दृष्टिकोण से विचार नहीं कर पाते हैं।

श्री महन्ती ने सरायकेला की जनता की भाषा सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख किया। जब उन्होंने इस के सम्बन्ध में मुझे लिखा था तो मैं ने भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त से स्थिति का अध्ययन करने के लिए कहा था। वह वहां गये परन्तु श्री महन्ती उसके सम्बन्ध में प्रकाश डालने के लिए वहां नहीं पहुंचे।

†**श्री महन्ती** : मैं कार्यवश उस समय वहां नहीं पहुंच सका था। परन्तु मैं ने उनको दूसरी तारीख निश्चित करने के लिए लिखा है। तब मैं वहां जाऊंगा।

†**श्री गो० ब० पन्त** : तो मैं यह कह रहा था कि मैं जो कुछ कर सकता हूं वह मैंने किया। आयुक्त ने मुख्यमंत्री को प्रतिवेदन दिया और मुख्य मंत्री ने मुझे बताया कि उड़िया का कोई भी स्कूल बन्द नहीं किया गया है वरन् उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और वह भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार जब भी मुझे कोई शिकायत मिली है मैं ने सम्बन्धित लोगों की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और मैं समझता हूं कि मैं काफी हद तक सफल रहा हूं।

श्री नागी रेड्डी ने उर्दू के प्रश्न का भी निर्देश दिया। संभवतः वह यह भूल गये हैं कि उर्दू के सम्बन्ध में कुछ समय पूर्व केन्द्रीय सरकार ने एक वक्तव्य जारी किया था जिसे उर्दू के समस्त शुभ-चिन्तकों द्वारा संतोषजनक माना गया था। राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन में भी वह वक्तव्य संलग्न है।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : मेरी शिकायत उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के सम्बन्ध में थी जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त :** जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है वहां की सरकार ने वक्तव्य में सन्निहित निदेशों के अनुसार आदेश जारी किया है और कुछ क्षेत्रों में नियमों तथा विनियमों आदि को उर्दू में प्रकाशित करने की घोषणा की है। इस प्रकार माननीय सदस्य की इच्छा पहले ही पूरी की जा चुकी है। बिहार में भी प्रायः ऐसा ही हुआ है, केवल कुछ मामलों के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा नहीं तैयार किया जा सका है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने कहा कि हिन्दी के क्षेत्र में हाल के वर्षों में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। मैं विस्तृत विवरण तो नहीं देना चाहता परन्तु इतना अवश्य बता देना चाहता हूं कि लाखों शब्दों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है और एक विश्वकोष तैयार किया जा रहा है जिसके दो खण्ड शीघ्र ही प्रकाशित किये जायेंगे। हजारों लोगों को हिन्दी की शिक्षा दी गई है और बहुत से अन्य कदम भी उठाये गये हैं। अब चूंकि आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जा चुका है इसलिए शीघ्र ही निर्णय कर लिये जायेंगे जिससे इस कार्य की गति और भी बढ़ सकेगी। इसलिए हमें किसी प्रकार की निराशा का अनुभव नहीं करना चाहिए।

श्री बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों के आचार नियम संख्या ४क और ४ख का निर्देश किया। पिछले वर्ष इन नियमों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मैंने उन्हें सही बात समझाने की कोशिश की थी परन्तु सम्भवतः उन्होंने उसे पसन्द नहीं किया। मैं यह बता देना चाहता हूं कि केवल हमारे देश में ही ऐसा नहीं है वरन् संसार के अधिकांश प्रगतिशील देशों में सरकारी कर्मचारियों को सरकार से अपनी मांगें पूरी कराने के लिए हड़ताल करने अथवा प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। सरकारी कर्मचारी और सरकार एक ही परिवार के अंग हैं इसलिए उनके बीच पूर्ण मतैक्य होना चाहिए। दोनों ही जनता के सेवक हैं इसलिए उनके बीच में किसी प्रकार की खाई नहीं होनी चाहिए। अतः प्रदर्शन और हड़ताल का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

फिर जहां तक यूनियनों को मान्यता देने का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में नियम यह है कि पदाधिकारी उसी सेवा के व्यक्ति होने चाहिए जिससे वह यूनियन सम्बन्धित है। यूनियन के सदस्यों के हित भी समान होने चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस के सम्बन्ध में आपत्ति क्यों की जाय ?

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य हमें सहयोग देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखूंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या १०५० और १०५१ पर आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १०५० मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १०५१ मतदान के लिए रखा गया। सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में २५, विपक्ष में १००।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**श्री बैरो** (नाम-निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या ९८८ पर आग्रह करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ९८८ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपये
४५	गृह-कार्य मंत्रालय	३,०६,१६,०००
४६	मंत्रि-मंडल	३४,६६,०००
४७	क्षेत्रीय परिषदें	२,५१,०००
४८	न्याय प्रशासन	२,२५,०००
४९	पुलिस	६,६०,९६,०००
५०	जन-गणना	१,३९,६३,०००
५१	आंकड़े	१,७४,०७,०००
५२	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां व भत्ते	४,२९,०००
५३	दिल्ली	११,५१,४८,०००
५४	हिमाचल प्रदेश	६,३६,०२,०००
५५	अंदमान व निकोबर द्वीप समूह	२,७२,०७,०००
५६	मनीपुर	३,००,१७,०००
५७	त्रिपुरा	३,९०,७७,०००
५८	लक्कद्वीप, मिनीकोय व अमीनद्वीप द्वीप समूह	२१,६२,०००
५९	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	९,६७,८९,०००
१२२	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	८१,१८,०००

†**अध्यक्ष महोदय :** अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू होगा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

साठवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के साठवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २३ मार्च, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा, ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के आठवें प्रतिवेदन से जो सभा में २३ मार्च, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री सुबिमन घोष द्वारा ११ मार्च, १९६० को प्रस्तुत किये गये निम्न संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :—

"इस सभा की यह राय है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपों के नाम क्रमश: "'स्वदेश द्वीप' और 'स्वराज द्वीप' रखे जायें ।"

श्री चौधरी अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं उस दिन यह बता रहा था कि अन्दमान तथा निकोबार के लिये नेताजी ने 'शहीद द्वीप' और 'स्वराज द्वीप' नाम क्यों चुने । यह सभी जानते हैं कि अन्दमान तथा निकोबार में पोर्ट ब्लेयर हमारी स्वतंत्रता के अनेक सेनानियों की समाधि रहा है । लेकिन सामान्यत: लोग यह नहीं जानते भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई के बन्दियों को आजन्म कारावास दे कर और उन्हें अदमान में भेज कर उन बन्दियों से उस क्षेत्र को बसाने का काम शुरू किया गया था । हालांकि अन्दमान में आजन्म कारावासियों को भेजने का काम १८५५ से शुरू हो गया था लेकिन १८५७ के ग़दर के कारण इस में अवरोध आ गया । लेकिन ग़दर की समाप्ति के बाद ब्रिटिश शासकों के लिये वह आजन्म कारावासियों को भेजने का कार्य और भी आवश्यक हो गया । इसलिये इन टापुओं का सम्बन्ध हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है । नेताजी जी उन शहीदों की स्मृति को बनाये रखना चाहते थे और इसी कारण यह उचित था कि इन का नाम बदल दिया जाये ।

गदर की समाप्ति के पश्चात्, जब हमारा राजनैतिक स्वतंत्रता आन्दोलन शुरू हुआ तो हमारे पहले शहीदों को ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपराध करने के दंड के उपलक्ष में आजीवन कारावास बिताने के लिये यहां भेजा गया जिन में से बहुत से तो वापस ही नहीं आये । उन की स्मृति को अक्षुण्ण बनाने के लिये भी उन का नाम बदलना आवश्यक हो जाता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन टापुओं के बहुत से स्थानों के नाम अंग्रेज़ों के नाम पर हैं । और वहां इस बात का कोई आभास या प्रतिक्रिया नहीं हुई कि भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद स्वतंत्रता का द्योतक अपना झंडा फहरा रहा है । वहां यह बात भुला दी गई कि स्वतंत्र भारत की पहिली अन्तरिम सरकार अर्थात आज़ाद हिन्द सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया है । इसी कारण इस संकल्प को स्वीकार किया जाना चाहिये और इन टापुओं के नाम नेता जी की इच्छानुसार बदल देने चाहिये । लेकिन मुझे इस बात में सन्देह है कि सरकार इन संकल्पों को स्वीकार करेगी । क्योंकि हमारे स्वतंत्र भारत के

---

†मूल अंग्रेजी में

संकल्प

सभी बड़े-बड़े नगरों में अभी तक ब्रिटिश शासकों की मूर्तियां लगी हुई हैं लेकिन हमारी सरकार उन के बारे में अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। इस बात को देखते हुए कि हमारे पहले शहीदों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिये इन देशों में अपना खून बहाया और हमें उन दिनों आजादी का सबक सिखाया, हमें इन द्वीपों का नाम बदल देना चाहिये। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी और इस संकल्प को स्वीकार करेगी।

†**श्री कालिकासिंह** (आजमगढ़) : अन्दमान तथा निकोबार टापुओं का नाम 'स्वदेश दीप' तथा 'स्वराज दीप' अथवा 'शहीद दीप' रखना स्वराज, शहीद और स्वदेश शब्दों के महत्व को कम करना है।

अन्दमान नाम भी उतना ही पुराना है जितना कि भारत शब्द पुराना है। एनसाइक्लोपीडिया से वह प्रकट है कि अन्दमान शब्द 'हनुमान' शब्द से लिया गया है। और शायद उन के नाम पर ही इस का नामकरण किया गया है। इतिहास को देखने से पता चलता है कि इन टापुओं में रहने वाले व्यक्ति सदियों से वहां रहते चले आय हैं। जबकि अन्य बड़े-बड़े राष्ट्रों जैसे भारत तथा चीन में भी बाहर से लोग आये और गये हैं।

इस के अतिरिक्त यदि अब हम इन का नाम बदलते हैं तो हो सकता है कि वहां के निवासी इस नाम परिवर्तन को किसी और दूसरे रूप में लें। और हो सकता है कि बाद में जटिलता उत्पन्न हो जाये। अतः इन टापुओं का नाम बदलने से पूर्व हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिये। केवल इन टापुओं के नाम बदलने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि देश में और भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जिन के नाम बदलने की आवश्यकता है।

अतः मेरा निवेदन है चूंकि इस टापू का नाम हनुमान के नाम पर पड़ा है अतः इस का कुछ महत्व है। अतः इन टापुओं के नाम में परिवर्तन नहीं करना चाहिये।

श्री लक्ष्मण सिंह (नामनिर्देशित-अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह) : मि० डिप्टी स्पीकर, अंडमान निकोबार द्वीप-समूह के नाम को बदलने के बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है, उस पर मैं अपनी राय प्रकट करना चाहता हूं और शुरू में ही मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मेरी राय वही है, जो अंदमान व निकोबार द्वीपों की जनता की है। और किसी जगह के लोगों को अपने बारे में कुछ फ़ैसला करने का अधिकार कहां तक होना चाहिये, यह तो आप सब ही जानते हैं।

किसी भी जगह के नाम से वहां के इतिहास का पता चलता है और इतिहास तो कभी भी बदला नहीं जा सकता। नेताजी का हमारे दिलों में भी उतना ही आदर और प्रेम है, जितना देश के और लोगों के दिलों में है और उन के नाम से अगर हमारे द्वीप में कोई यादगार कायम की जाये तो हमें फख्र होगा, क्योंकि हम ने और हमारे लोगों ने तो दूसरी बड़ी जंग के दौरान में स्वयं उस महापुरुष के भाषण सुने हैं और उन की और उन की फौज की जांबाज़ी देखी है। हम चाहते हैं कि उन की यादगार में हमारे द्वीप में कोई नई बस्ती बसाई जाये और कोई शहर बसाया जाये।

लेकिन क्या हम यह नहीं मानते कि इन द्वीपों के मौजूदा नाम आज़ादी के उन दीवानों की भी यादगार हैं, जिन के पवित्र चरणों ने दूर के इन टापुओं को आबाद किया ? क्या इन नामों को इस वक्त बदलना सही होगा ? मैं तो यह कहूंगा कि इस नाम का बदलना इतिहास का बदलना होगा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लक्ष्मण सिंह]

और उन क्रान्तिकारी लोगों की याद को भुलाना होगा। लिहाज़ा मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन द्वीपों के जो नाम एक सौ बरस से अधिक वक्त से चले आये हैं, उन्हें हरगिज़-हरगिज़ न बदला जाये।

इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस रेज़ोल्यूशन को अपोज़ करता हूं ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : अन्दमान तथा निकोबार टापुओं के नाम बदलने का प्रश्न कि इन का नाम बदला जाये अथवा नहीं सरकार के सामने पिछले १२ वर्षों से विचाराधीन है। यह प्रश्न पहले १९४८ में उठाया गया था। उस समय सरकार ने कहा था कि ऐतिहासिक परम्पराओं के आधार पर इन के नाम में परिवर्तन करना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा ।

एक बार फिर यह प्रश्न इस आधार पर उठाया गया था कि सुभाषचन्द्र बोस ने इन टापुओं का नाम 'स्वराज' तथा 'शहीद' द्वीप रखा था। उस समय इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी पूछा गया था तो अन्तरिम सरकार के गृह-मंत्री श्री वल्लभभाई पटेल ने उत्तर दिया था कि इस प्रकार के नाम परिवर्तन की जानकारी सरकार को नहीं है ।

एक बार फिर सभा में यह प्रश्न उठाया गया कि इन टापुओं का नाम सुभाषचन्द्र बोस के नाम पर रख दिया जाये। उस समय श्री वल्लभभाई पटेल ने सुभाषचन्द्र के भाई शरतचन्द्र बोस के विचारों का उल्लेख करते हुए उत्तर दिया था कि इन टापुओं का नाम सुभाषचन्द्र बोस के नाम पर रखना तो उन के भाई के नाम का अपमान करना होगा। १९५१ में तत्कालीन गृह-कार्य मंत्री श्री राजगोपालाचारी ने भी एक ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। राज्य पुनर्गठन विधेयक की चर्चा के दौरान में भी यह प्रश्न उठाया गया था उस समय गृह-कार्य मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा था कि "यहां जो सुझाव दिया गया है उस पर विचार किया जायगा अर्थात क्या अन्दमान और निकोबार टापुओं का नाम बदलना चाहिये—अगर उन का नाम बदला जाये तो इन टापुओं का क्या नाम होना चाहिये।" इन टापुओं में दो वर्ग हैं एक अन्दमान वर्ग और दूसरा निकोबार वर्ग तथा इन के अतिरिक्त अन्य टापू भी हैं। अगर इस प्रश्न पर कभी विचार करना हुआ तो निश्चय ही इस पर विचार किया जायेगा ।

यहां जो सुझाव दिया गया है उस पर विभिन्न पहलुओं से विचार किया जायेगा कि क्या नाम ठीक रूप से बदला जा सकता है। अगर नाम परिवर्तन किया जा सकता है तो हम यह देखेंगे कि अन्दमान और निकोबार का क्या नाम रखा जाये। इसके बारे में विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है और हम सुभाष बाबू के प्रति सम्मान भी प्रकट करना चाहते हैं। बहुत से नाम सुझाये गये हैं। कोई परिवर्तन करने से पूर्व इस प्रश्न पर पड़ी सावधानी से विचार किया जायेगा, लेकिन इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता ।

ये टापू एक लम्बे अर्से से अन्दमान निकोबार के नाम से पुकारे जाते हैं। यह प्रश्न किसी शहर के नाम बदलने का नहीं है। इसके बारे में भारत सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमने राज्य सरकारों को बता दिया है कि अगर किसी नाम परिवर्तन की आवश्यकता है तो इस का अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये और अंतिम रूप देते समय भारत सरकार के विचारों को भी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

ध्यान में रख लेना चाहिये क्योंकि हो सकता है कि बाद को बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हों । ये कठिनाइयां डाक तथा रेल विभाग में होंगी । इसलिये सामान्य नीति यह है कि सरकार अन्दमान और निकोबार टापुओं की बात तो क्या, मामूली से गांवों तथा शहरों के नाम बदलने में भी तीव्र गति से काम नहीं ले रही है ।

इस प्रश्न पर फिर जब विचार करने की बात उठी तो हमने इसका उल्लेख अन्दमान निकोबार टापुओं के मुख्य आयुक्त की परामर्शदायी समिति को किया । वहां भी इस प्रश्न पर विचार किया गया और वे भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे । अत : इन परिस्थितियों में, और जैसा कि अन्दमान निकोबार टापुओं के सदस्य ने भी अपने भाषण में उल्लेख किया है, हम सभी इस बात से सहमत हैं कि शहीदों के लिये हमें उपयुक्त एवं पर्याप्त यादगारें बनानी हैं क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिये बहुत काम किया है । इसलिये सरकार सामान्य जनता तथा माननीय सदस्यों से इस बात से सहमत है कि इनके प्रति पूरा पूरा सम्मान दिखाना चाहिये । क्योंकि ये लोग ही भारत के लिये स्वतन्त्रता लाये ।

सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या दिल्ली में १८५७ से लेकर १९५७ तक के शहीदों की यादगारें यहां बनाई जायें । और इस प्रस्ताव पर बड़ी गम्भीरता से विचार हो रहा है । अत : इन परिस्थितियों में और विशेषरूप से उस स्थिति में जब कि अन्दमान निकोबार की जनता भी इसका विरोध कर रही है, नाम परिवर्तन के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

नाम परिवर्तन के लिये तीन नाम अर्थात्, स्वदेश दीप, स्वराज्य दीप और शहीद दीप सुझाये गये हैं । और हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम इनकी उपयुक्ता पर विचार करें।

इनको 'स्वदेश दीप' के नाम से पुकारने में तो कोई महत्व नहीं है । 'स्वराज्य दीप' का भी अर्थ बहुत कुछ नहीं है । जहां तक 'शहीद दीप' की बात है, भारत के विभिन्न भागों में बहुत से शहीद हुए हैं और देश में उन महान शहीदों के नाम के साथ बहुत से स्थानों का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । इसलिये उनकी स्मृति में जो कुछ भी यादगारें बनाई जायें वह मुख्य भूमि पर ही हों न कि उनकी याद में देश से बहुत दूर टापुओं के नाम रखे जायें, अत : इस बारे में जो भी कार्य किया जाये वह ऐसा हो जिससे सारे भारतवासियों को प्रेरणा मिले ।

माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि उनका नाम सुभाष बाबू के नाम पर रखा जाये। इस बारे में हमारे सामने उनके भाई के विचार एवं उनका दृष्टिकोण है । अत : उनकी जो भी यादगार बनाई जाये वह उपयुक्त हो और यथासंभव हमारे बीच में हो ताकि उनके प्रति समस्त राष्ट्र का जो सम्मान एवं श्रद्धा है वह बनी रहे। अत : मुझे खेद है कि इन परिस्थितियों में सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती । अत : माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें ताकि इनको हार का मुख न देखना पड़े ।

†**श्री सुबिमन घोष** (बर्दवान) : माननीय मंत्री महोदय ने जो तर्क रखे हैं उन से मैं सहमत नहीं हूं अत : मैं इसे वापस नहीं ले सकता । अभिप्राय यह नहीं है कि इन टापुओं का नाम सुभाष बाबू के नाम पर रखा जाये बल्कि यह अभिप्राय है कि उनके नाम सुभाष बाबू की इच्छानुसार वे ही रखे जायें जो नाम कि उन्होंने रखे थे और इस बात को संकल्प में स्पष्ट भी कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अगर उन टापुओं के निवासी यह नहीं चाहते कि इन टापुओं के नाम बदले जायें तो हमें उनकी भावनाओं का भी आदर करना चाहिये ।

†**श्री सुबिमन घोष :** मैं यह बता देना भी चाहता हूं कि यह नाम सुभाष बाबू ने नहीं रखा बल्कि आजाद फौज ने रखा था । वहां की राजधानी का नाम भी एक अंग्रेज़ के नाम पर है जिसे वहां आजाद व्यक्तियों को बसाने के लिये भेजा गया था । बड़े बड़े शहरों में अब सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं । लेकिन अंडमान निकोबार टापुओं के नाम बदलते समय माननीय मंत्री कहते हैं कि इससे भ्रान्ति उत्पन्न होगी । यह बात मेरी समझ में नहीं आई । मेरा निवेदन है कि इन टापुओं का नाम बदल दिया जाये क्योंकि ऐसा करने से किसी की भावना को भी ठेस नहीं पहुंचती है ।

लेकिन यह देखते हुए कि सरकार इसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है अतः मैं इस संकल्प को वापस लेता हूं । हालांकि शुरू में मेरा विचार इसे वापस लेने का नहीं था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या श्री चौधरी अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** जी हां ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि इस सभा की यह राय है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाये कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पिछड़े हुये क्षेत्रों में विकास की गति अधिक हो और यह व्यवस्था तब तक जारी रहे जब तक सब पिछड़े हुए क्षेत्र एक निश्चित बुनियादी स्तर तक समानरूप से विकसित न हो जायें ।"

जो यह संकल्प मैं सदन के सामने रख रहा हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सम्बन्ध देश की आधे से अधिक आबादी और क्षेत्र से है । हमारा योजना आयोग और हमारी केन्द्रीय सरकार बारम्बार यह आश्वासन दे चुके हैं कि हम पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये पूरा प्रयत्न करेंगे । मैं यहां पर दूसरी योजना में से एक पैरा पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं जिससे आपको विदित होगा कि इस बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या मत था । इस में कहा गया है :—"यह स्वत सिद्ध है कि कम विकसित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं की ओर उचित ध्यान दिया जाये ।"

लेकिन हुआ यह कि इस ओर सरकार ने कोई तवज्जह नहीं दी और हम देखते रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े काम योजना आयोग के द्वारा हो रहे हैं, जिन पर लाखों, करोड़ों और अरबों रुपया खर्च हो रहा है, वे सब के सब विकास के काम ऐसे क्षेत्रों में हो रहे हैं जो पहले से ही विकसित हैं । मैं

---

†मूल अंग्रेजी में

यह नहीं कहता कि उन क्षेत्रों का विकास न किया जाये लेकिन जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनको जब तक आप दूसरे विकसित क्षेत्रों की बराबरी पर नहीं लायेंगे, समानता पर नहीं लायेंगे, वे पिछड़े हुए अंग ही रहेंगे और इस बात को कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी प्लानिंग की मिनिस्ट्री या योजना आयोग कूबड़ सुन्दरी के समान है कि जो अपने कूबड़ को तो छिपाती है लेकिन आंखों में काजिल डालती है, होठों पर लिपस्टिक और बालों में खुशबूदार तेल लगा कर चलना चाहती है ....

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह भी अपील नहीं करती है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मगर मैं चाहता हूं कि उसे अपने कूबड़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिये । अगर आपके एक अंग में फोड़ा हो लेकिन शरीर आपका बिल्कुल तन्दरुस्त हो तो आप निश्चय मानिये कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं और वह फोड़ा आपको मजबूर कर देगा कि आप आगे नहीं जा सकते हैं । आज जब कि सारा देश विलग रहा है, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बेर की गुठली खाते हैं, मौहा खाते हैं चूंकि अन्न दुर्लभ है, घास का फल जिसको राही कहते हैं, समावर कहते हैं, कोदो कहते हैं, खाते हैं और उनको खा कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन जो बड़े बड़ें नगरों से, बम्बई से या दूसरे स्थानों से लोग आते हैं, जहां पर बहुत तरक्की हो चुकी है, बहुत सा विकास का काम हो चुका है उनका ध्यान इन सब बातों की तरफ नहीं जाता है ।

आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जितना कर-भार है, वह सारे का सारा ग्रामीण जनता पर है, सारा कर-भार कृषि समाज पर है, उनकी रीढ़ की हड्डी को हम तोड़ते जा रहे हैं उन लोगों को ऊपर उठाने की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और यह बहुत ही खतरनाक चीज़ है । इस बजट में और पिछले बजटों में जितने भी कर लगाये गये हैं, वे सब के सब ग्रामीण जनता पर लगाये गये हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कृषिकारों की आमदनी इस समय तक दुगनी से अधिक नहीं बढ़ी है । पहले गल्ला ६ रुपये मन बिकता है तो आज उसका भाव १० रुपये मन है या १२–१३ रुपये मन है, दिल्ली में उसका भाव जरूर २० रुपये मन है । इसका मतलब यह हुआ कि किसान की आमदनी दुगनी से अधिक नहीं हुई है जब कि बाकी सारी की सारी वस्तुयें पांच, छ : और आठ गुना महंगी हो गई हैं । सोना जो पहले बीस रुपये तोला हुआ करता था आज १३२ और १३५ रुपये तोला है । इन सब बातों से यह ज़ाहिर होता है कि देहात की जनता का स्तर ऊंचा नहीं उठा है और दिन-प्रति-दिन गिरता चला जा रहा है । विकास खंड जो खोले गए हैं उनमें ब्लाक अधिकारियों के बंगले बन कर तैयार हो जाते हैं, बागीचे लग जाते हैं लेकिन दूसरे कोई काम नहीं होते हैं और माननीय मंत्री महोदय या कर्मचारी जब जाते हैं तो उनको अच्छी चाय पीने को मिल जाती है और अच्छे बिस्कुट खाने को मिल जाते हैं, लेकिन उससे उनको यह पता नहीं चल सकता है कि उस गांव में क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है ।

एक डिवेलेपमेंट ब्लाक के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है जब उस ब्लाक में मैं गया और वहां जा कर देखा—और भी उदाहरण मैं दे सकता हूं—गौहांड में, कि डिवेलेपमेंट अधिकारियों के लिये मकान बन गये हैं, इमारतें बन गई हैं, बागीचे लग गये हैं लेकिन ग्रामीण जनता ने परिश्रम करके, श्रमदान के द्वारा वहां पर जो चार फरलांग की कच्ची सड़क बनाई थी आज तक उसको पक्का नहीं किया गया है । वहां पर आपको रंग बिरंगे काम हुए दिखा दिये जाते हैं और आप समझते हैं कि काम अच्छा हो रहा है । लेकिन वहां के जो निवासी हैं वे जानते हैं कि वहां क्या काम हो रहा है । अधिकारी लोग व्यर्थ में पैसा बरबाद कर रहे हैं । आपकी नज़र में वह चीज़ नहीं आ रही है । मुलम्मासाज़ी का काम कब तक आप को चकाचौंध करता रहेगा ? जो दूसरा मंत्रालय है, जिसको कम्युनिटी डिवेलेपमेंट मंत्रालय कहा जाता है, विकास खंड का मंत्रालय है उसके पास इसके बारे

[श्री म० ला० द्विवेदी]

में कोई दलील नहीं है । आप तो केवल इतना ही कहते हैं कि वहां की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार या बम्बई की सरकार की यह जिम्मेदारी है कि देखे कि विकास खंडों का काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है । विकास खंडों के वास्ते, रुपया तो आप देते हैं, पैसा तो आप देते हैं और यदि उस रुपये पर आप नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो क्यों आप रुपया देते हैं । क्यों आप काम को नहीं देखते हैं । मैंने देखा है कि इतना अधिक रुपया बरबाद हो रहा है कि कोई अंदाज़ा ही नहीं । यदि योजना आयोग ने अब भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसकी चिन्ता नहीं की तो आप याद रखिये कि देश की आधी से अधिक जनता इन कामों से रुष्ट हो जायेगी और इसका पहला प्रभाव परिस्थितियों पर पड़ेगा, इसके बाद प्रभाव वोटों पर पड़ेगा । यह बात मैं चेतावनी स्वरूप सदन में ला रहा हूं और आज सदन इस बात को जज करेगा, निर्णय लेगा कि सरकार जो समय समय पर आश्वासन देती है, उन को पूरा भी करती है या नहीं करती है । वह या तो उन आश्वासनों को पूरा करे और यदि पूरा नहीं करती है तो उनको वापिस ले ले ।

मैं बताना चाहता हूं कि पिछड़े हुए क्षेत्र कौन से हैं । पहले तो वे क्षेत्र हैं जहां पर भूतपूर्व राजा राज करते थे, रजवाड़े थे, रियासतें थीं, जिनको देशी रियासतें कहा जाता था और उन इलाकों का क्षेत्रफल ४५ प्वाइंट कुछ प्रतिशत है । वे सब के सब क्षेत्र आज भी पिछड़े हुए हैं ।

आपके व्हाइट पेपर में जोकि सन् १९४८ में प्रकाशित किया गया था, सरदार पटेल ने कहा था कि हम इसलिए रियासतों का विलीनीकरण कर रहे हैं कि वे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वहां की आमदनी काफी नहीं होती है । हम विकास कार्य वहां करेंगे, उनको अच्छा शासन देंगे । आज उन सारी रियासतों में आपने क्या किया है, आपने उनके लिए कोई विशेष प्रोग्राम नहीं बनाया है । आप ने विकास खंड और दूसरी सभी चीजें उन इलाकों को दी हैं, जो पहले से विकसित हैं । वहां पर इतनी दिक्कतें हैं कि आपको अन्दाज़ा नहीं हो सकता है । एक किसान को गल्ला ले जाने के लिए १५–२० मील एक गाड़ी, दो बैल और दो आदमी साथ ले जाने पड़ते हैं, पांच पांच दिन उनको लग जाते हैं आने जाने में और अगर तीन रुपये रोज़ का उसका खर्चा भी लगाया जाये तो २०–२५ रुपये उसके आने जाने में खर्च हो जाते हैं । इसका आपको अन्दाज़ा भी नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें । वहां पर वे काम हाथ में लें जिन से उनको लाभ पहुंच सकता है ।

आप सड़कें बना रहे हैं लेकिन हालत क्या है ? दो हज़ार मील से ऊपर दूसरी स्टेट्स में संख्या बढ़ गई है । लेकिन जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां सड़कों का निर्माण नागपुर में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, उसके मुताबिक नहीं हुआ है, उस प्रस्ताव को आप अमली रूप नहीं दे सके हैं । जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर चारों तरफ नदियां हैं जिन पर कोई पुल नहीं हैं । वहां पर मेरे क्षेत्र में एक भी सड़क ऐसी नहीं है कि हम ग्रामीण जनता तक पहुंच सकें । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो कहीं कहीं छः छः मील तक मुझे पानी में घुस कर जाना पड़ता है, तैर कर जाना पड़ता है और इसका कारण यह है कि वहां पर सड़कें नहीं हैं । आप दिल्ली की चकाचौंध करने वाली सड़कों की तरफ न जायें, और जो ऊंची ऊंची आठ दस बारह मंजिला इमारतें बना रहे हैं उनकी तरफ न जायें । क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रामीण जनता सुधारों के लिए तरस रही है ? अगली योजना आप दस अरब रुपये की बनाने की सोच रहे हैं । उसमें निर्धारित रकम आप कहां खर्च करेंगे ? क्या वह भी सब का सब रुपया शहरों पर खर्च करेंगे जहां की आबादी कुल आबादी का १७ प्रतिशत है और क्या ग्रामीण जनता पर जिसकी आबादी ८२ प्रतिशत से ऊपर है, खर्च करने का विचार नहीं कर रहे हैं ? ग्रामीण जनता की ओर आपने कभी ध्यान ही नहीं

दिया है । ग्रामीण जनता के आधार पर ही आपने सरकार बनाई है, ग्रामीण जनता के बल पर ही शासन चला रहे हैं और ग्रामीण जनता की ही उपेक्षा कर रहे हैं । क्या योजना आयोग या भारत सरकार को यह उचित दिखाई देता है ? नन्दा जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि बजाय शहरों का दौरा करने के वह हमारे ग्रामों में आयें और वहां आ कर मुझे बतलायें कि कौन से सुधार के काम हुए हैं और अगर उन्होंने मुझे सुधार के काम बता दिये तो मैं पचास बार अपने कान पकड़ कर उठूंगा और बैठूंगा अगर मैं गलत कह रहा हूं कि वहां कोई सुधार के काम नहीं हुए हैं ।

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : आपने कभी बुलाया ही नहीं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : नन्दा जी नहीं जानते हैं । मिश्र जी एक बार राठ में गये थे और वह जानते हैं कि वहां कोई स्कूल नहीं, विद्यालय नहीं . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि आपने कभी बुलाया है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : हां बुलाया है । स्वामी ब्रह्मानन्द जी ने आपको पत्र भेजा था, आपके पास समय नहीं था, आप नहीं आ सके, मिश्र जी आये थे । मैं आज भी आपको निमंत्रण देता हूं कि आप आयें और देखें ।

शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि आप शिक्षा की गति को कहां ले जा रहे हैं ? पांच लाख विद्यार्थी आज हमारे ग्रेजुएट्स हैं । आपको मालूम नहीं कि तीन करोड़ विद्यार्थी प्राइमरी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पा रहे हैं । यदि हम सोच लें कि केवल दस प्रतिशत ही सेकेंड्री स्कूल्स में जाते हैं तो उन विद्यार्थियों की संख्या साठ लाख से ऊपर हो जाती है जो सेकेंड्री स्कूलों में पढ़ते हैं । आप बाबू बनाना चाहते हैं और बाबूगिरी के लिए आप के पास जगहें नहीं हैं, उन के लिए कोई रोजगार नहीं है । हर देश के अन्दर प्रथा है कि वहां प्राविधिक शिक्षा दी जाती है, टेकनिकल एजुकेशन दी जाती है, आप के भी जितने स्कूल हैं उन को रहने दीजिये, मैं उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहता । लेकिन आगे आप जितने सेकेन्ड्री स्कूल खोलें, जितने कालेज खोलें उन के लिए कह दीजिये कि वे प्राविधिक शिक्षा, टेकनिकल एजुकेशन के लिए खुलेंगे । अगर आप इस तरह से करेंगे, तभी आप कहीं जा सकेंगे, वरना कहीं नहीं जा सकेंगे ।

मैं ने बतलाया कि रियासती क्षेत्रों की हालत बहुत खराब है, और भी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक विकास नहीं किया गया । उदाहरण के लिए आसाम का पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तर बिहार का इलाका, जहां पर आज भी ऐसी बुरी हालत है कि लोग नंगे रहते हैं, उनके रहने के लिए मकान नहीं बन सके हैं । वे पहाड़ों में रहते हैं, जंगल के फल फूल खा कर रहते हैं या कच्चा मांस खाते हैं । आज यह स्थिति उत्तर बिहार में मौजूद है, आप वहां कभी देखने नहीं गये । उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में जिसे बुन्देलखंड कहते हैं, मैं गया था और आप के ब्लाक इंडस्ट्रीज के हिस्सों को देख कर आया हूं और उन आदमियों से बात कर के आया हूं जिन की स्थिति यह है । शायद श्री श्याम नंदन मिश्र को इस का पता न हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एस्टिमेट्स कमेटी के सारे सदस्य गये थे । राजस्थान का सारा इलाका पड़ा हुआ है, उस के विकास की ओर कभी आप का ध्यान गया ? लाल बहादुर जी शास्त्री ने राज्य सभा में बहस का जवाब देते हुए कहा कि हम एक्स्पर्ट्स से सलाह लेते हैं । फिर वह कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं तो हम कारखाने कैसे चला दें? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर जापान कैसे करता है ? जापान यहां से कई हजार मील दूर लोहा ले जाता है और वहां पर लोहे का सामान बना बना कर हम को बेचता है और आप कहते हैं कि चूंकि फलां जगह लोहा नहीं है, या दूसरी चीज नहीं मिलती इसलिए हम कारखाने वहां नहीं बना सकते । आप

[श्री म० ला० द्विवेदी]

के पास रेलें हैं, दूसरे साधन हैं । आप सड़कें बनायें, रेलें बिछायें । लेकिन रेल मंत्री डबल लाइन करेंगे दिल्ली से बम्बई तक, दिल्ली से कलकत्ते तक । इलाहबाद स्टेशन को छेनी से तोड़ तोड़ कर बिगाड़ा गया, जो कि इतनी मजबूत इमारत थी, जो सैकड़ों वर्षों तक भी बरबाद नहीं हो सकती थी, वहां इस तरह से रुपया बरबाद किया गया, आगरा स्टेशन बनाया गया, दिल्ली में भव्य भवन तैयार हो रहे हैं । क्या मतलब है इस चीज का ? एक तरफ आप कहते हैं कि खाना खाया हुआ है तो क्या हुआ, लीजिये दो रसगुल्ले और खा लीजिये, मिठाई हाजिर है, भूख नहीं है तो चूरन दे देंगे । लेकिन दूसरी तरफ जो सात दिन से भूखा बैठा है उस से कहते हैं कि थोड़े दिन और ठहरो, अभी खाना नहीं मिलेगा, अभी मैं एक आदमी को भोजन करा रहा हूं । यह हालत हो रही है । आप नहीं सोचते कि जहां रेलें नहीं हैं वहां रेलें क्यों नहीं जातीं, जहां सड़कें नहीं हैं वहां सड़कें क्यों नहीं जातीं, वहां रेलें क्यों नहीं ले जाई जातीं । आप नैशनल हाईवेज बना रहे हैं । वह तो पहले से ही बने हुए थे, आप ने क्या करवाया है ? लेकिन जिन क्षेत्रों में सरितायें बह रही हैं, जहां आवागमन दुर्गम है, सामान नहीं आ जा सकता, जहां बिजली नहीं है, वहां के लिए आप क्या कर रहे हैं ? जहां बिजली नहीं है वहां के लिये उद्योग मंत्री कहते हैं कि चूंकि वहां बिजली नहीं है इसलिए वहां उद्योग नहीं खुल सकते । बिजली पैदा करने के लिए मेरे इलाके में एक बांध बनना था, जिस का नाम माता टीला बांध है । वह द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल था । लेकिन कहा गया कि विदेशी विनिमय हमारे पास नहीं है इस लिए माता टीला बांध की बिजली योजना का काम नहीं हो सकता और वह बन्द कर दिया गया । अब कहते हैं कि चूंकि वहां बिजली नहीं है इसलिए उद्योग नहीं हो सकते । उद्योग आये कैसे जब बिजली नहीं है ? बिजली के लिए हमारे पास विदेशी विनिमय नहीं है, जब कि विदेशी विनिमय में अरबों रुपया आप ने बरबाद किया है । ऐसी ऐसी चीजों में बरबाद किया है जिन्हें मैं गिनाना नहीं चाहता, न उन के सम्बन्ध में सदन का समय लेना चाहता हूं । लेकिन सब कुछ कह देना इस लिए जरूरी है कि इस समय पर देश के सामने बड़ी भारी समस्या आ गई है कि योजना आयोग तरीके से चले और योजनायें ऐसी बनायें जिन से संतुलित विकास हो । श्री लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि जांच करवाने के साधन हमारे पास नहीं हैं कि कौन से पिछड़े इलाके हैं और कौन से पिछड़े इलाके नहीं हैं । मैं ने निशान लगा रखे हैं लेकिन पढ़ने का समय नहीं है । उन्होंने २६ जनवरी को राज्य सभा में कहा था कि हमें पता नहीं कि कौन से अविकसित क्षेत्र हैं । अरे साहब अविकसित क्षेत्र का पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : २६ जनवरी को तो छुट्टी रही होगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : २६ फरवरी, मैं भूल गया । क्षमा करें । एक महीना हुआ । वे कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं जांच करवाने के । अगर साधन नहीं हैं तो हमारी सेकेन्ड फाइव इयर प्लैन में एक जगह लिखा है . . . .

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : उसे पढ़ने का मौका है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : जी हां, इस का मौका है । उस के पेज ३७ में लिखा हुआ है :

राष्ट्रीय विकास परिषद ने सिफारिश की कि प्रादेशिक विषमताओं को कम करने के लिये इस समस्या का अध्ययन किया जाये और प्रादेशिक विकास के लिये उपयुक्त स्तर बनाया जाये लेकिन आप ने इस बात के अध्ययन के लिये आज कदम नहीं उठाया । जब कि आप के चार चार लोहे के कारखाने बन रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, लोहा हमें चाहिये । लेकिन भाई, आप तो संतुलित

विकास की बात करते हैं। आप कहते हैं कि बैलेन्सड डेवेलपमेंट करेंगे। क्या यही बैलेन्स्ड डेवेलपमेंट है कि पांच अरब रुपये खर्च हो जायें और पिछड़े क्षेत्रों को उस की एक बूंद भी न पहुंचे? विकास खंडों की बात तो आप छोड़ दीजिये, विकास खंडों की बात यह है कि वह एक तमाशा है कठपुतली का, जिन में रुपया नालियों की धार के अन्दर से बह रहा है और काम नहीं हो रहा है। जिस गांव में विकास खंड खुला है, वहां के लोगों का जीवन स्तर नहीं उठा, वहां कोई उद्योग नहीं खुले। किसानों के बाकी समय के लिये, जो बचता है किसानी से, आप ने काम नहीं दिया। पढ़ने लिखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर एक विद्यार्थी आठवां दर्जा पास करने के बाद अपने घर में बैठ कर सोचता है कि वह घर का काम न करे। आप की टेक्निकल शिक्षा नदारद है। शिक्षा की सारी व्यवस्था ही गलत है। लेकिन नहीं मालूम आप के दिमाग में यह बात क्यों नहीं आती। नन्दा जी बड़े योग्य व्यक्ति हैं, श्याम नंदन मिश्र जी बड़े योग्य व्यक्ति हैं, प्लैनिंग के जितने अधिकारी हैं, वे बड़े योग्य हैं, और यही कारण है कि कुछ अंशों में काम हुआ है, देश का कुछ विकास भी हुआ है, जिस की लोग भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। मैं भी गलत बात नहीं करूंगा। लेकिन वह विकास एकांगी होता है। एक अंग का अधिक विकास किया गया है और बाकी अंगों की चिन्ता नहीं की जा रही है। समय आ गया है कि हम इसकी ओर जल्दी से विचार करें और उस का सुधार करें। ऐसी व्यवस्थायें बनायें कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में अविकासित क्षेत्रों की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाये। मैं नहीं कहता कि दूसरे अंगों का विकास न किया जाय, लेकिन जब तक वह बराबर न आ जायें तब तक उन पिछड़े अंगों पर इंटेन्सिव डेवेलपमेंट या साधन विकास किया जाय और जब वे बराबर आ जायें तो सब देश बराबर बराबर चले।

मैं कहता हूं कि आप के पास जन शक्ति है और वह ऐसी जन शक्ति है कि उससे चाहे जो काम ले लीजिये। आज हमारे पास यह जो धन है, यह जो खजाना है उस का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उस से लाभ नहीं उठाते हैं। जिस धन का हम लाभ उठा रहे हैं। वह है टैक्सों का। टैक्सों का हाल यह है कि जगह जगह पर उस की चोरी हो रही है। आप का अधिकारी वर्ग ही रुपया ले कर बड़े बड़े पूंजीपतियों की मोटरों पर घूमता है और उन से टैक्स नहीं लेता है या उन से कम टैक्स लेता है। साथ ही साथ और भी प्रार के टैक्सेज हैं, उन को छोड़ दिया जाता है। अगर पूरी तरह से टैक्स वसूल किया जाय तो आप को टैक्स लगाने की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन वह काम नहीं किया जा रहा है। आप योजना आयोग के हैं। आप कहेंगे कि हम से क्या मतलब, यह फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। लेकिन मैं कहता हूं कि सब की बराबर की जिम्मेदारी है। अगर वित्त मंत्रालय ठीक से काम नहीं करता तो आप वित्त मंत्रालय को बदलिये, अगर कम्यूनिटी डेवेलपमेंट की मिनिस्ट्री ठीक काम नहीं करती तो आप उसे बदलिये। जहां जरूरत हो उस का सुधार कीजिये और हर समय सरकार मिल जुल कर काम करे। एक की जिम्मेदारी दूसरे पर न डाली जाय। मैं कृषि क्षेत्र से आता हूं। आप का एक सिंचाव मंत्रालय है। दूसरे मंत्रालय हैं विकास खंडों में वह कोशिश करते हैं कि नई किस्म की खाद का प्रयोग किया जाय, वह कोशिश करते हैं कि जापानी ढंग पर चावल पैदा किया जाय, लेकिन सिंचाई मंत्रालय कहता है कि हम पानी देंगे फलां फलां तारीख को। लेकिन दो महीने तक पानी नहीं मिलता और नर्सरी में ही चावल सूख जाता है। कपास की फसल जो पैदा की जानी है वह सूख जाती है। किसान कहता है हम से कि तुम झूठ बोलते हो, हम तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। आप की मिनिस्ट्रीज में अगर आपसी सहयोग नहीं होगा तो हम कैसे काम चलायेंगे? अगर इस के लिये राज्य सरकार जिम्मेदार हैं तो उन्हीं राज्यों को रुपया दीजिये जो आप की इच्छा से काम करें। उन से कह दीजिये कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में किसी ऐसे राज्य को रुपया नहीं दिया जायेगा जो केन्द्रीय सरकार की सलाह से काम नहीं करता या जो तरीके से मिल जुल कर काम नहीं करेगा। अगर आप दृढ़ता पूर्वक इस

[श्री म० ला० द्विवेदी]

चीज़ को करें तो कोई शक नहीं है कि काम पूरा हो सकता है। कल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, सामुदायिक विकास मंत्रालय की। मि० डे० भी वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि एक ही तरीका रह गया है कि समितियां स्वावलम्बी कर दी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास १५, १६ चिटें आई हैं और सबों में कहा गया है कि उन का इलाका बैकवर्ड है।

श्री म० ला० द्विवेदी : सब को मौका दिया जाय और मैं प्रार्थना करूंगा कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर समय बढ़ा दिया जाय। सभी सदस्यों की यह राय है कि इस पर एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : जो चिटें मुझे मिल रही हैं, उस से तो सारा हिन्दुस्तान ही बैकवर्ड है।

श्री म० ला० द्विवेदी : सारा हिन्दुस्तान बैकवर्ड है, यह मैं मानता हूं, लेकिन आप मानेंगे कि पंजाब में भी कुछ एक एरिया काफी बैकवर्ड हैं। अमृतसर है, जालंधर है, लुधियाना है, यह तो डेवेलप्ड एरिया है, लेकिन रोहतक है, हरियाना है, या जो आप का पहाड़ी इलाका है, वह अनडेवेलप्ड है। जो पंजाब की स्थिति है वही दूसरे क्षेत्रों की भी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो हमारी समस्याओं को जानते हैं इस लिये मैं समझता हूं कि आप को तो इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये। मैं प्रार्थना करूंगा.....

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी तो कोई आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति तो यही है कि जितना वक्त है, वह सब को मिल जाय।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं इस सम्बन्ध में प्रार्थना करता हूं कि अगर आवश्यक बातें ही मैं न कहूं तो फिर मेरा प्रस्ताव लाना ही बेकार हो जायेगा। इस लिये एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

मैं ने इस प्रस्ताव में यह लिखा है कि आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, तामिलनाद का कुछ एरिया है, कुछ मैसूर का एरिया है, नार्थ बिहार का कुछ एरिया है, आसाम के हिली रीजन्स हैं, मध्य प्रदेश का वह भाग जो मालवा को छोड़ कर बैकवर्ड है, इसी तरह से पूर्वी और दक्षिणी आसाम का एरिया है जो कि बैकवर्ड है, सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड एरियाज में हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अन्दमान इत्यादि हैं, जो कि बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और इन की तरफ विशेष तबज्जह देने की आवश्यकता है।

इस के पश्चात् भारत सरकार का इंडस्ट्रीयल रेजोल्यूशन है, उस की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उस इंडस्ट्रीयल पालिसी रेजोल्यूशन में यह लिखा है कि देश के संतुलित विकास के लिये आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास स्तरों की असमानताओं को दूर किया जाये और इसके मार्ग में बाधक पड़ने वाली बातों—कच्चे माल की कमी या अन्य प्राकृतिक संसाधनों की कमी—को पूरा किया जाये ताकि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास हो और वे रोजगार के अधिक अवसर दे सकें।

यह ठीक है कि हमारी सराकरों ने इस बात पर पूरा जोर दिया है। अब कुछ काम होने वाला है लेकिन १२ साल बीत गये और काम संतोषप्रद ढग से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू और चाहता हूं कि मंत्री महोदय अब इस की अधिक उपेक्षा न करके शीघ्र ही वह दिन लायें जिसमें कि पिछड़े हुए इलाके और अविकसित इलाके भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के उस सुख का अनुभव कर सकें जिसकी कि वह इतने दिनों से आकांक्षा कर रहे थे।

अब मैं एक, दो बातें कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा । एक बात तो यह कहना है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कर रहे हैं, उद्योग बैठा रहे हैं वह सब बड़े बड़े शहरों में ही केन्द्रित करते जा रहे हैं । बंगलौर में ४, ४ बड़े कारखाने हैं, मद्रास में १० होंगे और बम्बई में ८० के लगभग कारखाने बन चुके हैं। यह जो कारखाने एक ही जगह पर बनते जा रहे हैं तो इन को डिसेंट्रलाइज करिये अलग अलग इकाइयां बनाइये । अविकसित क्षेत्रों में कारखाने बनाइये । जब तक आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है । छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को कायम करने के स्थान तलाश करिए कि जहां पर कच्चा सामान भी हो और जहां कि यह उद्योग स्थापित करके उन क्षेत्रों को विकसित किया जा सके । अब विन्ध्य प्रदेश को ही ले लीजिये । विन्ध्य प्रदेश के लिए कहा है कि विन्ध्य प्रदेश खनिज संसाधनों का आगार है । अब वहां पर कोल है, माइका है, मैंगनीज है, आयरन है, बौक्साइड है और पचासियों खनिज पदार्थ पाये जाते हैं । विजावल के पास पहाड़ों से लुहार पत्थर लाकर मामूली भट्टी में लोहा बनाते हैं । ८० फी सदी उसमें लोहा है लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । उस इलाके में हालांकि इतने मिनरल्स पाये जाते हैं लेकिन आपके जुओलाजिकल सर्वे के आदमी वहां नहीं पहुंचे और न वहां और काम हो रहा है । मैं नहीं समझ पाता कि क्या कारण है । साधन भी मौजूद हैं, रिसोर्सेज भी वहां पर हैं तो भी वहां पर काम नहीं हो पा रहा है । जैसा कि प्लानिंग कमिशन ने कहा है कि अब समय आ गया है कि आप एक सिटिंग कौनटीनुएस बोर्ड आफ स्टडी बना दें जो कि इन सारे बैकवर्ड ऐरियाज में इन चीजों के बारे में जांच पड़ताल करता रहे और आवश्यक सूचनाएं समय समय पर सरकार को भेजता रहे । मैं चाहता हूं कि यह बोर्ड स्थाई हो और यह बराबर अपना काम जारी रखे । सैकेंड फाइव इयर प्लान में इसके बारे में जिक्र किया गया था और यह ठीक है कि आज इस तरह के स्टडी बोर्ड की बहुत आवश्यकता है । आप ने उस को पूरा नहीं किया है और एक ऐसा बोर्ड स्थापित नहीं किया है । मेरा निवेदन है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये और यदि वह ऐसा करती है तो यह संतोष की बात होगी ।

इसी तरह से छोटे छोटे उद्योग जगह जगह पर आप बैठा लें । अब पावर के बारे में शार्टेज है तो पहाड़ों पर जहां कि पानी झरता है और चूंकि वहां पर सिंचाई नहीं हो सकती है इसलिए वहां पर बिजली बैठा दीजिये और बिजली पैदा कीजिये । अब जहां पर यह आपकी हाइड्रो एलेक्ट्रिक नहीं पहुंच सकती है तो वहां पर थर्मल पावर और एटोमिक पावर कायम कीजिये । अब दिल्ली में हाइड्रो एलेक्ट्रिक लगाने की क्या आवश्यकता है ? अब आप के पास एटैमिक एनर्जी आने वाली है चूंकि शहर के लोग ज्यादा पे करते हैं । अब शहरों को थर्मल पावर और एटैमिक पावर दीजिये और यह हाइडल पावर देहातों को दे दीजिये । अब यह क्या कि नांगल से पावर भी दिल्ली में आ जाये और हाइडल पावर भी दिल्ली में आ जाय ? दिल्ली के लोगों को तो ६–६ पैसे में और साढ़े तीन आने में बिजली दी जाय और हमारे देहाती अविकसित और पिछड़े इलाकों को ८–९ आने पर यूनिट के हिसाब से बिजली सप्लाई करते हैं तो इतनी महंगी दर में जो बिजली हमको सप्लाई की जाती है उससे कोई कारखाना नहीं चल सकता है । अगर आप उन अविकसित क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं और उनका औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो आप को बिजली की सुविधा और वह भी सस्ते दर पर उनको सुलभ करना चाहिए । आप उनको हाइड्रो एलेक्ट्रिक दीजिये, एटैमिक एनर्जी के स्टेशंस बजाय बड़े बड़े शहरों जैसे बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में न बना कर देहातों में बनाइये और ऐसा करने से हम अपने प्रयास में सफल हो सकेंगे । इसी तरीके से कंज्यूमर्स गुड्स के आर्टिकिल्स के वास्ते देहातों में उद्योग स्थापित कीजिये और इसके लिए आप आवश्यक ट्रेनिंग दीजिये और इस बात की कोशिश की जाय कि कोई भी उद्योग बड़े शहरों में न खुल कर देहातों में खुलगा ।

[श्री म० ला० द्विवेदी]

अगर आप यह तय कर लेंगे तो आपका काम चल पड़ेगा । पिछड़े इलाके खुशहाल हो सकेंगे, लोगों में आज जो बेरोजगारी और बेकारी है वह दूर हो सकेगी और लोगों को काम मिल सकेगा ।

इसी तरह से रोड ट्रान्स्पोर्ट की दिक्कतें हैं । यहां भी बड़े बड़े शहरों और विकसित इलाकों में ही देखने में आता है कि ट्रान्सपोर्ट की सुविधाएं बढ़ती जाती हैं लेकिन जो पिछड़े इलाके हैं उनमें ट्रान्सपोर्ट की सुविधाएं देने की ओर कम ध्यान दिया जाता है और उनकी एक तरह से उपेक्षा ही की जाती है । हांलाकि इस सम्बन्ध में नागपुर का रेजोलूशन है लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि स्टेट्समैन अखबार में उत्तर प्रदेश की बाबत लिखा है और उसकी कटिंग मेरे पास मौजूद है और जिस में कि यह दिया हुआ है कि दो हजार मील की कमी अभी भी उत्तर प्रदेश में है । यह कमी उत्तर प्रदेश के उस भाग में नहीं है जहां के कि मंत्रीगण हैं या जहां की आवाज प्रबल है बल्कि यह कमी उत्तर प्रदेश के उस पिछड़े हुए इलाके में है जिसकी कि ओर उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान नहीं जाता है। मतों के बलाबल पर वहां काम किया जाता है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चूंकि चरण सिंह मंत्री हैं इसलिये जाहिर है कि सारे का सारा विकास कार्य मेरठ की तरफ़ चला जायगा । इसी तरह बनारस के चूंकि श्री कमलापति त्रिपाठी मंत्री हैं इसलिए बनारस की ओर ही सारा विकास कार्य चला जायगा । जाहिर है कि दक्षिण की ओर कोई विकास कार्य नहीं होगा । भूपाल बढ़ रहा है। हमारे विन्ध्य प्रदेश का ग्वालियर रीजन बुंदेलखंड का इलाका जिसको कि महाकौशल कहते हैं वह इलाका बिलकुल अविकसित है । वहां के मंत्री लोग मूंछों पर ताव दे कर चले जाते हैं । उनको इन पिछड़े इलाकों की अब और अधिक उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और वहां पर विकास कार्य अविलम्ब शुरू कर देना चाहिए ।

श्री खुशवक्त राय : श्री मोहनलाल गौतम अलीगढ़ के हैं . . . . . .

श्री म० ला० द्विवेदी : अलीगढ़ का भी जिक्र करूंगा । अलीगढ़ के बारे में भी वही बात लागू होती है जोकि बनारस और मेरठ के लिए मैं ने कही । अविकसित क्षेत्रों की ओर जो अब तक सरकार की उपेक्षा रही है वह हटनी चाहिए । अब मैं यह चाहता हूं कि मेरे जो दूसरे मित्र लोग हैं वे अपनी अपनी बातें सुनायें । मुझे जो कुछ और कहना होगा वह जब मुझे आखिर में मौका बोलने का मिलेगा तब निवेदन कर दूंगा । मैं आज इस बात से खुश हूं कि हमें उपाध्यक्ष महोदय ने एक मौका दिया कि हम पिछड़े इलाकों की बात कह सकें और इसकी ओर सरकार की और प्लानिंग मिनिस्टर की तवज्जह दिला सकें । देश आज सरकार से इस बात की आकांक्षा करता है कि शीघ्र से शीघ्र पिछड़े हुए इलाकों को विकसित किया जाये और आप देखेंगे कि उस इलाके के लोग आपका चीन से यदि जरूरत पड़ी तो मुकाबला करने में साथ देंगे । वे हर कठिनाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे और आपकी मदद करेंगे । पिछड़े हुए इलाके के लोग जवांमर्द हैं, उनकी बाजू में ताकत है और यकीन रखिये कि वे आड़े वक्त में आपके काम आयेंगे और संकट के अवसर पर वे अपनी ज़ान की बाजी लगा कर भी देश की रक्षा करेंगे . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अकेले क्या वही लोग काम आयेंगे दूसरे क्या काम नहीं आयेंगे ?

श्री म० ला० द्विवेदी: जी, दूसरे लोग भी काम आयेंगे, लेकिन वे अधिक काम आयेंगे लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि मैं उन पंजाब के वीरों की किसी तरह भी निन्दा करना चाहता हूं जिन्होंने कि हमारा डंका और झंडा सदा ऊंचे बनाये रखा, जिन वीरों ने कि हमारे देश का नाम

उज्ज्वल किया है, जैसे झांसी का इलाका जहां कि महारानी झांसी ने झंडा ऊंचा किया, कुंवर सिंह का इलाका जहां कि उन्होंने स्वाधीनता की ज्योति जलाई और इसी तरह दक्षिण में, उत्तर में अन्य इलाके जहां के वीरों ने भारत की स्वाधीनता के हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और जो इलाके कि अभी तक अविकसित पड़े हैं उन में विकासकार्य सरकार शीघ्र आरम्भ कराये। इन तमाम वीरों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था। आज अंग्रेज तो इस देश से चले गये हैं लेकिन यह खेद का विषय है कि हमारी अपनी सरकार अभी तक उसी अंग्रेजी सरकार की पुरानी लकीर पर ही चल रही है। अंग्रेजों ने कलकत्ता पोर्ट, बम्बई पोर्ट और दिल्ली इन तीन स्थानों पर तमाम विकास कार्य किये, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किये, रेलें चलाईं और अन्य विकास कार्य किये। लेकिन अब तो अंग्रेज चले गये हैं और अपनी आजाद सरकार कायम है तो यह जरूरी है कि अविकसित और पिछड़े इलाकों को विकसित करके इस बात का प्रमाण दिया जाय कि कांग्रेस गवर्नमेंट जनता के लिए है और जनता के लिए काम कर रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस संकल्प पर कुछ संशोधन हैं।

†**श्री विभूति मिश्र** : (बगहा) मैं अपना स्थानापन्न संकल्प संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम्) : मैं अपना स्थानापन्न संकल्प संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मू० चं० जैन के संशोधन संख्या २, ३ तथा ५ नियम-बाह्य हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी संशोधन सभा के सामने हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : इस संकल्प का प्रयोजन यही है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाये। सुयोजित योजना का अर्थ यही होता है कि विकास की दृष्टि से—सभी प्रकार के विकास—देश के विभिन्न भागों का ध्यान रखा जाये। गत सत्र में उस सभा में ऐसा ही एक संकल्प रखा गया था। उस पर चर्चा के दौरान माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा था कि माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों के प्रति अधिक मोह के कारण ऐसी बात कहते हैं। मुझे खेद है कि उन्होंने ऐसी बात कही। पर वैसे हम सभी इस बात पर गर्व करते हैं कि हम में कम से कम अपने क्षेत्र के प्रति, वहां की जनता के प्रति, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, मोह है व हमें उनका ध्यान है।

हम देखते हैं कि कुछ विशेष स्थानों व क्षेत्रों में तरह-तरह के उद्योगों को केन्द्रीत किया जा रहा है जब कि अन्य क्षेत्रों की अवहेलना हो रही है। मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि अमुक उद्योग अमुक राज्य या क्षेत्र में क्यों चलाया जा रहा है पर वास्तव में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर सभी क्षेत्रों का समान विकास आवश्यक है। वैसे तो उद्योग को शुरू करने के पहले तरह-तरह की बातें होती हैं, पर अन्त में उद्योग को वहीं स्थापित किया जाता है, जहां करना होता

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

है। आशा है तीसरी योजना काल में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि किसी एक विशेष क्षेत्र में इन सभी उद्योगों को केन्द्रित न किया जायेगा।

हमारे राज्य में बेरोज़गारी अन्य राज्यों के अपेक्षा अधिक है। पर हमारे राज्य में सरकारी क्षेत्र में केवल २ उद्योग हैं, एक में १३० व्यक्ति काम करते हैं और दूसरे में केवल ७७ व्यक्ति। इस्पात कारखाना दक्षिण में लगाने की मांग की जाती है, तो हमें बताया जाता है कि वहां इस्पात कारखाना नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वहां कच्चा लोहा व कोयला नहीं है। ठीक है, कुछ अंशों में यह तर्क उचित है। पर मैं आप के सामने एक और अजीब कहानी रखना चाहता हूं। यह कहानी दूसरे शिपयार्ड के बनाने के सम्बन्ध में है। ब्रिटिश टेकनिकल मिशन ने उसके बारे में उचित सिफारिश की थी उसके बाद सचिवों की समिति ने भी कहा कि कोचीन में दूसरा शिपयार्ड बनाया जाना चाहिए। हम समझते थे कि अब मामला तय हो गया है। पर अभी मामला खटाई में पड़ा है। योजना आयोग के सामने विचाराधीन है। योजना आयोग न जाने क्या निश्चय करेगा इस सम्बन्ध में। न जाने क्या अड़चनें हैं। जब इस प्रकार की बातें हमारी सरकार कर रही है, तो कोचीन में दूसरा शिपयार्ड बनाने के सम्बन्ध में हम क्या आशा कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एक बात और मैं बता सकता हूं। वह यह है कि पत्तनों के विकास के लिए जो राशि आवण्टित की जाती है, वह इस बात को ध्यान में रख कर नहीं की जाती कि किस स्थान पर धन लगाने से अधिकाधिक लाभ होगा। उदाहरण के लिए कोचीन जैसे महत्वपूर्ण पत्तन को केवल २ करोड़ रु० मिले जब कि अन्य पत्तनों को १७ करोड़ रु० दिये गये। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रकार धन का आवण्टन करते समय हमें धन के अधिकतम उपयोग का ध्यान रखना चाहिए। यदि केरल में इस्पात कारखाना नहीं बनाया जा सकता, तो वहां कम से कम विद्युत का विकास अवश्य किया जाये। मेरी प्रार्थना है कि तीसरी योजना में इन बातों का ध्यान अवश्य रखा जाये।

श्री मू० चं० जैन (कैथल): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने दोस्त श्री द्विवेदी के प्रस्ताव का पुरजोर हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं और हाउस के सामने इस प्रस्ताव को लाने के लिए उनको बधाई देता हूं। जो बात इस प्रस्ताव में कही गयी है, मेरे ख्याल में, उसको तसलीम करने में प्लानिंग मिनिस्टर साहब को कोई इन्कार नहीं होगा। सैकिंड फाइव इअर प्लान में भी इस बात को माना गया है और अब तीसरी प्लान बन रही है। लेकिन उनको भी छोड़िए। कांग्रेस की प्लानिंग सब कमेटी ने भी इस चीज़ को तसलीम किया है। उसने अपनी रिपोर्ट के पैरा ४० में यह लिखा कि सभी क्षेत्रों के समान विकास का भी प्रश्न है। सिद्धान्त रूप में तो इसे स्वीकार कर लिया गया है अतः आवश्यकता इस बात की है कि तीसरी योजना काल में इसकी कार्यान्विति पर अधिक जोर दिया जाये। इस देश का विकास ठीक प्रोपोरशन से नहीं हो रहा है इस बात को तो सब कोई जानता है। मैंने द्विवेदी जी को बधाई इसलिए दी है कि वह यह प्रस्ताव ठीक उस समय लाए हैं जब कि हमारी तीसरी योजना बन रही है। जिस जोश के साथ द्विवेदी जी ने इस प्रस्ताव पर अपनी तकरीर की है उससे जाहिर होता है कि उनके इस प्रस्ताव के पीछे कितना जज्बा है। मैं समझता हूं कि नन्दा साहब इस की कद्र करेंगे और इस प्रस्ताव की तरफ सही तौर पर ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: जोश इतनी जल्दी सर्द हो गया। वह तो कहीं चले भी गए।

श्री मू० चं० जैन : मैंने इस प्रस्ताव पर कुछ तरमीमें दी थीं। गो आपने उनको आउट आफ आर्डर करार दे दिया, लेकिन एक चीज आप भी तसलीम करेंगे कि जो, हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं उन्ही में ज्यादातर हमारे शिडयूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं, और हाउस के माननीय सदस्य भी इस बात को तसलीम करेंगे कि हमारे शिडयूल्ड कास्ट वाले ज्यादातर उस एरिया में ही कंसेंट्रेटड हैं जो कि विकास के लिहाज से बैकवर्ड एरिया है। यह चीज देहाती रकबों पर भी लागू हो सकती है। आप गांवों को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। गांवों के चारों तरफ जो आबादी होती हैं वह ज्यादातर हरिजनों की होती है। उनको पुश्तों से गांव से कम विकसित हिस्से में रखा गया है। तो इसको भी देखते हुए मेरी तरमीम इस प्रस्ताव के क्षेत्र के अन्दर आ सकती है। मैं इन लोगों के खयाल से ही इस पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि जो चीजें मैं कह रहा हूं वह पहले से मिनिस्टर साहब के सामने हैं लेकिन फिर भी मैं इन चीजों पर इसलिए जोर देना चाहता हूं कि हमको आजाद हुए १२–१४ साल हो गए और हमने पहली योजना में २२००–२३०० करोड़ रुपया खर्च किया और दूसरी योजना में ४३०० या ४५०० करोड़ खर्च कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जहां तक इन ३० फीसदी हरिजनों का सवाल है जिनको आप लैंडलैस लेबरर कह सकते हैं इनका सुधार नहीं हुआ है —

उपाध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री के डिमांड खत्म हो चुके, फिर भी आप इसी बात को कह रहे हैं।

श्री मू० चं० जैन : अगर जो मैंने ३० परसेंट आबादी का जिक्र किया इसलिए आप इसको रूल आउट करते हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग इन एरियाज में रहते हैं उनके लिए हमने जो कुछ किया है वह नाकाफी है। मुझे कल यह सुनकर ताज्जुब हुआ जब दातार साहब ने यह कहा कि यह कहना गलत है कि इन लोगों के लिए बहुत कम काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हम भंगियों के सुधार पर ९ लाख रुपया सालाना खर्च कर रहे हैं। आप देखें कि हिन्दुस्तान में कितने भंगी हैं और गवर्नमेंट उनके सुधार के लिए सिर्फ ९ लाख रुपया सालाना खर्च कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह मेंटेलिटी सही नहीं है कि हम उनके लिए काफी खर्च कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के मिनिस्टर यहां बैठे हैं अगर वह यह समझते हैं कि इन लोगों के लिए जो लाखों रुपया हम खर्च कर रहे है वह काफी है, तो उनका यह सोचना गलत है। मैं इसलिए इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जो कुछ हमने उनके लिए किया है वह काफी नहीं है। और हमको आयन्दा ज्यादा करना चाहिए। मैंने दातार साहब की बातें नोट कर ली हैं। अगर वह यह कहते कि जितना हमको करना चाहिए उतना हम नहीं कर सके और हमको ज्यादा करना चाहिए था तो मुझे तसल्ली होती। लेकिन वह कहते हैं कि हम काफी कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ कापरेट कर रहीं हैं। लेकिन हमारे पन्त साहब ने कहा कि पिछले साल भी उन्होंने चीफ मिनिस्टरों से इस बारे में कहा और इस साल भी जनवरी-फरवरी में स्टेट मिनिस्टरों से कहा कि पिछड़े लोगों के लिए जो ९० लाख रुपया रखा गया था उसमें से ४५ लाख अभी खर्च नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आता कि इस हालत में यह कैसे कहा जा सकता है कि हम इनके लिए काफी कर रहे हैं। ४५०० करोड़ की योजना में से इनके लिए केवल ९० लाख रुपया रखा गया है और वह भी खर्च नहीं होता। यह मेंटेलिटी है कि जो रुपया दिया जाता है वह ठीक तरीके से खर्च नहीं होता। इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं।

[श्री मू० चं० जैन]

वैसे तो किसी भी देश की तरक्की के लिए यह जरूरी है कि उसके हर इलाके के बसने वालों की बराबर तरक्की होती चले। लेकिन मैं जानता हूं कि पांचों उंगलियां तो परमात्मा ने भी बराबर नहीं बनायीं। लेकिन उनमें कोई एक एक गज़ का फर्क नहीं है, मामूली फर्क है। इतना फर्क तो इन्सान की मेहनत से भी हो सकता है। लेकिन हमारे देश के समाजिक ढांचे में लोगों में बहुत ज्यादा विषमता है। इसको दूर करना चाहिये क्योंकि इसको दूर किए बिना देश का इमोशनल इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। हमको सोशल और इकानामिक दोनों तरह की विषमता को दूर करना होगा। मैं आपको एक खेत की मिसाल देना चाहता हूं। एक ऐसा खेत है जिसमें कि टीले हैं और गड्ढे हैं। ऐसी हालत हमारे समाज की है। अगर खेत को ठीक बनाना है तो आपको टीलों को काटकर गड्ढों में डालकर खेत को हमवार करना होगा। इसी तरह से आप समाज को देखें। यहां यह हाल है कि ऐसे भी इलाके हैं जहां पचासों कारखाने चल रहे हैं और दूसरी तरफ यह हालत है कि लोग काम के बगैर भूखे मर रहे हैं। ऐसा देश कैसे तरक्की कर सकता है और ऐसे हालात में कैसे लोगों में इमोशनल इंटीग्रेशन हो सकता है। कैसे लोगों में एकता हो सकती है किसी खास खतरे का मुकाबला करने के लिए। तो यह जरूरी है कि हम उन एरियाज की तरफ ज्यादा ध्यान दें जिनका विकास नहीं हुआ है और उनके लिए प्लान में ज्यादा रुपया रखा जाए। और पिछड़े हुए लोगों के लिए जो रुपया रखा जाता है उसको ठीक ढंग से खर्च किया जाना चाहिए और जिस तरीके से उनका ज्यादा फायदा हो सके उस तरह से उसको खर्च करना चाहिए। और जिन अफसरों पर यह रुपया खर्च करने की जिम्मेदारी है, अगर वह इसको ठीक तरह से खर्च न कर सकें तो उसकी जांच करने के लिए आप कमेटी वगैरह मुकर्रर करें। हमें यह देखना चाहिए कि जो रुपया उनके लिए रखा गया है वह ठीक से खर्च होता है, और तभी उनको तसल्ली होगी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं अब एक मिनट में अपने इलाके के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं जो कि पंजाब का हरियाना का इलाका है। इसकी तरफ मेरे मुअज्जिज दोस्त ने इशारा भी किया है। इस इलाके की तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी लापरवाही रही है और पंजाब सरकार की तरफ से भी लापरवाही रही है। वैस्टर्न जमना कैनाल का सवाल है। उसको एक्सटेंड करना है। जब मैं हरियाना का जिक्र करता हूं तो पंजाब के दूसरे इलाके के भाइयों को न मालूम क्यों गुस्सा आ जाता है। यह मेरे इलाके की तरक्की का सवाल है। जिस इलाके में मैं पैदा हुआ हूं और जहां मैं मरूंगा उस इलाके को मैं कैसे भूल सकता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से उस इलाके को नजरन्दाज किया गया है। जहां तक रेलों का सवाल है, उस में हम पीछे हैं। पोस्टल सर्विसिज़ में भी हम पीछे हैं और इंडस्ट्रीज में भी पीछे हैं। जहां तक टेक्निकल एजूकेशन का ताल्लुक है, सारे के सारे हरियाना में सिर्फ एक वैटरिनरी कालेज है। उस को छोड़ कर और कोई टेक्निकल एजूकेशन से मुताल्लिक कालेज हमारे यहां नहीं है। टेक्निकल कालेज हमारे यहां आसानी से बन सकता था, लेकिन उस को उठा कर लुधियाना में ले जाया गया। मेरे पास टाइम की कमी है, वर्ना मैं इस सिलसिले में और भी डीटेल्ज पेश करता। मैंने इरिगेशन मिनिस्टर को लिखा कि फाइव यीअर प्लान पीरियड के लिये जो रुपया मन्जूर किया गया, उस में से हमारे इलाके का जो हिस्सा था, उस को

खर्च नहीं किया गया। वैस्टर्न जमना कैनाल के एक्सटेंशन के लिए साठ, सत्तर, अस्सी लाख रुपया रक्खा गया था, लेकिन उस में से मुश्किल से पच्चीस लाख रुपया खर्च किया गया। इस के जवाब में इर्रीगेशन मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह तो आप की स्टेट का काम है। अभी हाल ही में मेरे मोअज़्ज़िज दोस्त पंडित ठाकुर दास भार्गव ने फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर बोलते हुए कहा था कि सैंट्रल गवर्नमेंट की फ़ेल्योर इस बात की है कि वह स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती है। वह यह कहती है कि हम क्या करें, यह तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस को इस जवाब से कोई तसल्ली नहीं है। गवर्नमेंट चाहे कांस्टीच्यूशन को अमेंड करे और चाहे कोई और तरीका अख्तियार करे, लेकिन इस मसले का हल निहायत ज़रूरी है। यह फ़ेडरेल गवर्नमेंट है, यह मैं जानता हूं, लेकिन यह फ़ैक्ट है कि प्लानिंग कमीशन सब को कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट उस सूबे को ग्रान्ट देना बन्द कर दे, जो कि उस की बात को नहीं मानता है। गवर्नमेंट कोई भी कदम उठाए, लेकिन यह मुनासिब नहीं है कि यहां पर कोई मिनिस्टर खड़ा हो कर यह कहे कि हम क्या करें, लिस्ट्स बनी हुई हैं और यह तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। जब गवर्नमेंट इस मसले पर गौर करेगी और मुनासिब कार्रवाई करेगी, तो फूड की प्राडेक्शन बढ़ेगी, पसमांदा इलाकों और पसमांदा लोगों की तरक्की होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपने दोस्त के प्रस्ताव की हिमायत करता हूं।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : अध्यक्ष जी, दुख है कि प्रस्तावक महोदय यह प्रस्ताव पेश करने के बाद सदन के बाहर चले गए। शायद प्रस्ताव की कोई कमज़ोरी उन्होंने महसूस की हो, लेकिन उन का प्रस्ताव बड़ा आम है। जहां तक काग़जों का सम्बन्ध है, किताबों का सम्बन्ध है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, मिनिस्ट्री की पालिसी का सम्बन्ध है यह कहा जाता है कि बैकवर्ड एरियाज़ को प्रोत्साहन दिया जाये और उन को व्यवसाय दिया जाये, ताकि हमारे देश में जो असमानता है—धनी और ग़रीबों में जो असमानता है, पढ़े-लिखे और बेपढ़े-लिखे में जो असमानता है, दवा खा कर पचाने वाले और अन्न पचने के लिये जिस के पेट में न हो, उन में जो असमानता है—उस को यथा सम्भव कम किया जाये। लेकिन जब इस नीति को कार्य रूप में परिणत करने की बात आती है, तो गाड़ी वहां ही रुक जाती है अभी बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े कल-कारखानों के लिये, चाहे जिस नाम पर हो, करोड़ों रुपये खर्च किये गये : लेकिन पिछड़े एरियाज़ में रोज़गार-धंधे देने के लिए हमारी सरकार, प्लानिंग कमीशन और सब ने मिल कर तीन करोड़ कई लाख रुपये का आयोजन किया था और उसमें से शायद दो करोड़ ही अभी दे पाए हैं और बाकी पड़ा हुआ है। बंट भी नहीं सकता और काम भी नहीं होता है। अगर हम काग़ज़ को देखें, तो हम पढ़ेंगे कि देहात और खेती की तरक्की के लिये सब कुछ किया जाये। मेरा कहना यह है कि अगर हमारी वाणी और कर्त्तव्य दोनों साथ चलें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज देहातों की हालत करीब करीब वही है, जो आज से दस बरस पहले थी। जहां कहीं पानी चला गया है, नल-कूप बन गया है, वहां कुछ तरक्की हो गई है, लेकिन आज देहात की जनता, जो पिछड़े इलाके कहलाते हैं, उनकी जनता यह महसूस नहीं करती कि ब्रिटिश राज और इस राज में कोई अन्तर है। उन के सामने शासन वही है।

श्री विभूति मिश्र : वे ब्रिटिश राज और इस राज में बहुत अन्तर करते हैं।

श्री सिंहासन सिंह : काग़ज पर अन्तर करते हैं। उन के सामने पुलिस वही है, और चीजें वहीं हैं। जब उन को पानी मिलता है, बिजली मिलती है, तो वे अन्तर करते हैं लेकिन अपने प्रति व्यवहार में, अपने प्रति रुझान में वे कोई अन्तर नहीं अनुभव करते। माननीय सदस्य के यहां तम्बाकू पैदा होता है। धन हो गया है, इसलिये वे शायद अन्तर अनुभव करते हैं, लेकिन और जगह लोग अन्तर अनुभव नहीं करते। पिछड़े इलाके के क्या मायने हैं? पिछड़ा इलाका किस को कहते हैं? पिछड़ा इलाका वह हो सकता है कि जहां रास्ता नहीं है, क्योंकि किसी देश की तरक्की के लिये तीन चीज़ों की आवश्यकता है: पहुंचने के लिए सुगम रास्ते हों, सब के लिये शिक्षा की व्यवस्था हो और पीने और खेती का काम करने के लिये पानी मिले। अगर इन तीन चीज़ों की——कम्यूनिकेशन, एजूकेशन और इरिगेशन की व्यवस्था हो जाये, तो हमारे सब मसले हल हो सकते हैं। इसलिये हम को पिछड़े इलाके को इस नाप से नापना चाहिये कि वहां रास्ते हैं या नहीं, शिक्षा का प्रचार है या नहीं और उन के लिये पानी की व्यवस्था है या नहीं। आप ने पेपर में देखा होगा कि पंजाब में किसी जगह पीने के लिये पानी नहीं है और वहां के लिये इन्तज़ाम हो रहा है। नागपुर प्लान के अनुसार देश भर में सड़कें तैयार करने का विचार किया गया था। सड़कें तैयार हो रहीं हैं, सीमेंट और तारकोल की सड़कें बनती हैं, लेकिन कच्ची सड़कों के साथ उन को मिलाने के सम्बन्ध में बहुत कम इन्तज़ाम हो रहा है। देहात में आने जाने के लिये रास्ते कम हैं, इसलिये ब्लाक डेवेलपमेंट की जो गाड़ियां देहात में जाती हैं वे सिर्फ वहीं पहुंचती हैं, जहां सड़कें हैं। दूसरी जगह वे नहीं पहुंच पाती हैं। पहला काम यह होना चाहिये कि गांव गांव को आपस में मिलाने की स्कीम बनाई जाये, ऐसे रास्ते बनाए जायें, जिन पर बैल-गाड़ी और मोटर बस चलें। अगर इस तरफ़ ध्यान गया भी तो हम हमेशा यह देखते हैं कि हमारी मोटर-गाड़ी से जो गर्द उड़ती है, वह हम पर न पड़े, इसलिये वहां सीमेंट और तारकोल की सड़क बना दी जाये, यह विचार सामने होता है। वह ठीक है। वह करें, लेकिन तारकोल और सीमेंट की सड़क जब बनाते हैं, तो उस के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हर जगह, जहां जहां ज़रूरत हो, वहां सड़कें बना दी जायें, चाहे वे कच्ची हों। कल एक भाई ने कहा कि उन की सड़कें नहीं बन रही हैं, क्योंकि वे कच्ची होंगी। पक्की सड़क जहां है, वहां है, लेकिन कच्ची नहीं बनती। तो कच्ची होने के कारण आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिये नीचे ही तरक्की रह जाती है, क्योंकि जहां सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, वहां सब प्रकार की तरक्की होती है, बिजली वगैरह की तरक्की होती है। सरकार भी कहती है कि तुम्हारे यहां रास्ता नहीं है, कैसे जायें? यही तो हमारी मांग है कि वहां रास्ता बनाया जाये, ताकि वहां पहुंच सकें—पिछड़े इलाकों को तरक्की देने के लिए रास्ता बनाया जाये। सरकार कहती है कि तुम्हारे यहां बिजली नहीं है, इस लिए छोटे काम-धंधे नहीं हो सकते हैं। बिजली सरकार बनायेगी नहीं और हम बिजली रख नहीं सकते, बिजली बनाने की ताकत हमारे पास नहीं है। सरकार कह सकती है कि बिजली बम्बई, कलकत्ते में है, इसलिये वहां रेल-गाड़ी बिजली से चलेगी, सब कुछ काम बिजली से होगा, लेकिन जहां बिजली नहीं है, वहां कोई व्यवस्था नहीं की जायगी। अगर व्यवस्था करें, तो तरक्की हो सकती है। असली बात यह है कि सरकार की मनोवृत्ति में परिवर्तन हो। वह परिवर्तन कैसा हो? कागज़ में सरकार देहात की तरफ़ जाती है। हर एक आदमी कहता है कि देहात की तरफ़ चलो। गांधी जी कहा करते थे कि देहात की तरफ़ चलो, लेकिन चाल किधर है? शहरों की तरफ़ चलो। हर तरफ़ शहरों की आबादी बढ़ रही है और देहात की आबादी घट रही है। क्या सरकार ने कभी इस का कारण विचारा? प्लानिंग मिनिस्टर मुझे माफ़ करेंगे यदि मैं यह कहूं कि हमारे देश का प्लान अनप्लान्ड हो गया है: आज देहात का जीवन महंगा है और शहर का जीवन सस्ता है। शहर में सिवाय मकान की दिक्कत के और सब चीजें सुलभ हैं और देहात में वही चीजें दुर्लभ हैं, नहीं मिल सकती

हैं। आज हमारी ऐसी इकानोमी हो गई है कि यद्यपि गेहूं देहात में पैदा होता है, लेकिन वहां वह महंगा बिकता है और शहर में सस्ता बिकता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : हमारे यहां है।

श्री सिंहासन सिंह : इनके यहां इसलिये है कि इन के यहां बीस मील पर बाज़ार है, पहुंच नहीं पाता है, लेकिन जहां थोड़ा बहुत पहुंच पाता है, वह देहात में जा कर महंगा बिकता है, क्योंकि शहर के बनिये ख़रीद लेते हैं और जब हम को ज़रूरत पड़ती है, तो हम को महंगा पड़ता है। आप देहात में किसी जगह चले जायें। हमारे यहां गोरखपुर में देहात में गेहूं बीस, बाइस रुपये मन मिलता है और हापुड़ में अठारह रुपये मन मिलता है। चला आता है घूम फिर कर। जो ज़िले ज़िले की रोक-थाम कर ली गई है, उस से चलता तो है ही, लेकिन प्रतिकर देने की वजह से और महंगा पड़ता है। देहात से लोग शहरों की तरफ आते हैं, क्योंकि व्यवसाय शहरों में हैं। उन को वहां काम मिलता है। अगर कुछ और न मिला, तो रिक्षा ही चलाने को मिल जाता है। लोगों को शहरों से देहात की तरफ़ लाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम उन को देहात की तरफ़ आकर्षित करें। आकर्षण यह है कि देहात में भी सड़क हो, तो जिन को कोई काम न मिले, वे वहां पर भी रिक्षा चला सकते हैं? देहात में जहां जहां पक्की सड़कें हैं, वहां लोग रिक्षा चलाते हैं और कुछ न कुछ कमा लेते हैं। वहां ऐसी सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण लोगों को दिक्कत होती है। ज़रूरत इस बात की है कि देहात के प्रति सरकार की मनोवृत्ति बदले, क्योंकि सारा हिन्दुस्तान देहात में बसता है। रूरल एन्क्वायरी कमेटी ने भी कहा है कि देश के ७५ फ़ीसदी आदमी तो देहात में बस कर खेती करते हैं। उनकी ओर सरकार का रुझान नहीं है। एक वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन बनाया गया, लेकिन उस की बिल्डिंग शहर में बन रही है। अगर वह देहात में बनती, तो हम देहात में अपना ग़ल्ला जमा करते और वहां पर सड़क बनती, लेकिन वह बिल्डिंग भी शहर में बन रही है। कागज़ पर बात की जाती है देहात और बैकवर्ड एरियाज़ की तरक्की की, लेकिन काम सारा बड़े बड़े शहरों में होता है।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह बहुत ज़रूरी है। थर्ड फ़ाइव यीअर प्लान आ रहा है। उस में हमारी एक योजना यह है कि हम देश की बेकारी को दूर करें। वह योजना तभी सफल हो सकती है जब कि जहां अधिक से अधिक आदमी बसते हैं, उन को वहीं काम दिया जाये, ताकि उन को दूर न जा कर वहीं काम मिल जाये और उन की बेकारी दूर हो जाये और वे अपना माल पैदा कर के जहां तक हो सके, स्वत: ख़त्म करें और उस के बाद बाहर भेजें। विनोबा भावे ने ग्राम-राज का नारा लगाया है। उन की इच्छा है कि हर ग्राम संतुलित रहे और अपनी चीज़ें वह स्वयं मुहैया कर सके और जो बचें, वे बाहर जायें। ग्राम-राज लाने के लिए यह ज़रूरी है कि सरकार उस तरफ़ कदम बढ़ाए और ग्रामों की तरफ़ ध्यान दे और कागज़ पर जो है, उस को साकार रूप दे।

अभी मेहता कमेटी की रिपोर्ट निकली थी कि ब्लाक डिवेलपमेंट लेवल पर हम अपने अधिकार को अलग अलग करें। कुछ साथियों ने कहा कि इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। मैं भी समझता में कुछ भी नहीं किया गया है। मैं भी समझता हूं कि इसके बारे में आपने कुछ नहीं किया है। आज सारे जो अधिकार हैं वे ज़िला कलैक्टर के हाथ में रख दिये गये हैं। अंग्रेज़ी ज़माने में वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहलाता था या कलैक्टर कहलाता था और हमारे ज़माने में वह जिलाधीश हो गया है, ज़िले का धीश। जो दूसरे धीश थे, बड़े बड़े धीश थे वे तो मिट गये लेकिन यहां

[श्री सिंहासन सिंह]

हमने जिलाधीश बना दिये हैं। नतीजा यह है कि वह जिले का मालिक हो गया है। उसके दिल में आता है तो काम करता है और अगर नहीं आता है तो नहीं करता है। आपने एडवाइज़री कमेटीज़ भी बना रखी हैं लेकिन उनसे भी कोई लाभ नहीं होता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : दफ्तर भी घर पर ही करता है।

श्री सिंहासन सिंह : लड़ाई के ज़माने में कलैक्टर कम से कम कचहरी तो करता था लेकिन अब कोई जिलाधीश कचहरी नहीं करता है। वह जिलाधीश है, सेवक नहीं है। घर बैठ कर दफ्तर करता है। जिन के ज़रिये आज हम कार्य करते हैं, उनकी यह हालत है। वह महलों में रह कर ही इंटरव्यूज़ ग्रान्ट करता है और दिन भर इंटरव्यू ग्रांट करने के सिवा और काम उसका नहीं रह गया है। उसी को सब अधिकार दे दिये गये हैं।

मैं अन्त में माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि कहने के बजाय डिसिप्लिंड लाइफ लीड करके लोगों को यह चीज़ दिखाई जानी चाहिये।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** (करीम नगर–रक्षित-अनुसूचित जातियां) : अभी जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं, उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग खोलने के संबंध में बड़ी असमानता है। मैं इस बात से सहमत हूं।

योजना आयोग का कहना है कि वहीं उद्योग खोले जायें जहां कच्चा माल उपलब्ध हो और उत्पादन लागत भी कम हो। गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग खोलने के लिए सरकार चाहती है कि धनी लोग आगे आयें। आप सोचें कि पिछड़े क्षेत्रों में धनी लोग कहां से मिलेंगे। अभी हमारे प्रदेश आन्ध्र में एक उद्योग खोलने की बात थी पर वहां कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति न मिला, जो कि उसमें पर्याप्त पैसा लगा सकता।

हैदराबाद राज्य काल में हमारे प्रदेश के लिए कुछ योजनायें थीं। पर नया आन्ध्र राज्य बनने के बाद वे सारी योजनायें अलग रख दी गई है और अब वही सिद्धान्त अपनाया जा रहा है कि गैर-सरकारी व्यक्ति धन व्यय करें तो वहां नये उद्योग चलाये जायें।

यही नहीं वहां से युद्धास्त्र कारखाने वगैरह भी हटा दिये गये हैं। पहले इन डिपों के लिए विशेष प्रकार की इमारतें बनवाई गयी थीं, उन्हें भी खाली करवा दिया गया है। बम्बई जैसे कुछ स्थानों पर उद्योगों को केन्द्रित किया जा रहा है। रेलवे कार्यालय भी हैदराबाद से उठाकर बम्बई ले जाये गये है। अतः हमारे प्रदेश की जनता सरकारी रवैये के प्रति बड़ी क्षुब्ध है।

आन्ध्र प्रदेश की जनता के विचारों को मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। वहां की जनता की सेवाओं को केन्द्रीय सरकार उपयोग में नहीं लाना चाहती। वहां कुछ रेलवे डीजल इंजन बनाने का काम शुरू हुआ। आशा थी कि सरकार इस कारखाने को इंजनों के लिए आर्डर देगी, पर वैसा नहीं किया गया। इस प्रकार वहां की फैक्टरी को सरकार ने प्रोत्साहन नहीं दिया।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आन्ध्र सरकार एक विमान कारखाना भी खोलना चाहती है । उसके लिए योजना तैयार हो गयी है व अमरीकी सहायता भी उपलब्ध है। पर योजना और भारत सरकार अभी कुछ अन्य अभिकरणों का परामर्श लेना चाहती है। अतः काम गड़बड़ी में पड़ा हुआ है।

मुझे आश्चर्य है कि पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति संबंधी मामलों में आन्ध्र की उपेक्षा क्यों की जाती है। आन्ध्र में जब रामकृष्ण राव मुख्य मंत्री थे, उस समय से लेकर अब तक राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि आंध्र में कुछ उद्योग शुरू किये जायें, पर भारत सरकार राज्य की बात पर ध्यान ही नहीं देती ।

अन्य राज्यों को सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्र ने जो मदद की है, उसका पूरा ब्यौरा मैं दे सकता हूं। केन्द्र की इस मदद के कारण वहां सभी प्रकार का विकास हुआ है।

हम देखते है कि स्वतंत्रता क बाद कुछ उद्योग ऐसे प्रदेशों व क्षेत्रों में स्थापित किये गये है, जो सीमा के निकट हैं और जहां आक्रमण आदि के खतरे हैं। मेरा निवेदन है कि जब सरकार इन पर पैसा लगा रही है, तो इनकी सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखती। सरकार को तथा मंत्रालय को इस बात पर विचार करके नये उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। तीसरी योजना में सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वह कुछ उद्योगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाये, जहां उन्हें कोई खतरा न रहे ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो वाद-विवाद हो रहा है, और उस पर माननीय सदस्यों ने जो विचार यहां पर प्रकट किये हैं उससे साफ यह पता लगता है कि कोई विशेष इलाके ऐसे नहीं है जो कि पिछड़े हुए हैं, बल्कि सारा मुल्क ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है, और अगर इस में झगड़ा होने लगा कि कौन किस से ज्यादा पिछड़ा हुआ ह, तब फिर प्रश्न दूसरे उठ जायेंगे। इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं कि मुल्क सारे का सारा पिछड़ा हुआ है, और सारे मुल्क को ऊपर उठाना है। ऐसी हालत में समस्या यह नहीं है कि कौन से पिछड़े हुए इलाके हैं और किन को पहले उठाना है बल्कि समस्या यह है कि जो कुछ सरकार की योजनायें बन रही हैं, वे ढंग से चल रही हैं या नहीं। उनमें कोई मूलभूत कमियां तो इस तरह की नहीं हैं जिनकी वजह से योजना को पूरा करने में दिक्कत आ रही हो, और जिन वस्तुओं का समावेश होना चाहिये वह ठीक से हो रहा है या नहीं। अगर सवाल यह हो कि कौन से इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं, तब मैं निवेदन करूंगा कि आंकड़ों से यह चीज साबित की जा सकती है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो यह निवेदन करना चाहता था कि सारा प्लानिंग का ढांचा इस तरह का है कि जहां पर कुछ रुपया पहले से मौजूद है, साधन पहले से मौजूद हैं, उनके साधनों को और बढ़ाने की बात चलती है और जहां पर कुछ नहीं है, उनकी तरफ कोई साधन बढ़ाने की बात नहीं की जाती है। उदाहरण के लिये आप देखिये। उत्तर प्रदेश में आप ने रिहन्द बांध बनाया, वहां बिजली पैदा की। करीब १ लाख किलोवाट से अधिक बिजली वहां पैदा होने को है। ५५ लाख किलोवाट बिजली तो शायद बिड़ला साहब को दी जा रही है।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा): मैं एक औचित्य प्रश्न उठाता हूं। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): पहले भी यह बात कई बार उठाई जा चुकी है। विरोधी दल तथा अन्य लोग यही चाहते थे कि एक परम्परा बना दी जाये कि गैर-सरकारी कार्य के समय ऐसे प्रश्न न उठाये जाया करें।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं समझता हूं कि सारी सभा सहमत थी कि पांच बजे के बाद जो समय बढ़ाया जायेगा उसमें गणपूर्ति के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। अतः हमें गणपूर्ति के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए।

†**श्री श्रीनारायण दास**: मेरा कहना है कि जब सभा में पर्याप्त सदस्य नहीं हैं, तो हमें सभा की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। किसी विशेष अवसर पर आवश्यक हो, तो ठीक है कि गणपूर्ति का प्रश्न न उठाया जाये, पर सामान्यतः हमें संविधान के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय**: अभी २२ मार्च, १९६० को यह सवाल उठाया गया था। जब समय बढ़ाकर यह कहा गया कि सभा ७ बजे तक बैठेगी, तो कुछ माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान गणपूर्ति के प्रश्न की ओर आकृष्ट किया। उस समय मैं ने बताया था कि हमने एक परम्परा बना ली है कि दोपहर में लंच के समय गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा —पर किसी विषय पर मतदान नहीं होगा। मतदान के लिए गणपूर्ति आवश्यक है।

एक माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुये मैंने बताया था कि हम एक परम्परा बना रहे हैं कि यदि हम कार्यवाही का समय बढ़ाते हैं तो बढ़ाये गये समय के दौरान गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा —जब तक कि मतदान का प्रश्न सामने न हो।

और चूंकि इस मामले में भी समय बढ़ाया गया है अतः गणपूर्ति का सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। श्री ब्रजराज सिंह अपना भाषण जारी रखें।

श्री ब्रजराज सिंह: मैं निवेदन कर रहा था कि रिहन्द डैम से बिजली पैदा की गई जिसमें से कि आधे से अधिक बिजली एक साहब के कारखाने को दी जा रही है और वह भी बिना हानि लाभ के आधार पर दी जा रही है। जिस भाव पर बिजली पैदा होगी उसी भाव पर उनको दी जायगी। यह गलत तरीका है। इस बिजली से अगर आप चाहें तो सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे कारखाने खोल सकते हैं जिन से लाखों आदमियों को काम मिल सकता है और आज जो उनमें एक गरीबी और बेकारी है वह दूर होकर वे अपना और अपने परिवार वालों का पेट पाल सकते हैं। इसी तरह से यह रेलों के विद्युतीकरण का सवाल है। आज हम रेलों का विद्युतीकरण करने जा रहे हैं लेकिन जहां पर जरूरत इस बात की है कि अधिक से अधिक कारखाने खुलें, छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित हों और लोगों को काम मिले, वह न कर के हम ऐसे काम करते चले जा रहे हैं जिससे बेकारी बढ़ती है। औद्योगीकरण अधिक होता है लेकिन दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती है। अगर आप पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए जो कुछ आपके पास साधन हैं उनको लेकर इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी और योजना बनानी पड़ेगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। मेरी शिकायत यह है कि सरकार इस तरह का काम नहीं कर रही है। सरकार ने यह स्टील का कारखाना खोला तो वह अच्छा काम किया है और उससे छोटे छोटे कारखाने हमारे चल सकेंगे

---

†मूल अंग्रेजी में

और उनके द्वारा लोगों को काफी तादाद में काम मिल सकेगा। भाखरा की बिजली खर्च होनी चाहिए पंजाब के गांवों में उद्योग खोलने के लिए। लेकिन भाखरा की बिजली अगर दिल्ली में आये तो यह उलटा काम हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का सारा काम इस तरह से उल्टा चल रहा है और जिस साधन का उपयोग होना चाहिए पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए वह नहीं हो पाता। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि जब हम तीसरी पंचवार्षिक योजना को बनाने जा रहे हैं, जब यह सोचा जा रहा है कि वह योजना कैसी हो, तो सरकार को इन सब गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए स्टील प्लांट एक अच्छी चीज है, बिजली का बनाना एक अच्छी चीज है, लेकिन हमें देखना होगा कि जो इलाके पिछड़े पड़े हुए हैं उनको बढ़ाने के लिए हम क्या साधन काम में ला रहे हैं। रेलों में हम बिजली लगाते हैं, एक पटरी की जगह दो पटरियां लगाते हैं ताकि साहब लोगों को सफर में देर न हो जाये। लेकिन जहां पर कोई आवागमन के साधन नहीं हैं, वहां हम कच्ची सड़क भी बनाने के लिए तैयार नहीं हैं ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर ने बताया कि उन्होंने अपने विभाग के लिए १००० करोड़ रुपये की योजना बनायी थी लेकिन प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि तुम को २५० करोड़ से ज्यादा नहीं मिल सकता। इसके मानी यह हैं कि कोई सड़क नहीं बन सकेगी। मैं कहना चाहूंगा कि रेलें भी बढ़ाना चाहिए। उनमें बिजली भी लगाना चाहिए और जरूरी है, हवाई जहाजों की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिए। लेकिन हम को देखना यह चाहिए कि हम किस चीज की प्रायरिटी दें। जब रेल और सड़क का सवाल सामने आये तो जब तक पिछड़े हुए इलाकों में सड़क न बन जाये हमको रेल का बनाना बन्द रखना चाहिए। जहां तक दोहरी लाइन लगाने का सवाल है, हमको इसे उस समय तक नहीं करना चाहिए जब तक कि दूसरे स्थानों में एक लाइन न लग जाये। तो हम तरह के काम बन्द कर देने चाहिए। मेरी सरकार से यही शिकायत है कि प्रायरिटी के हिसाब से काम नहीं किया जाता। जिसका जोर हो जाता है उसका काम चल जाता है। आप रेलों में एअरकंडीशनिंग का इन्तिजाम कर रहे हैं, हवाई जहाजों में भी बढ़ौतरी कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी इमारतें भी बन रही हैं। पर स्कूल के लिए इमारत आप नहीं बना सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि द्विवेदी जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सरकार पर जोर देना चाहिए कि इस तीसरी पंचवार्षिक योजना में वे गलतियां नहीं होनी चाहिए जो कि पहली और दूसरी योजनाओं में हुई और जिनके कारण बेकारों की फौज बढ़ती चली जा रही है। जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें विकास नहीं हो रहा है। यह सब काम हमको करना है। अगर द्विवेदी जी के प्रस्ताव का सरकार पर प्रभाव पड़ता है तो मैं समझता हूं कि तृतीय योजना के द्वारा हम देश में ज्यादा विकास कार्य कर सकेंगे।

अभी तक देश में ऐसे लोग नहीं थे जो कि योजना के खिलाफ हों। उनकी आपसे अभी तक यही शिकायत होती थी कि आप योजना को ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं, आपको योजना पर ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिए था। लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चहता हूं कि अब देश में ऐसे लोगों का संघ बन रहा है जो कि योजना के खिलाफ हैं और यह आपके लिए खतरे की घंटी है। यदि आप योजना को ठीक ढंग से नहीं चलाते तो आपके लिए खतरा हो सकता है क्योंकि मुल्क में ऐसे लोग पैदा हो गये हैं जो कि योजना के खिलाफ हैं। मैं चाहूंगा कि इस चेतावनी को सरकार जल्दी से जल्दी ग्रहण करे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : इस संकल्प में जो मांगें की गयी हैं, वे कुछ अनुचित नहीं हैं। हमारी सरकार की विभिन्न घोषणाओं तथा नीति सम्बन्धी वक्तव्यों में हमेशा यही कहा गया है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

अविकसित व पिछड़े क्षेत्रों के विकास का पूरा ध्यान रखा जायेगा । पर मैं समझता हूं कि वे सभी बातें या तो कागज पर ही रह गई या फिर हवा में उड़ गई । उन पर कोई कदम नहीं उठाया गया । आज सरकार शायद यह पूछेगी कि किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन को नापने का क्या मापदण्ड है । कैसे वह पता लगाये कि कौनसा क्षेत्र अविकसित या पिछड़ा हुआ है ?

हमारे राजस्थान में शिक्षा की प्रतिशत बहुत कम है । वहां सड़कें व रेलें भी कम हैं । पर आप देखेंगे कि इन सभी मामलों में सरकार ने हमारे अविकसित क्षेत्र को कम-से-कम ही मदद दी है । हमारे यहां शिक्षा संस्थायें भी कम हैं । केन्द्र शिक्षा के लिए जो मदद दे रही है, वह भी बहुत कम है । मैं पूछता हूं कि क्या सरकार वहां कोई इंजीनियरिंग कालेज नहीं खोल सकती । अतः मेरा कहना है कि सरकार ने जिस नीति को स्वीकार किया है, उसे ही वह गड़बड़ी में डाल रही है । अब मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । तीसरी योजना में ६५००–७००० करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र के लिए रखे जा रहे हैं । मेरा सुझाव है कि इस में से ५०० करोड़ रु० अलग कर दिये जायें । इस ५०० करोड़ रु० की राशि अविकसित क्षेत्रों में उद्योग आदि खोलने के लिए खर्च हो । एक केन्द्रीय मंत्री इस का इन्चार्ज बना दिया जाये, जो उचित रूप से उपयुक्त प्रयोजन के लिए धन व्यय करे ।

एक सुझाव और है। आप चौथा इस्पात कारखाना खोलने जा रहे हैं । ठीक है, उसे जहां चाहे, वहां खोलिये । पर उस के सहायक उद्योग आप पास के अविकसित क्षेत्रों में ही खोलिये । यदि नहीं, सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं सम्बन्धी सहायक उद्योगों को अविकसित व पिछड़े क्षेत्रों में खोला जाना चाहिए ।

हम कारें बनाने की बात सोच रहे हैं। झा समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया है । उस समिति का कहना है कि इस उद्योग को इसीलिए हानि उठानी पड़ी कि यह उद्योग देश में स्थित सहायक उद्योगों से पुर्जे आदि नहीं लेता था । अतः हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए कि बड़ी परियोजना के आस पास सहायक उद्योग खोले जायें और ये सहायक उद्योग अर्द्धविकसित या अविकसित क्षेत्रों में खोले जायें । मैं समझता हूं कि राजस्थान प्रदेश इस काम के लिए उपयुक्त होगा ।

इस ५०० करोड़ रु० में से २५ या ५० करोड़ रु० अविकसित क्षेत्रों में छोटे छोटे विद्युत् कारखाने स्थापित करने के लिए खर्च किये जायें । इन क्षेत्रों में अन्य उद्योग खोलने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए अन्यथा वहां कभी भी उद्योग नहीं खुलेंगे । प्रोत्साहन के लिए कुछ समय तक कर से मुक्ति आदि के सुझाव मैं दे सकता हूं । इसी प्रकार की अन्य रियायतें भी दी जा सकती हैं ।

इस समय भी अमरीका जैसे देश में भी अविकसित क्षेत्र हैं । वहां भी सरकार अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए तथा वहां उद्योगों को खोलने के लिए सहायता कर रही है । यदि आप प्रोत्साहन दें तो कस्बों में भी उद्योग शुरू हो सकते हैं । पर सुविधायें भी आप को देनी होंगी ।

आप उन्हें कर-मुक्ति दे सकते हैं, कच्चा माल उपलब्ध कर सकते हैं और बिजली आदि की व्यवस्था कर सकते हैं । अभी कल प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में भी कहा गया है कि उद्योगों का वितरण होना चाहिए । जब तक आप उद्योगों को इधर-उधर फैलायेंगे नहीं, तब तक उद्योग अविकसित क्षेत्र में नहीं जायेंगे । आज योजना आयोग तथा सरकार की सब से बड़ी असफलता यही

है कि वे उद्योगों का विकेन्द्रीकरण नहीं कर पाये हैं। केवल चर्चा से कोई लाभ नहीं होता। अतः मैंने ये सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

श्री रा० च० शर्मा (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस के लिए मैं श्री द्विवेदी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने आज इस विषय को प्रस्तुत कर के इस सदन के सामने एक ऐसा अवसर उपस्थित किया है कि इस पर विचार करते हुए हम अपने योजना मंत्री का ध्यान देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की ओर अच्छी तरह से दिला सकते हैं। मैं यह जानता हूं कि हमारे योजना मंत्री जी अध्यात्मवादी हैं और पूज्य महात्मा जी ने इस देश के ग्रामों को इस देश की आत्मा बतलाया था। तो आत्म-कल्याण के लिए उन का प्रयत्न होना स्वाभाविक है। इस देश का जो पिछड़ा भाग है, वे अधिकांशतः ग्राम हैं, मैं समझता हूं कि उनका विकास होना, उनके जो विचार आत्म-कल्याण के हैं, उनके समतुल्य हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में पिछड़े हुए भाग जिन को हम कह सकते हैं उनको इस प्रकार से आंका जा सकता है कि पहले तो वे हैं जहां पर गरीबी है, निरक्षरता है और उद्योग धंधों का अभाव है और दूसरे वे हैं जहां पर जीवन में सादगी नहीं, जीवन में प्रेम नहीं और जीवन में सात्विकता नहीं है। यदि इस दूसरी परिभाषा को लिया जाये तो सारे का सारा देश पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो जाता है। एक ओर ग्रामीण इलाके हैं जहां पर उद्योग धंधों का अभाव है, गरीबी है, निरक्षरता है और दूसरी ओर शहर हैं जहां पर कि न सादगी है, न प्रेम है और सात्विकता का भी अभाव है।

लेकिन मैं इस समय पर इस प्रस्ताव को पेश करने वाले जो माननीय सदस्य हैं और जो उनका अभिप्राय है तथा जो प्रस्ताव की भाषा है, उसको ले कर ही कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उनके प्रस्ताव में आर्थिक विकास को ले करके पिछड़ा हुआ क्षेत्र जिस को आंका गया है, जिस को ले कर वे चले हैं, उसकी ओर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस देश में जो अधिकतर पिछड़े हुए भाग हैं, यदि उनको देखा जाये, तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा राज्य जिस का नाम मध्य प्रदेश है और जो करीब एक हज़ार मील लम्बा है और . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, २८ मार्च, १९६०/८ चैत्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

शुक्रवार, २५ मार्च, १९९०
५ चैत्र, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर . .	३७६५–९१
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१०९६	नेशनल ग्रिन्डलेज़ बैंक के नक्शे में काश्मीर	३७६५–६६
१०९७	दण्डकारण्य परियोजना	३७६६–६८
१०९८	रबड़ रसायनों का निर्माण . .	३७६८–७०
११००	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा किये गये निर्माण कार्यों का नियमितकरण	३७७०–७१
१११६	दिल्ली में सार्वजनिक भूमियों पर अनधिकृत कब्जा करने वाले विस्थापित व्यक्तियों का सर्वेक्षण .	३७७१
१११९	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण कार्यों के नियमितकरण के लिये समिति .	३७७१–७४
११०१	भारत में पाकिस्तानियों का अनाहूत प्रवेश .	३७७५–७६
११०३	उड़ीसा खनन निगम . .	३७७७–७८
११०४	ऊन के लच्छे और बालों का धागा (हेयर यार्न)	३७७८–७९
११०५	लद्दाख में चंगा पर पुल	३७७९–८०
११०६	आणविक संयंत्र . . .	३७८०–८१
११०७	तिलकनगर, नई दिल्ली में तिहाड़ के ग्रामीण	३७८१–८३
१११४	भोपाल राजधानी परियोजना	३७८३–८५
१११५	अभ्रक का निर्यात . . .	३७८६–८८
१११७	डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों का अमरीका को निर्यात . .	३७८८–९०
१११८	भवन निर्माण निगम . .	३७९०–९१
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३७९१–३८१०
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१०९९	ऊनी तैयार माल के निर्यातकों को सहायता .	३७९१–९२
११०२	त्रिपुरा में सहकारी समितियां .	३७९२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

११०८	मंडी की सेंधा नमक की खानें	३७६२–६३
११०६	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का त्यागपत्र	३७६३
१११०	भारत-पाकिस्तान सीमा	३७६३–६४
११११	दार-अस्-सलाम में भारतीय प्रदर्शनी	३७६४
१११२	आन्ध्र प्रदेश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी की शाखा	३७६४
१११३	मनीपुर में लोहे के पाइप बनाने का कारखाना	३७६४–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या

१४५१	नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान	३७६५
१४५२	हिन्दुस्तान ऐन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्प्री	३७६५
१४५३	उड़ीसा में राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	३७६६
१४५४	पंजाब में प्रचार संचालक	३७६६
१४५५	केन्द्रीय हस्तशिल्प बोर्ड	३७६६–६७
१४५६	पंजाब में औद्योगिक बस्ती	३७६७
१४५७	पंजाब में तांबे की खपत	३७६७
१४५८	आन्ध्र प्रदेश में नारियल-जटा उद्योग	३७६८
१४५६	कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	३७६८–६६
१४६०	पाकिस्तान से रज़ाकार	३७६६
१४६१	दिल्ली में सर्किट हाउस का निर्माण	३७६६
१४६२	खनिज तेल उद्योग के लिये मशीनें	३७६६
१४६३	कालीन उद्योग का सर्वेक्षण	३७६६–३८००
१४६४	खादी उद्योग	३८००
१४६५	दक्षिण पूर्व एशिया में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के स्मारक	३८००
१४६६	कमला बीजों का तेल	३८००–०१
१४६७	मद्यसार के लिये विकर्ता	३८०१
१४६८	ईंट तथा ब्लाक बनाने वाली मशीन	३८०२
१४६६	टेबिल साल्ट	३८०२–०३
१४७०	हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक बस्ती	३८०३
१४७१	बर्मा और लंका में भारतीय व्यापारी	३८०३–०४
१४७२	आकाशवाणी	३८०४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४७३	भारत-पाक सीमान्त पुलिस पदाधिकारियों का सम्मेलन	३८०४—०५
१४७४	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति .	३८०५
१४७५	शरणार्थी कार्डों का हस्तान्तरण	३८०५
१४७६	पश्चिमी बंगाल में कर्मचारी भविष्य निधि .	३८०६
१४७७	तिब्बत में भारतीय व्यापारी	३८०६
१४७८	उड़ीसा में भुसंडपुर कालोनी . .	३८०७
१४७९	दिल्ली में नये सरकारी क्वार्टर .	३८०७
१४८०	पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति .	३८०८
१४८१	जूतों के "स्टिफ़नर" ढालने की स्वचालित मशीन .	३८०८
१४८२	दलाई लामा द्वारा लाये गये सोने चांदी पर कर	३८०८—०९
१४८३	पुस्तकों का आयात और निर्यात . .	३८०९
१४८४	न्यूनतम मजूरी . .	३८१०
१४८५	आन्ध्र प्रदेश में अम्बर चरखा योजना . .	३८१०
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३८११—१३

(१) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिय गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्य-वाही को बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) विवरण संख्या १ दसवां सत्र, १९६० ।

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ३ नवां सत्र, १९५९ ।

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ६ आठवां सत्र, १९५९ ।

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १३ सातवां सत्र, १९५९ ।

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १६ छठा सत्र, १९५८ ।

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या १९ पांचवां सत्र, १९५८ ।

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २७ चौथा सत्र, १९५८ ।

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या ३३ दूसरा सत्र, १९५७ ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ और

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमश :)

संशोधन करने वाली दिनांक १९ मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३३१ ।

(दो) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये उपरोक्त एक्ट के कार्य और प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन ।

(३) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत विकास परिषदों के वर्ष १९५८-५९ के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति उनके लेखा परीक्षित लेखे सहित :—

(१) अन्तर्दाह इंजन तथा विद्युत चालित पम्पों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(२) अम्ल तथा उर्वरक सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(३) साइकिलों, सिलाई मशीनों तथा उपकरणों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(४) चीनी सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(५) भारी विद्युत उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(६) हलके विद्युत उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(७) भेषज, रंग और मध्यवर्ती पदार्थ सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(८) क्षार और सम्बद्ध उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(९) ऊनी कपड़े सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(१०) नकली रेशम के कपड़े सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(११) अलौह धातु सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(१२) मशीनी औजारों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(१३) तेल आधारित और प्लास्टिक उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(१४) खाद्य परिष्करण उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(१५) मद्यसार तथा फ़र्मेन्टेशन सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) जून, १९५८ में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपने ४२वें अधिवेशन में स्वीकृत अभिसमय और सिफ़ारिशें ।

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)	
(दो) भारत सरकार द्वारा उपरोक्त अभिसमयों और सिफ़ारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में वक्तव्य ।	
अनुदानों की मांगें	३८१३–४१
गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन .	३८४१–४२
साठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—वापस लिया गया . . .	३८४२–४६
अन्दमान और निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प पर आगे चर्चा समाप्त हुई और संकल्प लोक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . .	३८४६–६७
श्री म० ला० द्विवेदी ने तीसरी पंच वर्षीय योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
सोमवार, २८ मार्च, १९६०/८ चैत्र, १८८२ (शक) के लिए कार्यावलि—	
दक्षिण अफ्रीका में हुए गोलीकांड के बारे में संकल्प पर चर्चा और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा ।	